PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

सितम्बर-2019 | अंक-2

फिट इंडिया अभियान

कितना फिट है भारत

- भारत में पुलिस की स्थिति रिपोर्ट 2019 : एक परिचय
- भोजन का अधिकार बनाम उपलब्धता
- भारत में रैगिंग का रोग
- आरबीआई द्वारा सरकार को मुद्रा हस्तांतरण और विवाद
- सभी को बिजली की पहुँच : एक विश्लेषण
- जलवायु परिवर्तन एवं भारत के तटीय इलाकों की सुरक्षा

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS) TARGET 2020

(ENGLISH & HINDI MEDIUM)

1 SEPTEMBER 2019

This programme is available for all centres

UP-PCS PT TEST SERIES

(ENGLISH & HINDI MEDIUM)

1 SEPTEMBER 2019

This programme is available for all centres

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

सितम्बर-2019 | अंक-2

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी, रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव, गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार, कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह, लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन, प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम, अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- फिट इंडिया अभियान : कितना फिट है भारत
- भारत में पुलिस की स्थिति रिपोर्ट 2019 : एक परिचय
- भोजन का अधिकार बनाम उपलब्धता
- भारत में रैगिंग का रोग
- आरबीआई द्वारा सरकार को मुद्रा हस्तांतरण और विवाद
- सभी को बिजली की पहुँच : एक विश्लेषण
- जलवायु परिवर्तन एवं भारत के तटीय इलाकों की सुरक्षा

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. फिट इंडिया अभियान : कितना फिट है भारत

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खेल दिवस (29 अगस्त) के अवसर पर फिट इंडिया अभियान (Fit India Movement) की शुरूआत की। इस दौरान उन्होंने देश के लोगों को फिटनेस पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान का मकसद लोगों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। सरकार इस अभियान को स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है।

विदित हो कि सरकार को सलाह देने के लिए 'फिट इंडिया मूवमेंट' पर एक समिति बनाई गई थी। इसमें ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल संघ (एनएसएफ), सरकारी अधिकारी, निजी निकाय तथा प्रसिद्ध फिटनेस हस्तियों को शामिल किया गया था। खेल मंत्री किरेन रिजिजू इस 28 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष थे।

परिचय

फिटनेस केवल एक शब्द नहीं है बल्कि यह एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन का आवश्यक स्तंभ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति होती है। स्वस्थ लोग रोजमर्रा की गतिविधियों से निपटने के लिए और किसी भी परिवेश के मुताबिक अपना अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं।

फिट इंडिया अभियान की आवश्यकता क्यों

- 'फिट इंडिया' अभियान स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक अनोखा और रोमांचक अवसर हो सकता है। इस अभियान के अंतर्गत व्यक्ति और संगठन अपने एवं साथ के अन्य लोगों और संगठन के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विभिन्न प्रयास कर सकते हैं।
- सफलता का संबंध फिटनेस से होता है और जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित करने वाले लोगों की सफलता में एक समानता है, उनका फिट रहना।
- आज हमारे समाज ने फिटनेस को कम महत्व देकर खुद से दूर कर दिया है। उदाहरण के लिए पहले एक व्यक्ति कई किलोमीटर की दूरी पैदल अथवा साइकिल से तय करता था, लेकिन आज हम मोटरगाड़ियों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं। ऐसे में फिट इंडिया' का महत्व भारत के लिए बढ़ जाता है।
- गौरतलब है कि आज प्रौद्योगिकी ने हमारी शारीरिक क्षमता कम कर दी है और हमारी फिटनेस की आदत भी छीन ली है। साथ ही हम अपनी परंपरागत कार्यप्रणालियों और जीवनशैली से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं, जो हमें स्वस्थ रख सकती हैं। ऐसे में यह मुहिम भारत को अपनी परंपरागत कार्यप्रणालियों और जीवनशैली से जोड़ेगी।
- भारत में आज जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ी हैं और उससे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मामले बढ़ रहे हैं और यहां तक की भारत में बच्चों में भी यह बीमारियां देखने को मिल रही हैं। 'फिट इंडिया' अभियान इन बीमारियों के चपेट में आने से लोगों को रोक सकती है।
- आँकड़े बताते हैं कि भारत में जिन बीमारियों से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। उन पर शारीरिक सक्रियता, व्यायाम, योग आदि से काबू पाया जा सकता है। इन्हीं संभावित बीमारियों और परेशानियों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया फिट इंडिया अभियान नए भारत को फिट बना सकता है।
- विश्व स्वास्थ संगठन के मुताबिक पौष्टिक भोजन, तंबाकू उत्पादों से दूरी और शारीरिक सक्रियता से दिल की बीमारियों और टाइप-2 मधुमेह से होने वाले असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है। साथ ही यह उपाय गंभीर बीमारियों से होने वाली 40 फीसदी मौतों से भी बचा सकती है। यही वजह है कि सरकार ने देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए फिट इंडिया मुहिम शुरू किया है।
- फिट इंडिया अभियान भारत के लिए इसलिए भी महत्त्व रखता है क्योंकि यह न सिर्फ संभावित बीमारियों से बल्कि उसके दुष्प्रभावों से भी व्यक्ति को बचा सकता है। साथ ही देश को एक नई ऊँचाई भी प्रदान कर सकता है।
- स्मरणीय हो कि पूरी दुनिया में आज फिटनेस के प्रति जागरुकता बढ़ी है। चीन में 'स्वस्थ चाइना मिशन 2030' चल रहा है। चीन इसे मिशन मोड में चला रहा है ताकि उसके देश के नागरिक फिट हो सकें। ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों की फिजिकल गतिविधि बढ़ाने और आलसीपन के स्वभाव को बदलने के लिए 2030 तक देश के 15 प्रतिशत नागरिकों को आलस्य से बाहर निकालने के मिशन में लगा हुआ है। ब्रिटेन 2020 तक 5 लाख नए लोगों को डेली व्यायाम से जोड़ने की कोशिश में जुटा है। अमेरिका 2021 तक अपने 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने के लिए काम कर रहा है। जर्मनी में 'फिट इंस्टीड ऑफ फैट' अभियान चल रहा है। ऐसे में भारत के लिए भी यह मुहिम आवश्यक हो जाता है।

वर्तमान में बीमारियों से होने वाली मौतें

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2016 में पूरे विश्व में बीमारियों से 95 लाख 69 हजार लोगों की जान चली गई। इनमें 63 फीसदी मौतें गैर-संक्रामक रोगों से हुईं।
- गैर-संक्रामक रोगों से मरने वाले पुरूषों की संख्या 33 लाख 13 हजार जबकि महिलाओं की संख्या 26 लाख 82 हजार रही।

- इनमें से 27 फीसदी लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, 9 फीसदी लोग गंभीर बीमारी 11 फीसदी लोग सांस से संबंधित गंभीर समस्याओं तथा 3 फीसदी लोग डायबिटीज से प्रभावित थे।
- वहीं 13 फीसदी लोगों की मौत दूसरी गैर-संक्रामक बीमारियों के चपेट में आने से हुई। इसके अलावा 26 फीसदी लोगों की मौत संक्रामक बीमारियों, माता-पिता के खानदान से मिली विरासत में बीमारियों और उचित पोषण न मिलने के कारण हुई।
- दुनियाभर में स्वास्थ्य पर शोध करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट फार हेल्थ मैट्रिक्स एण्ड इवैल्यूएशन यानी आईएचएमई की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में भारत में सबसे ज्यादा मौत दिल की बीमारियों से हुई।
- आईएचएमई के अनुसार भारत में इस्केमिक हार्ट डिजीज, टीबी, निओनेटल डिसऑर्डर, अस्थमा, डायबिटीज और क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं।
- ये बीमारियां असामयिक मौत की भी बड़ी वजह हैं। इसके अलावा भोजन में आयरन की कमी, सरदर्द की बीमारी, कमर के निचले हिस्से में दर्द, दृष्टिहीनता और दृष्टिदोष, नियोनेटल डिसओर्डर और डायबिटीज के चलते बड़ी संख्या में लोग अंपगता के शिकार हो रहे हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत के 34 प्रतिशत परिवार बीमारियों पर होने वाले खर्च से त्रस्त हैं।
- डायबिटीज के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है।
- भारत में हर साल 2.6 लोगों की मौत हाइपरटेंशन की वजह से होती है।
- भारत में मोटे लोगों की संख्या साढ़े 13 करोड़ से ज्यादा है।
- दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों की लिस्ट में स्पेन पहले नंबर पर है। भारत इस लिस्ट में 120 वें नंबर पर है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश इस मामले में बेहतर हैं।

दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों की सूची

- स्पेन- पहले नंबर पर
- इटली- दूसरे नंबर पर
- श्रीलंका- 66वें नंबर पर
- बांग्लादेश- 91वें नंबर पर
- नेपाल- 110वें नंबर पर
- भारत- 120वें नंबर पर

फिट इंडिया मुहिम की खास बातें

सरकार का स्वस्थ भारत का संकल्प उसकी स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। सरकार द्वरा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- उल्लेखनीय है कि इस अभियान में खेल मंत्रालय के साथ मानव संशाधन विकास मंत्रालय (MHRD) और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj and Rural Development) मिलकर काम करेंगे और देश में फिटनेस के प्रति जागरुकता फैलाएंगे।
- सरकार इस अभियान को करीब चार साल तक चलाएगी। फिटनेस को लेकर हर साल अलग-अलग विषयों पर अभियान चलाया जाएगा। पहले साल शारीरिक फिटनेस, दूसरे वर्ष खाने की आदत, तीसरे वर्ष पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली और अंतिम साल रोगों से दूर रहने के तरीकों के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी।
- प्रस्ताव के मुताबिक, अभियान के पहले महीने में देश के सभी शिक्षण संस्थानों में खेल प्रतिभाओं के साथ वॉकथान, साइकिल रैली आयोजित होंगी और चेकअप कैंप लगाए जाएंगे। दूसरे महीने में कस्बा, जिलों में स्कूल और यूनिवर्सिटी में हर स्तर पर खेल इवेंट होंगे। इसमें सभी छात्रों को शारीरिक गतिविधि में शामिल होना जरूरी होगा। तीसरे महीने में सोशल मीडिया के जरिए फिटनेस क्लब बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे हर हफ्ते शारीरिक गतिविधियों में परिवार और दोस्तों को शामिल कर सकें। चौथे महीने में खेल मैदानों को तैयार करने पर काम होगा।
- इसके साथ ही लोगों को इस अभियान के महत्व से अवगत कराने के लिए हर माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार होगा। इस दौरान फिटनेस संबंधित किताब और अन्य सामग्री भी वितरित की जाएगी। साथ ही मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया से भी प्रचार - प्रसार होगा।
- इस अभियान से राजनीति, खेल, उद्योग और सिनेमा समेत हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को जोड़ा जाएगा। इन लोगों का काम आम लोगों को रोजमर्रा के जीवन में फिट रहने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके इतर अलग-अलग स्तर पर स्वयं सेवकों की टीम गठित की जाएगी। इससे लोगों को अभियान से जोड़ने में मदद मिलेगी।
- इस अभियान के जरिए स्कूल-कॉलेजों में फिजिकल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत देश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों को 15 दिन का फिटनेस प्लान तैयार करना होगा। इस प्लान को अपने पोर्टल या वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। साथ ही इस फिटनेस अभियान से जुड़ने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाएगा।
- सरकार का यह अभियान हर गांव और पंचायत स्तर से शुरू होकर खंड, जिला और राज्य स्तर पर चलेगा।

अन्य प्रयास

- 'फिट इंडिया' मुहिम के तहत केंद्र सरकार ने देशभर में 12500 आयुष सेंटर बनाने का भी लक्ष्य रखा है, जिनमें से 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया गया। इसी साल 4000 आयुष सेंटर भी शुरू हो जाएंगे।
- गौरतलब है कि आयुष और योग फिट इंडिया मुहिम के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आज योग दुनिया को भारत के साथ जोड़ने का माध्यम बन रहा है।
- आज जिस भोजन को हमने छोड़ दिया, उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया है। जौ, ज्वार, रागी, कोदो, बाजरा, सांवा, ऐसे अनेक अनाज कभी हमारे खान-पान का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब ये सब चीजें हमारी थालियों से गायब हो गई हैं। फिट इंडिया अभियान में इस पर ध्यान दिया जाएगा।
- 'स्वस्थ भारत' का सपना साकार करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की भी शुरूआत की है। विदित हो कि सरकार का लक्ष्य है कि बड़ी आबादी को सरकारी अस्पताल के जरिए नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिले।
- सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत हर किसी को इलाज की सुविधा देने की व्यवस्था की जिससे अब पैसा न होने की स्थिति में भी मरीज का इलाज करने से डॉक्टरों द्वारा मना नहीं किया जा सकेगा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा होगी। सरकार का लक्ष्य है कि देश के 80% लोगों का इलाज पूरी तरह सरकारी अस्पताल में मुफ्त हो, जिसमें दवा, जांच और इलाज शामिल हों। नई हेल्थ पॉलिसी में मरीजों के लिए बीमा का भी प्रावधान है।

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने "इट राईट इंडिया पहल" के तहत 'स्वस्थ भारत' यात्रा की शुरूआत की है। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत देश भर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित व पौष्टिक भोजन, स्वस्थ रहने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में जागरूक करने के लिए देश भर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है।

आगे की राह

सरकार द्वारा 'फिट इंडिया अभियान' का चलाया जाना स्वास्थ्य को लेकर सरकार की गंभीरता को बताता है। दरअसल स्वस्थ भारत ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर भारतीयों के सेहत में सुधार आ जाए तो भारत की जीडीपी में 1.4% का इजाफा किया जा सकता है। इससे उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं सेहत में सुधार होने से बीमारियों पर भी खर्च कम हो जायेगा नतीजतन सरकार का खर्च बचेगा जिसका प्रयोग सरकार द्वारा कल्याणकारी व अन्य कार्यों में किया जा सकेगा। अंततः फिट इंडिया को भारत के लिए वर्तमान समय की मांग कहा जा सकता है जिसको सफल बनाने के लिए जरूरी है कि-

- इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए।
- सरकार स्वच्छता अभियान की तर्ज पर इस अभियान को भी आगे बढने के लिए निरंतर कार्यरत रहे।
- गैरसरकारी संगठनों शिक्षाविदों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा इस दिशा में कार्य करते हुए समाज में निचले वर्ग समूह के लिए कार्य किया जाए तथा अपने स्तर पर इस तरह की मुहिम चलाए। फिट इंडिया मुहिम की उपलब्धियों का वार्षिक मूल्यांकन करते हुए इसकी कमियों पर ध्यान देते हुए इसका समाधान किया जाए।
- फिट इंडिया की सफलता के लिए जरूरी है कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए। रिसर्च बताते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने से जीवन शैली से संबंधित बीमारियों को रोका जा सकता है।
- अन्य रिसर्च के मुताबिक किसी भी खेल के लिए समय निकालने से हम लम्बे समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य रह सकते हैं।
- गौरतलब है कि खेल से शरीर के समस्त अंगों का बेहतर विकास होता है। बच्चों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। साथ ही उसमें धैर्य और रणनीति जैसे कौशल का भी गुण विकसित होता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात कि है कि बच्चों के साथ बड़ों को भी आउट डोर और इनडोर खेल खेलना चाहिए।
- खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में उचित प्रावधान किया जाना चाहिए। 2012 में संसद में पेश रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रति खिलाड़ी रोज सिर्फ तीन पैसे ही खर्च हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की बेरूखी के चलते लोग कैरियर के तौर पर खेल को अपनाना नहीं चाहते हैं। जबकि इसके विपरीत अमेरिका अपने खिलाड़ियों पर रोज 22 रुपए प्रति खिलाड़ी खर्च करता है, वहीं ब्रिटेन 50 रुपए, जबकि जमैका जैसे छोटे देश 19 पैसे प्रति खिलाड़ी खर्च करते हैं।
- इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने 2019 में 2,216 करोड़ रुपये के खेल बजट का प्रावधान किया है जो पिछले साल से कही ज्यादा हैं। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट देश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

2. भारत में पुलिस की स्थिति रिपोर्ट 2019 : एक परिचय

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर ने एनजीओ कॉमन कॉज एंड सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के लोकनीति कार्यक्रम द्वारा तैयार "स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया" पर रिपोर्ट जारी की। इसे 21 राज्यों के 12,000 पुलिसवालों और उनके परिवार के 10,595 सदस्यों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट में लैंगिक विषयों और पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बात की गयी है। रिपोर्ट से पुलिस विभाग के भीतर महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को लेकर 'पुरुष' पुलिसकर्मियों के पूर्वाग्रह, अपराध से निपटने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की जर्जर हालत, आधुनिक तकनीकों की कमी के बारे में पता चलता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- यह रिपोर्ट उन कार्य-परिस्थितियों के बारे में बताती है जिन स्थितियों में भारतीय पुलिस कार्य करती है।
- एक तिहाई पुलिस अफसरों ने यह माना है कि यदि उन्हे समान वेतन और सुविधाओं वाली कोई अन्य नौकरी दी जाए तो वे अपनी पुलिस को नौकरी छोड़ देंगे।
- तीन में से एक पुलिसवाले का मानना है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ पुलिस फोर्स के भीतर भेदभाव होता है।
- जाति के मामले में, पांच में से एक पुलिसवाले का मानना है कि दलितों/आदिवासियों द्वारा दर्ज कराई जाने वाली शिकायतें झूठी होती हैं।
- कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में ऐसे पुलिसवालों का औसत ज्यादा है जो मानते हैं कि दलितों में अपराध की प्रवृत्ति ज्यादा होती है।
- 24 फीसदी पुलिसवाले मानते हैं कि शरणार्थी अपराध की तरफ अधिक बढ़ते हैं।
- पांच में से दो पुलिसवालों का मानना है कि अपराध के मामले में 16 से 18 साल के नाबालिगों को बालिग की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए।
- **मानवाधिकार, जातीय मुद्दे और भीड़ नियंत्रण की ट्रेनिंगः** रिपोर्ट का कहना है कि इनमें से ज्यादातर पुलिसवालों को मानवाधिकार और जातीय विषयों से ज्यादा भीड़ नियंत्रण की ट्रेनिंग मिली हुई थी। बड़ी संख्या में इन पुलिसवालों को नियुक्ति के समय ट्रेनिंग मिली।
- राज्यों की बात करें तो बिहार में ऐसे पुलिसवालों की संख्या सबसे ज्यादा है जिन्हें मानवाधिकार की कभी ट्रेनिंग नहीं मिली। बिहार, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नगालैंड, छत्तीसगढ़ में पांच में से एक पुलिसवाले को इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली।
- **पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं को मानते हैं कमतरः** रिपोर्ट कहती है कि पुलिस विभाग में महिला पुलिसकर्मियों को अधिकतर पुलिस स्टेशन के भीतर के काम दिए जाते हैं। जैसे- रजिस्टर और डेटा मेंटेन करना जबकि पुरुष अधिकतर फील्ड के काम जैसे पैट्रोलिंग, जांच, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम करते हैं।

- पचास फीसदी से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों का मानना था कि पुलिस विभाग के भीतर महिला और पुरुष में भेदभाव होता है। यह भेदभाव ऊंची पोस्ट पर बैठी महिला के साथ भी होता है।
- बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर पुलिस फोर्स में पूर्वाग्रह अधिक है। इन राज्यों में 'पुरुष' पुलिसकर्मियों का मानना था कि महिलाओं के पास कम क्षमता होती है उन्हें घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए।
- पांच में से एक महिला पुलिसकर्मी ने माना कि पुलिस स्टेशन में उनके लिए अलग टॉयलेट नहीं है।
- चार में से एक महिला का कहना था कि यौन शोषण से जुड़े मामलों के लिए उनके कार्यस्थल पर कोई समिति नहीं है।
- **पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर की जर्जर हालत:** सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिसवालों ने खुद माना कि उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति बुरी है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, 46 फीसदी पुलिसवालों ने कहा कि उन्हें जब सरकारी वाहन की जरूरत थी तब वाहन मौजूद नहीं था। 41 फीसदी मानते हैं कि वे क्राइम सीन पर इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि उनके पास स्टॉफ नहीं था।
- 42 फीसदी पुलिसवालों के मुताबिक, पुलिस स्टेशन पर फोरेंसिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी सुविधाएं नहीं थीं। तीन में से एक पुलिसवाले को फोरेंसिक की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई।
- 17 फीसदी ने कहा कि उनके पुलिस स्टेशन पर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम (CCTNS) मौजूद नहीं है।
- पश्चिम बंगाल में 30 फीसदी और असम में 28 फीसदी पुलिसवालों ने कहा कि फंक्शनल कंप्यूटर उनके पुलिस स्टेशन में कभी नहीं रहा।

अन्य बिन्दुः

- सर्वेक्षण में 37 फीसदी पुलिसकर्मियों ने साक्षात्कार के दौरान कहा कि मामूली अपराधों के बजाए कोर्टरूम ट्रायल के पुलिस के पास कोई छोटी सजा देने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। वहीं, 72 प्रतिशत पुलिसकर्मियों ने प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान राजनीतिक दबाव का अनुभव किया।
- सर्वे के अनुसार देश में पुलिसकर्मी औसतन 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, जबकि 80 फीसदी पुलिसकर्मी आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी करते हैं। देश भर में 50 फीसदी पुलिसकर्मी ओवरटाइम करते हैं। पुलिसकर्मियों के पांच में से तीन परिवार वालों को लगता है कि उन्हें रहने के लिए दिया गया सरकारी मकान घटिया है।

पुलिस सुधार की आवश्यकता

- 22 सितम्बर को प्रति वर्ष "पुलिस सुधार दिवस" मनाया जाता है। इस दिन के महत्व के पीछे के इतिहास में झाँकने पर पता चलता है कि 1902-03 में फ्रेजर आयोग ने कहा था कि ''पुलिस बल, अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत पीछे है। यह एक संगठन और प्रशिक्षण की दृष्टि से अनेक कमियों से घिरा हुआ है। यह भ्रष्ट और दमनकारी है। यह जनता का विश्वास जीतने में विफल रहा है।'' 115 वर्ष पूर्व पुलिस बल के बारे में कहे गए ये शब्द आज भी शत-प्रतिशत लागू होते दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि पुलिस सुधार दिवस की आवश्यकता समझी गई, और इसकी शुरूआत की गई।
- पुलिस बल की कमियों को दूर करने के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं। अलग-अलग राज्यों ने इससे संबंधित आयोगों का गठन किया है। दुर्भाग्यवश किसी भी आयोग ने पुलिस बल पर पड़ने वाले अवांछित दबावों से उसे बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किए।
- सन् 1977 में तत्कालीन केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया था। 1979-81 के बीच आयोग ने आठ विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। लेकिन भारत की केन्द्रीय सरकार ने इन रिपोर्टों में प्रस्तावित सुधारों का उपयोग केवल दिखावे के लिए किया।
- सन् 2006 में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधारों से संबंधित सात व्यापक दिशानिर्देश दिए। इनमें से छः राज्य सरकारों और एक केन्द्र सरकार के लिए था। इन दिशा-निर्देशों में राज्यों को तीन तरह की संस्थाएं बनाने को कहा गया था। (1) राज्य सुरक्षा आयोग (पुलिस को अतिरिक्त दबावों से मुक्त रखने हेतु) (2) पुलिस स्थापना बोर्ड (पुलिस अधिकारियों को निर्णय लेने में स्वायत्तता प्रदान करने हेतु), और (3) पुलिस अभियोग प्राधिकरण (पुलिस वालों को उत्तरदायी बनाने हेतु)
- इन दिशा-निर्देशों में पुलिस महानिदेशक हेतु उत्कृष्ट अधिकारी के चुनाव संबंधी प्रक्रिया भी वर्णित की गई है। साथ ही, राज्यों को कानून-व्यवस्था की जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया से अलग रखने की बात कही गई है, ताकि किसी भी मामले की गहन एवं निष्पक्ष जाँच की जा सके। केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाने संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
- उच्चतम न्यायालय के 13 साल पहले दिए गए इन दिशा-निर्देशों के बाद, आज तक उन पर अमल नहीं हो सका है। 17 राज्यों ने न्यायालय के आदेशों के पालन हेतु अधिनियम पारित किए, किन्तु उन्हें किनारे ही रखा। अन्य राज्यों ने तो ऐसे कार्यकारी आदेश जारी किए,जो न्यायालय के दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल हैं। कुछ राज्यों में न्यायालय के आदेश के अनुकूल पुलिस संस्थाओं का गठन तो किया, परन्तु या तो उनके अधिकारों को कम कर दिया गया, या फिर उनका रूप ही बदल दिया गया। पुलिस महानिदेशक का चयन भी मनमाने तरीके से ही किया जा रहा है। कानून-व्यवस्था को जाँच-पड़ताल से अलग रखने वाले मामले में भी बहुत ढील है।
- न्यायालय ने पुलिस सुधारों पर नजर रखने के लिए जस्टिस थॉमस समिति का गठन किया था, जिसने 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए राज्यों के पुलिस सुधारों के प्रति निराशाजनक रवैये की बात कही है। 2012 में हुए निर्भया कांड को लेकर बनी जस्टिम वर्मा समिति ने उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों को दिए गए छः दिशा-निर्देशों को संपूर्ण रूप से अंगीकृत करने पर जोर दिया था।

पुलिस सुधारों के लिये विभिन्न आयोग तथा समितियाँ

- **धर्मवीर आयोग (राष्ट्रीय पुलिस आयोग):** पुलिस सुधारों को लेकर 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित इस आयोग को राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहा जाता है। चार वर्षों में इस आयोग ने आठ रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थीं, लेकिन इसकी सिफारिशों पर कुछ नहीं हुआ। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:
- हर राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए
  - जाँच कार्यों को शांति व्यवस्था संबंधी कामकाज से अलग किया जाए।

- पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिये एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए।
- पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय किया जाए।
- एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाए।

इस आयोग के बाद भी पुलिस सुधारों के लिये कई समितियों का गठन किया गया:

- 1997 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त ने देश के सभी राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को एक पत्र लिखकर पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिये कुछ सिफारिशें भेजी थीं।
- इसके बाद 1998 में महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी जे.एफ. रिबैरो की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया।
- इसके बाद वर्ष 2000 में गठित पद्मनाभैया समिति ने भी केंद्र सरकार को सुधारों की सिफारिशें सौंपी थी।
- देश में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादातियों की जाँच के लिये गठित शाह आयोग ने भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिये पुलिस को राजनैतिक प्रभाव से मुक्त करने की बात कही थी।
- इसके अलावा राज्य स्तर पर गठित कई पुलिस आयोगों ने भी पुलिस को बाहरी दबावों से बचाने की सिफारिशें की थीं।
- इन समितियों ने राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने की भी सिफारिश की थी।
- लेकिन नतीजा जस-का-तस रहा, अर्थात् किसी भी आयोग की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
- सोली सोराबजी समिति ने वर्ष 2006 में मॉडल पुलिस अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन केंद्र या राज्य सरकारों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। विदित हो कि गृह मंत्रालय ने 20 सितंबर, 2005 को विधि विशेषज्ञ सोली सोराबजी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने 30 अक्तूबर 2006 को मॉडल पुलिस एक्ट, 2006 का प्रारूप केंद्र सरकार को सौंपा।

वर्तमान परिदृश्य संतोषजनक नहीं

भारत में वर्तमान पुलिस व्यवस्था की बात करें तो स्थिति संतोषजनक नहीं है। आजादी के बाद से लेकर न जाने कितने पुलिस सुधार कमेटी का गठन किया गया लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक ने पुलिस सुधार पर उदासीनता का परिचय दिया है। अलग-अलग राज्यों का अपना अलग बहाना है लेकिन समाजहित में कोई भी राज्य इस पर ध्यान देने को तत्पर नहीं है।

पुलिस की शीर्ष शोध संस्था (ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट) के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि पुलिस सुधार के लिए बनाई गई विभिन्न समितियों के सुझावों पर कई वजहों से अमल नहीं किया गया।

पुलिस के ही ताजा डाटा के अनुसार देश के 29 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों (अण्डमान-निकोबार को छोड़कर) में सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि हर जगह 20828 चिह्नित किए गए अति विशिष्ट लोगों में से हरेक के लिए औसतन 2.73 पुलिस वाले तैनात हैं। इन राज्यों में तीन राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब सबसे ऊपर हैं तथा यह देखा गया है कि पुलिस सुरक्षा के असमान बटँवारे पर सभी राजनीतिक दलों के बीच एक गहरी मूकस्वीकृति है।

वर्तमान समय में मंजूर पदों के लगभग 21% पद खाली पड़े हैं। कई उच्च अधिकारियों से लेकर आरक्षक तक के पद खाली रहने से पुलिस के सामने कई तरह की समस्याएं आए दिन आ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक पुलिस संख्या बल को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक मूलभूत समस्याओं पर विजय पाना मुश्किल है।

चुनौतियाँ

- रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि अपराध के बदलते तरीकों से निपटने के लिए भारतीय पुलिस उतनी सक्षम नहीं है जितनी कि आर्थिक अपराध, डेटा चोरी और साइबर अपराध।
- पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के अभाव में पता ही नहीं है कि अदालत में मामला कैसे पेश किया जाए या फिर एफआईआर किस तरह दर्ज की जाए।
- पुलिस विभाग को मुहैया कराए गए संसाधन हों या फिर पुलिस आधुनिकीकरण के मामले में भी भारत काफी पीछे है।
- सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस बल की कमी। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पुलिस बल में रिक्तियां तो हैं मगर उन पर बहाली नहीं हुई है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एक लाख की जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए जबकि भारत में इसका अनुपात सिर्फ 192 प्रति एक लाख व्यक्ति है।
- नागालैंड को छोड़कर बाकी के सभी राज्यों में पुलिस बल की भारी कमी है, जिसमें उत्तर प्रदेश का हाल सबसे खराब है।
- रिपोर्ट में उन पदों का भी जिक्र किया गया है जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं और उन पर बहालियां नहीं हो रहीं हैं। उसी तरह अल्पसंख्यकों का अनुपात भी पुलिस बल में काफी कम है।
- निचले स्तर पर पुलिस प्रशिक्षण का स्तर काफी खराब है। बीते पांच सालों में 6.4 प्रतिशत कर्मियों को ही सेवा के दौरान प्रशिक्षण दिलाया गया। अधिकारियों को तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रशिक्षण मिलता है।
- 20 फीसदी को 13 से 16 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है, 16 घंटे से ज्यादा काम करने वालों की तादाद 24 फीसदी है। 80 फीसदी पुलिसकर्मी आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी करते हैं।
- रिपोर्ट में देश के पुलिस थानों की खस्ता हालत भी बयां की गई है। जिन 22 राज्यों में अध्ययन किया गया उनमें करीब 70 पुलिस थानों में वायरलेस डिवाइस उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा करीब 224 पुलिस थानों में टेलीफोन नहीं है।
- 12 %पुलिस वालों ने कहा कि उनके थानों में पानी का इंतजाम नहीं है जबकि 18 % ने कहा कि स्वच्छ शौचालय उपलब्ध नहीं हैं।
- 14 % पुलिसवालों ने बताया कि उनके यहां आम लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है। तीन में से एक सिविल पुलिसकर्मी को कभी भी फोरेसिंक टेक्नॉलाजी पर प्रशिक्षण नहीं मिला।

आगे की राह

- स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया पर जारी रिपोर्ट न सिर्फ चौकाने वाली है बल्कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। पुलिस जिसपर की नागरिकों की सुरक्षा के जिम्मेवारी है वे खुद अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है। आधारभूत संरचनाओं की कमी की वजह से पुलिस प्रशासन के समक्ष चुनौतियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई दफा इनके समाधान के लिए प्रयास तो किये गये लेकिन सफलता कुछ खास प्राप्त नहीं

हुई। पुलिस सुधार को लेकर कई समितियाँ बनीं तथा उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी जारी की लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से उनपर कार्य न हो सका। अत: अब समय आ गया है कि पुलिस सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें जिससे कि समय के साथ पुलिस आधुनिक हो सके और अपना कर्तव्य सही तरीके से निभा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

3. भोजन का अधिकार बनाम उपलब्धता

चर्चा का कारण

हाल ही में उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भूख और कुपोषण से निपटने के लिये सामुदायिक रसोई योजना तैयार करें। यह याचिका न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध की गई है। याचिका में कहा गया है कि भूख और कुपोषण की वजह से पांच साल से कम उम्र के कई बच्चे मर जाते हैं और यह स्थिति भोजन के अधिकार और नागरिकों के जीवन के अधिकार समेत विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

याचिका में भूख से होने वाली मौतों को कम करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) को एक योजना तैयार करने का आदेश देने की भी मांग की गई है। याचिका में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड और दिल्ली में सरकार के वित्तपोषण से चलाई जा रही सामुदायिक रसोई का उल्लेख भी किया गया है।

परिचय

भोजन का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (International Human Rights) द्वारा स्थापित सिद्धांत है। यह सदस्य राज्य के लिये खाद्य सुरक्षा के अधिकार के सम्मान, संरक्षण और पूर्ति हेतु दायित्व का निर्धारण करता है। खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत चार प्रमुख आयामों यथा शीघ्र पहुँच, उपलब्धता, उपयोग और स्थिरता को शामिल किया जाता है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights) और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के सदस्य के रूप में भारत पर भूख से मुक्त होने और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने का दायित्व है।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान समय में भोजन के अभाव की समस्या से दुनिया के अधिकांश देश जूझ रहे हैं। यूनिसेफ की मानें तो दुनिया में कुपोषण के शिकार कुल बच्चों की तादाद तकरीबन 14.6 करोड़ से भी अधिक है। कुपोषण के मामले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति महिलाओं की है। यदि दुनिया में भूखे लोगों की आबादी में भारत की हिस्सेदारी देखें तो यह कुल 24 फीसदी के करीब बैठती है। 2018 की फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 20 करोड़ लोग कुपोषित हैं. भारत में कुपोषण विश्व और एशिया दोनों के स्तर से करीब 15 प्रतिशत अधिक है।"

2017 में हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे में यह बात सामने आई है कि देश में करीब 19 करोड़ लोग हर रात भूखे पेट सोने के लिए मजबूर थे। इससे भी अधिक स्तब्ध करने वाला आंकड़ा यह था कि हर दिन कुपोषण की वजह से देश में पांच वर्ष से कम उम्र के 4500 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। इस तरह भूखमरी की वजह से हर साल देश में अकेले तीन लाख बच्चों की मौत हो जाती है।

इसके आलावा भारत में लगभग 195 मिलियन अल्प पोषित लोग रहते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो विश्व की एक चौथाई अल्प पोषित आबादी भारत में ही बसती है। हाल ही में आए एनएफएचएस के रिपोर्ट मुताबिक कुपोषण की वजह से अल्प पोषण या स्टंटिंग की समस्या बढ़ी है। भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में देखे तो यह समस्या बिहार (48%), उत्तर प्रदेश (46%) और झारखंड (45%) में है, जबकि सबसे कम दरों वाले राज्यों में केरल और गोवा (20%) शामिल है। छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है (पिछले दशक में 15 प्रतिशत की गिरावट), इस प्रकार, सरकारें छत्तीसगढ़ से सबक ले सकती हैं। हालांकि, तमिलनाडु में सबसे कम प्रगति हुई है।

इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में यह भी पता चलता है कि स्टंटिंग की समस्या जिला स्तर पर (12.4-65.1%) अलग-अलग है और लगभग 40% जिलों में स्टंटिंग का स्तर 40% से ऊपर है। उत्तर प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है जहाँ 10 में से छह जिलों में स्टंटिंग की उच्चतम दर है।

भोजन के अधिकार की संवैधानिक स्थिति

गौरतलब है कि भोजन का अधिकार प्रत्यक्ष भारतीय संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि जीवन के अधिकार (अनु०-21) के तहत भोजन का अधिकार सम्मान, नियोजन आदि के अधिकार में अंतर्निहित है। राज्यों को ऐसी नीति बनाने का संविधान द्वारा निर्देश है कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के समुचित साधन प्राप्त करने का अधिकार हो तथा राज्य नागरिकों के पोषाहार तथा जीवन स्तर को उठाने व जन स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करें। अनुच्छेद 39 (ए) तथा 47 में कहा है कि यह राज्य का प्राथमिक दायित्व होगा।

ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अपनी व्याख्या में कहा कि भोजन का अधिकार भारतीयों का मौलिक अधिकार है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 3 के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता और शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। इसी तरह 1986 के विकास के अधिकार संबंधी घोषणा में भी यह स्पष्ट किया कि विकास के लिए राज्य सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को बुनियादी संसाधन जैसे भोजन, आवास, शिक्षा, रोजगार आदि के मामले में अवसर सुलभ हो।

संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 की व्याख्या और वे अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएँ, जिन्हें भारत ने अनुमोदित किया है, में भोजन के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में शामिल किया गया है।

यहां पीयूसीएल (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज) द्वारा 2001 में दायर की गई जनहित याचिका का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। इसमें भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाया गया। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि भोजन का अधिकार अनुछेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। बावजूद इसके केंद्र और राज्य सरकार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस याचिका में चार कार्रवाई का निवेदन किया गया- (क) सूखा प्रभावित गांवों में सभी को रोजगार कार्य उपलब्ध हो। (ख) जन वितरण में खाद्यान्न की हकदारी को बढ़ाया जाए। (ग) सभी परिवारों से अनुदानित खाद्यान्न दिया जाए तथा इस सभी कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराए।

बाद में इस याचिका के विषय क्षेत्र को बड़ा किया गया तथा इसमें भोजन के अधिकार के अलावा खाद्य संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन, काम का अधिकार, भूख से मौत तथा पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल किए गए। दोनों पक्षों की ओर से करीब 400 हलफनामे दायर किए गए और 44 अंतरिम आदेश पारित किए गए। ये आदेश केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पालन किए गए।

अक्टूबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें कुपोषण या भूख से मौत रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। भूख से मौत पर मुख्य सचिवों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम अंतरिम आदेश में आठ योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया- जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषाहार सहायता कार्यक्रम-दोपहर का भोजन योजना, समेकित बाल विकास योजना, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने वैधानिक हकदारी में बदल दिया।

सरकारी प्रयास

- सरकार ने पिछले दो दशकों में भोजन के अधिकार के लिए अन्य कई उल्लेखनीय कदम भी उठाए हैं जैसे आंगनवाड़ियों में गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को राशन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को सब्सिडी पर अनाज उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (एनएफएसए), 2013 का लक्ष्य सहायक योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वाधिक कमजोर तबकों को भोजन एवं पोषण सुरक्षा प्रदान कराना और भोजन को कानूनी अधिकार के रूप में उपलब्ध कराना है।
- भारत मे पोषण और आजीविका की चुनौतियों से निपटने और यह सुनिश्चत करने के लिए कि कमजोर वर्ग पिछड़ नहीं रहे, संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक समूह सरकार के साथ पोषण सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही घरों में आहार और देखभाल के तौर-तरीकों में भी सुधार किया जा रहा है।
- एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा तंत्रों की क्षमता और प्रभाव को बढ़ाने में सरकार के साथ सहयोग किया जा रहा है और छोटे एवं सीमांत किसानों के परिवारों की कृषि आय बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। यह प्राथमिक समूह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) एक्ट एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कृषि एवं आजीविका संबंधी पहलुओं को मजबूत करने में सहायता प्रदान कर रहा है।
- साल 2017 की राष्ट्रीय पोषण रणनीति का उद्देश्य 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त देश बनाना है। योजना यह है कि एनएफएचएस-चार पैमानों पर साल 2022 तक प्रति वर्ष लगभग तीन प्रतिशत बच्चों (0-3 वर्ष) में स्टंटिंग की समस्या को कम करने में मददगार हो और बच्चों, किशोर और माँ बनने की उम्र में पहुंची महिलाओं में एनीमिया की समस्या को एक तिहाई तक कम करना है।

चुनौतियाँ

- वर्तमान में सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गरीबी विरोधी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है बावजूद इसके इनसे लाभान्वित होने और लाभान्वित न होने वालों के बीच बहुत बड़ा अंतर है।
- विदित हो कि एनएफएसए भोजन के सार्वभौमिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। इसके बजाए यह कुछ मानदंडों के आधार पर पहचाने गए लोगों के लिये भोजन के अधिकार को सीमित करता है।
- साथ ही, अधिनियम में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि "युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात या भूकंप" की स्थिति में यह लागू नहीं होगा (विशेष रूप से, यह केंद्र सरकार के अनुमोदन के अंतर्गत आता है कि वह ऐसी किसी स्थिति के होने की घोषणा करे)।
- भारत में कृषि भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग और यूरिया के अत्यधिक उपयोग के कारण बंजर हो रहा है।
- एनएफएसए का एक और समस्याग्रस्त पहलू यह भी है कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे लक्ष्यों को शामिल किया गया है जिनके संबंध में प्रगतिशील रूप से कार्य किया जाना चाहिये। इन उद्देश्यों अथवा प्रावधानों में, स्वच्छता और विकेंद्रीकृत खरीद कृषि सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य को शामिल किया गया है, लेकिन इन उद्देश्यों अथवा प्रावधानों में हमारी कृषि प्रणालियों के बारे में मौलिक धारणाओं पर पुनर्विचार करने और खाद्य सुरक्षा को अधिक व्यापक तरीके से देखने की आवश्यकता का कोई जिक्र नहीं किया गया है।
- पोषण में सुधार और स्टंटिंग (उम्र के अनुसार बच्चों का विकास नहीं बढ़ना) को प्रबंधित करना भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं विदित हो कि स्टंटिंग का मानव पूंजी, गरीबी और इक्विटी पर आजीवन प्रभाव रहता है। यह शिक्षा और कम पेशेवर अवसरों पर भी असर डालता है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) - 4 के अनुसार, सालों से सीमांत सुधार के बावजूद, भारत में स्टंटिंग बड़े पैमाने पर पाया जाता है। साल 2015-16 में, पांच साल से कम उम्र के 38.4% बच्चे स्टंटिंग से ग्रसित थे और 35.8% बच्चों में कम वजन की समस्या थी। भारत मानव पूंजी सूचकांक पर 195 देशों में से 158 रैंक पर है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश की कमी के कारण आर्थिक विकास भी एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न कर रहा है। विश्व बैंक के अनुसार, बचपन में स्टंटिंग के कारण वयस्क की औसत ऊंचाई में 1% की कमी, आर्थिक उत्पादकता में 1.4% के दर से नुकसान पहुंचा रही है। साथ ही स्टंटिंग का भविष्य की पीढ़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है।
- भोजन का अधिकार कानून के क्रियान्वयन में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी देखी गई है। उदाहरण के लिए पीडीएस प्रणाली में सुधार की गति कम है।

आगे की राह

वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और 2050 तक इसके 9.6 अरब तक पहुंचने के उम्मीद है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन का अधिकार दिलाने के लिए कृषि और खाद्य प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद और अधिक लचीला एवं टिकाऊ उत्पादक बनाने की आवश्यकता होगी। इसको लेकर अंतर्राष्टीय और राष्टीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयास सराहनीय हैं। इसके अलावा जरूरत व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने का भी है। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- कृषि और खाद्य सुरक्षा में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये हर महीने अनाज की विशेष मात्रा प्रदान करने की बजाय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि गाँव खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जिससे भोजन के अभाव को दूर करने में सहायता मिले।
- अतिगरीब, वंचित, एकल महिला, नि:शक्त और छोटे परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और नियमावली तैयार की जानी चाहिए।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्य प्रावधान विशेषकर मातृत्व अनुदान सम्बन्धी प्रावधान भी अविलम्ब लागू किये जाने चाहिए।
- एनएफएसए के अंतर्गत पहुँच, उपलब्धता और यहाँ तक कि सामंजस्यपूर्ण रूप से उपयोग के मुद्दों को गहनता से संबोधित किया जाना चाहिए।
- स्थानीय परंपरागत खाद्य उत्पाद और मोटे अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर उसकी खरीद और जनवितरण प्रणाली व्यवस्था से उसके वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- पूर्वोत्तर भारत को खाद्य उत्पादन में सक्षम बनाने के लिये रणनीतिक योजनाएँ और उनके समुचित कार्यान्वयन की आवश्यकता है। यह काम समेकित अनुसंधान और कार्यक्रम विस्तार के जरिये किया जाना चाहिए
- जोर-जबर्दस्ती से भू-अधिग्रहण पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही वन अधिकार कानून, पेसा और भू-सुधार के कानूनों को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाना चाहिए।
- जन वितरण प्रणाली व्यवस्था में खाद्य दाल और तेल को भी नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध करने की दिशा में स्पष्ट कदम उठाए जाएं।
- मनरेगा से गरीबी और भुखमरी से मुक्ति पाने में मदद मिल सकती है बशर्ते इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो।
- सभी का राशन कार्ड का न बनना, कम अनाज मिलना आदि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है। इसका जल्द समाधान होना चाहिए।
- खाद्य सुरक्षा कानून को बनाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिये जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं तथा जलवायु अनुकूलन सहित बहुत-से अन्य मुद्दों को शामिल करते हुए खाद्य सुरक्षा की समस्या को हल किया जाना चाहिये।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

■

4. भारत में रैगिंग का रोग

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के बावजूद देशभर के कुछ कॉलेजों में रैगिंग के मामले सामने आए हैं। 20 अगस्त को इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ छात्रों द्वारा रैगिंग के नाम पर करीब 150 जूनियर छात्रों के जबरन सिर मुंडवा दिए गए। इस मामले में जांच अभी चल ही रही थी कि देखते ही देखते एक सप्ताह के भीतर कई और कॉलेजों से भी रैगिंग की घटनाएँ सामने आ गईं। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, राजस्थान में चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इत्यादि शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के मामले प्रकाश में आए हैं। आंकड़ों को देखें तो पिछले सात साल के दौरान ही रैगिंग से परेशान होकर 54 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। इस दौरान रैगिंग की कुल 4893 शिकायतें सामने आई हैं।

परिचय

रैगिंग वरिष्ठ छात्रों और नए छात्रों के बीच परिचय करने के ऐसे साधन के तौर पर शुरू की गई थी जिसमें हल्का-फुल्का हंसी-मजाक और मनोरंजन भी शामिल होता था लेकिन आधुनिकता के साथ रैगिंग के तरीके भी बदलते गए और रैगिंग के नाम पर अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पूरे भारत में कई उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के बारे में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें बताया गया कि देश के विभिन्न हिस्सों से 10,000 चुने गए छात्रों के द्वारा रैगिंग से पीड़ित 84% से अधिक छात्र अपने साथ हुई रैगिंग की शिकायत दर्ज नहीं करते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, लगभग 33% छात्र अपने वरिष्ठ छात्रों द्वारा की जाने वाली रैगिंग को आनंदमय मानते हैं। वहीं 40% का मानना है कि इसके अनुभव के बाद उन्हें एक मजबूत दोस्ती बनाने में मदद मिली। भारत के 37 संस्थानों के लगभग 62% छात्रों का कहना था कि जिन्होंने उनकी प्रथम वर्ष में रैगिंग ली थी, उन्होंने ही आने वाले वर्षों में पाठ्यक्रम संबंधी कार्यों में उनकी मदद की थी। वहीं कई मामलों में पाया गया कि हल्की सी धमकी या चिढ़ाने के रूप में शुरू हुई रैगिंग अकसर क्रूरतापूर्ण प्रयासों और मानसिक यातनाओं में बदल गई।

रैगिंग पर यूजीसी का विचार?

- रैगिंग एक व्यापक अवधारणा है जिसको लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक रूप रेखा तय की है जिसके तहत निम्न कार्यों को रैगिंग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे- किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नये आने वाले छात्र का मौखिक वाणी अथवा लिखित शब्दों द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यव्हार करना।
- छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नये छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़े।
- किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिये कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं किए जा सकते हैं।
- वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी नये छात्र के शैक्षिक कार्य में बाधा

पहुंचाये।

- नये छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना जैसे जबरन धन वसूली करना आदि।
- शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य जैसे किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे आदि।
- किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र को उसकी राष्ट्रीयता, भाषा या रंग के आधार पर लगातार परेशान किया जाना।

कारण

- कई बार कॉलेज छात्र अपने दोस्तों के बीच अपना दबदबा कायम करने के लिए या फिर, उनके बार-बार कहने और उकसाने पर नए छात्रों की रैगिंग कर देते हैं।
- कभी कभी रैगिंग का कारण अमीर, नए या जूनियर छात्रों से रुपये, या अन्य गिफ्ट हासिल करना होता है।
- कुछ छात्रों को अन्य छात्रों को शारीरिक, मानसिक चोट पहुंचाने में या फिर अपने से कमजोर छात्रों को डराने-धमकाने में खुशी मिलती है। ऐसे वरिष्ठ छात्र अकसर नए छात्र की रैगिंग करते हैं।
- कई बार किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ छात्र अपने जूनियर और नए छात्रों पर अपनी वरिष्ठता का दबदबा दिखाने के लिए रैगिंग करते हैं ताकि जूनियर छात्र अपने वरिष्ठ छात्र से डरकर उनकी हरेक अच्छी या बुरी बात मानते रहें।
- छात्रों द्वारा रैगिंग के बावजूद इसके खिलाफ शिकायत न दर्ज कराने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे गंभीर रैगिंग से हुए शारीरिक और मानसिक आघात के कारण भी छात्र इसकी शिकायत नहीं करा पाते हैं; न्याय प्रणाली पर विश्वास की कमी की वजह से भी छात्र चुप रहना ही बेहतर समझते हैं; कई छात्र रैगिंग को दुनिया की कठोर परिस्थितियों के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक मानते हैं।

रैगिंग के प्रभाव

- **आत्महत्या कर लेना:** भारत में रैगिंग से परेशान होकर बहुत से छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मौत को गले लगा लिया। इसके पीछे वरिष्ठ छात्रों द्वारा उन्हें बार-बार प्रताड़ित करना था।
- **स्कूल-कॉलेज छोड़ देना:** बहुत से छात्र रैगिंग से परेशान होकर स्कूल कॉलेज तक छोड़ देते हैं।
- **पढ़ाई बाधित होना:** रैगिंग से परेशान होकर बहुत से छात्र की पढ़ाई बाधित हो जाती है। वह पढ़ने में मन नहीं लगा पाते, चूँकि उनके सीनियर उन्हें तरह-तरह से परेशान कर रहे होते हैं, जबकि पढ़ाई ऐसा कार्य है कि इसमें किसी प्रकार का मानसिक समस्या या भटकाव नहीं होना चाहिए।
- कई पीड़ित पढ़ाई के लिए कक्षा में जाने से बचते हैं तथा विभिन्न विषयों में मिलने वाले प्रोजेक्ट आदि भी समय से पूरा नहीं कर पाते हैं। इससे उनके पढ़ाई तथा ग्रेड पर भी फर्क पड़ता है।
- **डिप्रेशन, मानसिक तनाव और अकेलापन:** रैगिंग से तंग आकर बहुत से छात्र-छात्राएं डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको अवसाद हो जाता है, वे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं तथा बहुत से छात्र तो क्लास में जाने से भी बचते हैं।
- ***लगातार डरते रहना:*** बहुत से छात्र लगातार डरते रहते हैं कि उनके साथ कहीं रैगिंग की घटना ना हो जाए।

कानूनी प्रवधान

रैगिंग भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों के कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसों में किसी भी एक दंडनीय अपराध बन चुकी है। विदित हो कि रैगिंग रोकने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1956 में यूजीसी एक्ट पारित किया था। इसके अंतर्गत यदि कोई छात्र अपने जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ 1956 एक्ट के अनुसार कार्रवाई का प्रावधान था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग के संबंध में समय समय पर महत्वपूर्ण कानून बनाकर सख्त फैसले लिए-

- 11 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट कहा कि रैगिंग में संलिप्त पाए गए छात्र के विरुद्ध क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए।
- 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग पर संज्ञान लेते हुए इसकी रोकथाम के लिए सीबीआई के पूर्व निदेशक ए. राघवन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने अधीन आने वाले शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध कड़े निर्देश जारी किए।
- कई राज्यों ने भी इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए। 1997 में तमिलनाडु विधानसभा ने एंटी रैगिंग कानून पास किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए प्रावधान

- रैगिंग के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में इसको रोकने के लिए कई कठोर नियम बनाए हैं जैसे- यदि कॉलेज रैगिंग की शिकायत करने वाले छात्रों की मदद नहीं करता है तो वे छात्र निःसंकोच यूजीसी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- रैगिंग के दोषियों पर रैगिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दोषी को 3 साल तक सश्रम कैद का प्रावधान है।
- रैगिंग का दोष साबित होने पर दोषी छात्र को सजा मिलने के साथ ही संबद्ध कॉलेज पर भी कार्रवाई के तौर पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
- हर कॉलेज में एंटी-रैगिंग स्क्वाड होगा जो छात्रों के साथ की जाने वाली रैगिंग पर नजर रखते हुए दोषी छात्रों पर उपयुक्त कार्रवाई करेगा।
- आजकल छात्रों की सुविधा के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा यूजीसी ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है।
- एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन के डेटाबेस के मुताबिक हेल्पलाइन ने कॉलेजों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में काफी मदद की है। साथ ही कई मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उन कॉलेजों के खिलाफ शिकायत भेजी गई, जिन्होंने दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से इंकार कर दिया था।

भारतीय दंड संहिता के तहत सजा का प्रावधान

रैगिंग की हर एक घटना की एफआईआर दर्ज कराने का दायित्व संस्थान पर ही होता है। छात्र निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराने के लिए आईपीसी में मौजूद प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रावधान हैं:

धारा 294 - अश्लील हरकतें और गाने

धारा 325 - स्वेच्छापूर्वक गंभीर आघात पहुंचाने की सजा

धारा 339- अनुचित क्रूरता

धारा 340 - अनुचित कैद

धारा 342 - अनुचित कैद के लिए सजा

धारा 506 - दोषपूर्ण हत्या के लिए सजा

आगे की राह

भारत के राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग ने अपने आरम्भिक समय से ही रैगिंग पर काम करना शुरू कर दिया था, बावजूद इसके रैगिंग की घटनाएँ रूकने का नाम नही ले रही हैं। ऐसे में आवश्यकता व्यक्तिगत स्तर पर इसे रोकने की है। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझवों को अमल में लाया जा सकता है-

- अधिकतर छात्र अपने कॉलेज की बातें अपने पैरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं। ऐसे में, हरेक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में काउंसलर्स का महत्व काफी बढ़ जाता है जो पीड़ित छात्रों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर सकें।
- आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसों में जगह-जगह लगे CCTV कैमरे कॉलेज/ यूनिवर्सिटी प्रशासन की आंख और कान बन गए हैं, यह कैंपस के भीतर रैगिंग होने से रोकने का काफी अच्छा साधन बन गये हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि उन जगहों को भी CCTV कैमरे के दायरे में लिया जाए जहाँ रैगिंग की घटनाएँ ज्यादा होती हों।
- वरिष्ठ छात्रों की एक टीम या कुछ टीमें एंटी-रैगिंग स्क्वैड के तौर पर कैंपस में हरेक जगह रैगिंग की घटनाओं पर नजर रख सकती हैं ताकि कैंपस के भीतर बिलकुल भी रैगिंग न हो सके।
- कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कुछ वरिष्ठ छात्र, टीचिंग स्टाफ और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स मिलकर रैगिंग के खिलाफ मॉनिटरिंग सेल बनाकर अपना काम कर सकते हैं। ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ छात्र मॉनिटरिंग सेल के डर की वजह से नए छात्रों की रैगिंग नहीं कर पाएँगे।
- कॉलेज/ यूनिवर्सिटी का नया सेशन शुरू होने के साथ ही वरिष्ठ छात्रों का नए छात्रों के बीच स्वस्थ परिचय रैगिंग की घटनाओं को प्रभावी तरीके से रोक सकता है। इस परिचय के समय लेक्चरर और प्रोफेसर भी मौजूद रहें तो काफी अच्छा रहे।
- बहुत बार वरिष्ठ छात्र केवल अपना समय पास करने या फिर, हंसी-मजाक के लिए नए छात्रों की रैगिंग करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि पीड़ित छात्र को कितनी अधिक शारीरिक-मानसिक चोट पहुंच सकती है। ऐसे में अगर कॉलेज प्रशासन वरिष्ठ छात्र को रैगिंग की वास्तविकता की सही जानकारी पहले से ही प्रदान करे तो शायद रैगिंग की घटनाओं में काफी कमी आ सकती है।
- पीड़ित छात्र के पैरेंट्स की यह जिम्मेदारी है कि वे रैगिंग का शिकार बने अपने बच्चे को हरेक तरीके से समर्थन करें और रैगिंग करने वाले छात्र के प्रति कानूनी कार्रवाई करने के लिए सभी जरुरी कदम उठायें।
- रैगिंग को रोकने के लिए सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए। स्कूल कॉलेज प्रशासन को इन नियमों को पूरी तरह लागू करना चाहिए। कॉलेज प्रशासन को चाहिए कि दोषी को सजा अवश्य मिले। इसके साथ ही समाज में जागरुकता फैलानी होगी।
- रैगिंग को रोकने के लिए शिक्षकों की मदद लेना बहुत आवश्यक है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा शिक्षकों को लगातार छात्रों की निगरानी करने को कहा जाए। इसके साथ ही कॉलेज के भीतर जगह-जगह निगरानी करने वाले लोगों को नियुक्त किया जाए।
- कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने वाले छात्रों से एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाया जाए। उनके माता-पिता से भी एफिडेविट भरवाया जाए कि उनके बच्चे कॉलेज में आकर रैगिंग नहीं करेंगे।
- स्कूल, कॉलेज में काउंसलर की नियुक्ति की जाए जिससे कोई भी बच्चा अपने साथ होने वाली रैगिंग की घटना को आसानी से काउंसलर को बता सके।
- कॉलेज, यूनिवर्सिटी को एंटी रैगिंग स्क्वाड की स्थापना करनी चाहिए।
- हर कक्षा में एक मॉनिटर की नियुक्ति की जाए जो कक्षा के भीतर होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

5. आरबीआई द्वारा सरकार को मुद्रा हस्तांतरण और विवाद

चर्चा का कारण

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए लाभांश और सरप्लस पूंजी देने का फैसला किया है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने विमल जालान समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। समिति ने सुझाव दिया था कि आरबीआई के पास 5.5% से लेकर 6.5% तक रिजर्व कैश रहना चाहिए। हालांकि आरबीआई ने इसकी न्यूनतम सिफारिश मानते हुए 5.5% को सही माना है।

परिचय

आरबीआई के पास 2017-2018 के वित्तीय वर्ष के आखिर में 9.6 लाख करोड़ रुपये की पूंजी थी। पिछले दिनों सरप्लस राशि का मुद्दा भारत सरकार और आरबीआई के बीच तनातनी की वजह बन गया था। सरकार ने कहा था कि रिजर्व बैंक किसी भी अन्य सेंट्रल बैंक की तुलना में बहुत ज्यादा नकदी रिजर्व रख रहा है और उसे पूंजी की भरपूर मात्रा केंद्र सरकार को देनी चाहिए। इस विवाद के बीच उर्जित पटेल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। वित्त मंत्रालय ने तर्क दिया था कि आरबीआई के पास अपनी कुल संपत्ति के 28 फीसदी के बराबर बफर पूंजी है, जो वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा रखे जाने वाली रिजर्व पूंजी की तुलना में कहीं ज्यादा है। सरकार के अनुसार वैश्विक नियम 14 फीसदी का ही है। इस बीच अगर आर्थिक विशेषज्ञों और विपक्ष की मानें तो सरकार आरबीआई में लगातार अपना दखल बढ़ा रही है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं कि जैसा अर्जेंटीना

में हुआ था, वही हालात कहीं देश में ना हो जाएँ। गौरतलब है कि अर्जेंटीना में भी सरकार ने रिजर्व बैंक के मामलों में दखल दिया था और बाद में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रिजर्व बैंक की स्वायत्तता बरकरार रहनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि रिजर्व बैंक के पास इमरजेंसी रिजर्व फंड सीमा से ज्यादा था, इसीलिए यह पैसा आरबीआई से लिया गया है। इसके अलावा आर्थिक विशेषज्ञ तो यह भी कह रहे हैं कि अभी पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है। ऐसे में इस समय सरकार को आरबीआई में पैसों का रिजर्व बढ़ाना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में यह काम आ सकता है। इसके अलावा यदि मंदी बढ़ती है तो सरकार के सामने आर्थिक हालात और विकट हो सकते हैं।

आखिर क्यों सरकार को पैसे चाहिए

- सरकार द्वारा प्राप्त इतनी बड़ी रकम का उपयोग कहां और किस प्रकार किया जाएगा। ये सवाल हर किसे के मन में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब ये सवाल किया गया कि 1.76 लाख करोड़ का क्या होगा तो उन्होंने कहा कि वो इस रकम के इस्तेमाल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकतीं। सरकार इसके बारे में निर्णय लेकर बाद में अवगत कराएगी।
- आर्थिक विश्लेषकों की मानें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आई कमजोरी से सरकार दबाव में है। भारतीय मुद्रा रुपया अमरीकी डॉलर की तुलना में 72 के पार चला गया है। लगातार चौथे तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में गति नहीं आ पाई है।
- विमल जालान समिति ने सिफारिश की थी कि आरबीआई के पास अपनी बैलेंसशीट के 5.5 से 6.5 फीसदी रकम होनी चाहिए। इससे पहले यह राशि 6.8 फीसदी थी। सरकार का लक्ष्य है कि 2020 तक बजट घाटा जीडीपी का 3.3 फीसदी किया जाए।
- आरबीआई के पास कुल संपत्ति का लगभग 26% रिजर्व है जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड लगभग 16% है। केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक के पास पड़ी इस रिजर्व मुद्रा का लगभग एक-तिहाई हिस्सा लेना चाहती है। केन्द्र सरकार का रुख है कि इतनी बड़ी मात्रा में रिजर्व मुद्रा रखना रिजर्व बैंक की पुरानी और संकुचित धारणा है और इसे बदलने की जरूरत है।
- भारतीय इतिहास में ये पहला मौका है जब आरबीआई ने इतनी बड़ी धनराशि भारत सरकार को दी है। आर्थिक मामलों में समझ रखने वाले विश्लेषकों की मानें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत ठीक हालत में नहीं है। जानकारों का कहना है कि भारत की जीडीपी दर और गिर सकती है।
- भारत में निजी कंपनियां निवेश नहीं कर रही हैं और सरकारी कंपनियां घाटे में जा रही हैं। लेकिन सरकार अगर इन पैसों का उपयोग किसी रूप में करती है जिसके बारे में सरकार ने खुलकर नहीं बताया है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी।
- जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त हो रही है, नौकरियां जा रही हैं, लोग कम खर्च कर रहे हैं, रियल स्टेट और ऑटो सेक्टर की हालत खस्ता है, ऐसे में सरकार के लिए आरबीआई का ये फैसला काफी राहत देने वाला होगा।

रिजर्व बैंक की आमदनी

- रिजर्व बैंक खुले बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीदता है। इनके बदले उसे एक तय ब्याज मिलता है और ये ब्याज RBI की आमदनी में शामिल होता है।
- सरकार और बैंक, आरबीआई रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इसकी फीस और ब्याज से भी रिजर्व बैंक की कमाई होती है।
- रिजर्व बैंक विदेशी करेंसी अपने पास रखता है। उस करेंसी को लोकल करेंसी से एक्सचेंज भी करता है। इसके बदले आरबीआई को कमीशन मिलता है।

क्या है रिजर्व बैंक का सरप्लस

- रिजर्व बैंक का सरप्लस या अधिशेष राशि वह होती है जो वह सरकार को दे सकता है। रिजर्व बैंक को अपनी आय में किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए अपनी जरूरतें पूरी करने, जरूरी प्रावधान और जरूरी निवेश के बाद जो राशि बचती है वह सरप्लस फंड होती है जिसे उसे सरकार को देना होता है।
- रिजर्व बैंक को आय मुख्यत: सिक्यूरिटीज यानी प्रतिभूतियों में निवेश पर मिलने वाली ब्याज से होता है। रिजर्व बैंक ने साल 2017-18 में 14,200 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि के लिए तय किए थे जितना ज्यादा इस फंड के लिए प्रोविजनिंग की जाती है, रिजर्व बैंक का सरप्लस उतना ही कम हो जाता है।
- वर्ष 2018-19 में रिजर्व बैंक ने 1,23,414 करोड़ रुपये का सरप्लस सरकार को देना तय किया है।
- आरबीआई 2013-14 के बाद से अपनी डिस्पोजेबल इनकम (खर्च करने लायक फंड) का 99 फीसदी सरकार को देता आ रहा है। जहां तक डिविडेंड का सवाल है तो 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपये में से 28,000 करोड़ रुपये मार्च में ही अंतरिम डिविडेंड के तौर पर सरकार को दिए जा चुके हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान सरकार को 95,414 करोड़ रुपये डिविडेंड मिलना तय है। यह 1.76 लाख करोड़ के सरप्लस फंड के अलावा होगा।

आखिर इतनी बड़ी राशि दे पाना कैसे संभव हुआ

पिछले साल आरबीआई ने मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया था और भारी लाभ के साथ डॉलर को बेचा था। साथ ही उसने रिकॉर्ड स्तर पर ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) को भी अंजाम दिया था जिससे आरबीआई को बहुत लाभ हुआ था। विमल जालान समिति ने भी आरबीआई के लिए इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का सुझाव दिया जिसके तहत आरबीआई के पास आकस्मिक जरूरतों के लिए जितना पैसा होना चाहिए उससे ज्यादा है। इसलिए आरबीआई सरप्लस के रूप में सरकार को इतनी बड़ी राशि दे पाई।

क्या देश में बढ़ रहा है आर्थिक मंदी का खतरा

सरकार के द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में आर्थिक मंदी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार पहली बार पिछले 6 सालों में ऐसा हुआ है कि कोई तिमाही विकास दर कमी के साथ शुरू हुई है। आर्थिक विशेषज्ञ तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि आने वाली तिमाहियों में भारत की विकास दर घटकर 5.5 प्रतिशत भी हो सकती है।

अर्जेंटीना से भारत की तुलना क्यों

भारतीय रिजर्व बैंक ने जब एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार को देने का फैसला किया तो विपक्षी पार्टियों और आर्थिक मामलों के जानकारों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि भारत को अर्जेंटीना से सबक लेना चाहिए। दरअसल, अर्जेंटीना की सरकार ने अपने सेंट्रल बैंक को फंड देने के लिए 2010 में मजबूर किया था। अर्जेंटीना की सरकार ने सेंट्रल बैंक के तत्कालीन चीफ को बाहर कर बैंक के रिजर्व फंड का इस्तेमाल अपना कर्ज चुकाने के लिए किया था। अब भारत सरकार के रिजर्व बैंक से फंड लेने की तुलना अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक से फंड लेने से की जा रही है। अर्जेंटीना लातिन अमरीका की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन आज अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था बेहद खराब दौर में है। विश्लेषक मानते हैं कि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था के पटरी से उतरने की शुरुआत तब ही हो गई थी जब सेंट्रल बैंक से जबर्दस्ती पैसा लिया गया था। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने 2018 में दिए अपने भाषण में अर्जेंटीना के उस प्रकरण का जिक्र किया था। विरल आचार्य ने जब अर्जेंटीना का जिक्र

किया तब भी ये कयास लगाए गए थे कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक पर दबाव बना रही है। गौरतलब है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडेज की तत्कालीन सरकार ने दिसंबर 2009 में एक आदेश पारित किया था जिसके तहत सेंट्रल बैंक के 6.6 अरब डॉलर सरकार को मिल जाते। सरकार का दावा था कि सेंट्रल बैंक के पास 18 अरब डॉलर का अतिरिक्त फंड है। रोड्राडो (सेंट्रल बैंक के तत्कालीन चीफ) ने ये फंड सरकार को ट्रांसफर करने से इनकार किया था। इसका खामियाजा उन्हें अपना पद गंवाकर चुकाना पड़ा। सरकार ने जनवरी 2010 में उन पर दुर्व्यवहार और कर्तव्यों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की कोशिश की थी लेकिन ये प्रयास नाकाम रहे। हलांकि बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रेड्राडो के पद से हटने के बाद सरकार ने उनके डिप्टी गवर्नर मिगेल एंजेल पेसके को सेंट्रल बैंक का प्रमुख बना दिया था। उन्होंने वही किया जो सरकार चाहती थी। रोड्राडो के पद छोड़ने के बाद अर्जेंटीना की सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता भी सवालों के घेरे में आ गई थी। न्यूयॉर्क के एक जज थॉमस ग्रीसा ने न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में रखे अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक के 1.7 अरब डॉलर को फ्रीज करने का आदेश ये तर्क देते हुए पारित कर दिया था कि अर्जेंटीना का सेंट्रल बैंक स्वायत्त एजेंसी नहीं रह गया है और देश की सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। इन्हीं का उल्लेख करते हुए विरल आचार्य ने कहा था कि एक अच्छी तरह से काम कर रही अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र सेंट्रल बैंक जरूरी है। यानी ऐसा सेंट्रल बैंक जो सरकार के दबाव से मुक्त हो। विरल आचार्य ने कहा था कि सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता को कम करने के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये सेल्फ गोल साबित हो सकता है क्योंकि ये उन पूंजी बाजारों में विश्वास का संकट पैदा कर सकता है जिनका इस्तेमाल सरकारें अपने खर्चे पूरा करने के लिए कर रही हों। उन्होंने कहा था, जो सरकारें सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करेंगी उन्हें आज नहीं तो कल वित्तीय बाजारों का क्रोध झेलना होगा। भारत और अर्जेंटीना के घटनाक्रम में फर्क ये है कि अर्जेंटीना की सरकार ने आदेश पारित कर सेंट्रल बैंक से पैसा लिया जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने विमल जालान समिति की सिफारिश पर सरकार को पैसा दिया।

आगे की राह

भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांश, सरप्लस और आकस्मिक निधि से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का जो फैसला किया है, उसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। लंबे समय से यह सवाल सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ था और इस पर जिम्मेदार अधिकारियों और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई थी। ऐसे में विमल जालान समिति की सिफारिशों की रोशनी में आरबीआई बोर्ड ने जब इतनी बड़ी राशि सरकार को सौंपने का फैसला किया है तो उस पर सवाल उठने लाजिमी हैं। खासकर इसलिए भी कि इससे पहले कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रिजर्व बैंक ने ऐसा फैसला नहीं किया था। बहरहाल, यह कतई जरूरी नहीं है कि परिस्थिति की जटिलताओं से जूझते हुए कोई सरकार या संस्था हमेशा वैसे ही कदम उठाए जिनकी मिसाल अतीत में मौजूद हो। देखने की बात यह है कि जो कदम उठाया जा रहा है, वह कितना जरूरी है और उससे जुड़े जिन खतरों की ओर इशारा किया जा रहा है उनसे बचने की तैयारी कैसी है। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। न केवल कई उद्योगों के आंकड़े कठिन स्थिति का संकेत दे रहे हैं बल्कि सरकार की राजस्व वसूली भी उम्मीद से कम है। ऐसे में जब सरकार पर इन्फ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक निवेश के जरिए मांग पैदा करने का दबाव है, तब फंड की कमी उसके हाथ बांध दे रही है।

ऐसे में अगर रिजर्व बैंक के पास कुछ सरप्लस फंड है तो उसे यूं ही पड़ा रहने देने के बजाय इस कठिन दौर से उबरने में उसका इस्तेमाल करना गलत नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि इससे संभावित जोखिम की अनदेखी कर दी जाए। यह पहली बार है जब किसी समिति ने आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए रखे गए रिजर्व बैंक आकस्मिक निधि का स्तर 6.5 से 5.5 फीसदी के बीच रखने का सुझाव दिया है। आम तौर पर इसे आठ फीसदी से ऊपर ही रखा जाता रहा है। खास बात यह कि रिजर्व बैंक बोर्ड ने इस रेंज की भी निचली सीमा तक जाने का फैसला किया है। यानी फैसले के बाद आरबीआई का आपातकालीन कोष उसकी कुल पूंजी का महज 5.5 फीसदी रह गया है। विशेषज्ञों की समिति ने देश-दुनिया के मौजूदा हालात पर विचार करने के बाद ही यह जोखिम लिया है, साथ ही यह भी स्पष्ट कहा है कि ऐसा फैसला बार-बार संभव नहीं होगा। इससे आगे यही देखने को बचता है कि इस रकम का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित किया जाए। जाहिर है, इस मामले में सबसे अहम भूमिका खुद सरकार की होगी। इस आकस्मिक सहायता ने बजट घाटे से निपटे के लिए, रास्ता आसान बना दिया है, लेकिन असल चुनौती उसके सामने यह है कि रिजर्व बैंक से मिली इस राशि के जरिए वह अर्थव्यवस्था को गति कैसे दे और लोगों की नौकरियां बचाने तथा नई नौकरियां पैदा करने में कामयाबी कैसे हासिल करे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

6. सभी को बिजली की पहुँच : एक विश्लेषण

संदर्भ

कुछ वर्षों में विद्युत क्षेत्र के तमाम उपक्षेत्रों में, चाहे यह बिजली उत्पादन हो, ट्रांसमिशन हो या वितरण हो, बुनियादी ढांचे के निर्माण में अभूतपूर्व तेजी देखी गयी है।

विनियामक ढांचे में सुधार किया जा रहा है जिसके तहत नयी शुल्क नीति बनायी गयी है और विद्युत अधिनियम में संशोधन किये गये हैं। कुल मिलाकर भारत के बिजली क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है।

परिचय

बिजली आधुनिक जीवन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे कारखाने चलाने हों, बिजली के पंपसेट चलाने हों या मोबाइल फोन चार्ज करने हों, तमाम कार्य बिजली से ही होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी बिजली पहली शर्त है क्योंकि इससे अब तक बाहरी दुनिया से अलग-थलग रहे लोगों के लिए संपर्क के नये दरवाजे खुल जाते हैं।

वर्तमान स्थिति

आज भी दुनिया भर में 1.2 अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें बिजली उपलब्ध नहीं हो पता है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान और नाइजीरिया में आधी आबादी के पास बिजली की सुविधा नहीं है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में विएना में प्रस्तुत की गयी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक दुनिया में हर व्यक्ति तक बिजली पहुंचाया जाना चाहिए। इसको लेकर वर्ल्ड बैंक द्वारा अंतर्राष्टीय स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो भारत 2018 में विश्व बैंक की बिजली प्राप्त करने की सुविधा संबंधी सूची में 24वं स्थान पर आ गया जबकि 2014 में वह 111वें स्थान पर था।

हाल ही में देश के हर एक घर को बिजली के जरिए रोशन करने का स्वप्न अब साकार होता दिख रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 99.92 फीसद परिवारों को बिजली की अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा चुका है। अब केवल नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के 19, 836 परिवारों को ही विद्युतीकरण प्रक्रिया से जोड़ा जाना शेष है, जिन्हें इस महीने के अंत तक विद्युतीकरण प्रक्रिया से पूर्णत: जोड़ दिए जाने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि 2014 में सरकार द्वारा देश के करीब ढाई करोड़ घरों को विद्युतीकरण के लिए चिन्हित किया गया था। इसके बाद सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर 33 हजार करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश के साथ 20 नवंबर, 2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आरंभ की थी। इसके तीन वर्ष बाद 25 सितंबर, 2017 को महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) की शुरूआत की गई, जिसका लक्ष्य 31 मार्च, 2019 तक बिजली से वंचित देश के सभी घरों को रोशन करना था। इस योजना के तहत सभी इच्छुक परिवार तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना को आधार बनाया गया और इसमें सूचीबद्ध परिवारों को इस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया कराया गया।

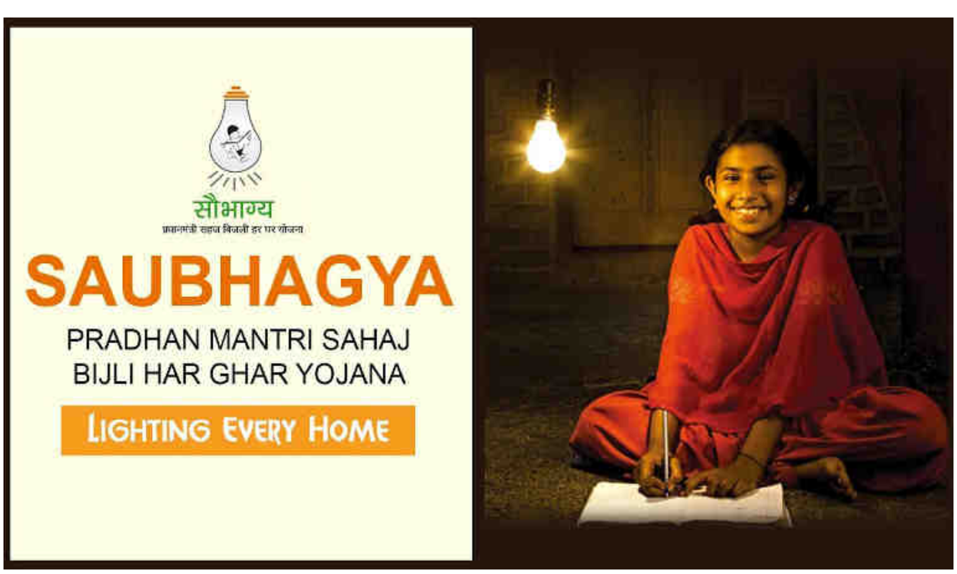

बिजली का महत्त्व

- किसी देश की आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में ऊर्जा संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
- बिजली की वजह से देश में सामाजिक बदलाव बड़ी तेजी से होता है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बिजली आने से लोगों के जीवन स्तर में तेजी से बदलाव आता है।
- बिजली सुविधा के विस्तार से देश में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में भी लगातार सुधार होता है। दूसरी तरफ बिजली के प्रयोग से प्रकाश और ऊर्जा के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता घटती है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा होती है।
- ऊर्जा के परंपरागत या गैर-नवीकरणीय स्रोतों के इस्तेमाल से जो जहरीला धुआं पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, वह बात बिजली के प्रयोग के साथ नहीं दिखती है।

सरकारी प्रयास

विगत कुछ वर्षों में सरकार ने विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास किये है। इन प्रयासों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- भारत सरकार ने एक लाख मेगावाट से अधिक नई उत्पादन क्षमता का सृजन किया है जिससे बिजली की कमी 4.2 प्रतिशत से घटकर लगभग शून्य के स्तर पर आ गयी है। इतना ही नहीं, आज भारत बिजली का निर्यातक भी बन गया है और नेपाल तथा बांग्लादेश को बिजली दे रहा है।
- सरकार द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य को बिजली के ट्रांसमिशन की क्षमता में एक लाख सर्किट किलोमीटर बढ़ोत्तरी की गई है और समूचे देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया गया है।
- सरकार ने प्रयासों के तहत सौर ऊर्जा पर आधारित एकल प्रणालियों के जरिए बिजली की व्यवस्था की है। इस प्रयास को पूरा करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विस्तृत बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है।

- सरकार ने गांवों में घरों और कृषि के लिए अलग-अलग फीडर लाइनें खींचने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया है इसके अलावा फीडर लाइनों से घरों और खेतों तक सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण करने वाले ढांचे को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की मात्रा का मीटर से हिसाब रखने की व्यवस्था की गयी है।
- इसके अतिरिक्त कई हजार किलोमीटर लंबी नयी बिजली लाइनें खींची गयी और वितरण के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा सौभाग्य कार्यक्रम के अंतर्गत 2.50 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। यह संख्या दक्षिण अफ्रीका जैसे दो देशों की आबादी के बराबर है और भारत ने यह कार्य 15 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिखाया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने के अलावा सरकार ने समन्वित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) भी शुरू की है जिसका मकसद शहरी इलाकों में विद्युत के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना है। आईपीडीएस के तहत जिन क्षेत्रों में विशेष जोर दिया जा रहा है, वे इस प्रकार हैं:
  - शहरी इलाकों में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना।
  - शहरी इलाकों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं को सुदृढ़ करना।
  - वितरण क्षेत्र को आई.टी. से समन्वित करना और इसे स्वचालन में समक्ष बनाना।
- गौरतलब है कि सरकार जहां एक ओर विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है, वहीं सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के तौर-तरीकों का भी पता लगाया जा रहा है।
- इस क्षेत्र में सरकार द्वारा कई अभिनव और दूरदर्शितापूर्ण उपाय किये गये हैं। घरों में ऊर्जा की किफायत करने वाले एल.ई.डी. बल वितरित करने का कार्यक्रम 'उजाला' और परम्परागत स्ट्रीटलाइट लगाने के लिए स्ट्रीटलाइट नेशनल प्रोजेक्ट (एल.एल.एन.पी.) से अरबों यूनिट बिजली की सलाना बचत की जा रही है।
- इनके अलावा विद्युत उपकरणों की ऊर्जा दक्षता प्रदर्शित करने के लिए उनपर 'स्टार लेबल' लगाने का कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (पी.ए.टी.) कार्यक्रम के तहत ऊर्जा के उपयोग में दक्षता के उपाय भी बिजली की किफायत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

अन्य प्रयास

- सरकार द्वारा हाल ही में एक नयी शुल्क नीति को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं। इस नीति में 1 अप्रैल, 2019 से बिजली की निर्बाध आपूर्ति (सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे) करना अनिवार्य बना दिया गया है।
- सरकार भविष्य के लिए एक अन्य क्षेत्र में भी कार्य कर रही है और वह है स्मार्ट बिजली मीटर। उल्लेखनीय है कि सरकार ने तीन साल के भीतर देश में तमाम पुराने तरह के बिजली मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया है।
- इससे सकल ट्रांसमिशन और वाणिज्यिक नुकसान कम होगा, डिस्कॉम की हालत में सुधार होगा, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा और बिजली बिलों के भुगतान में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं इससे युवाओं के लिए कौशल युक्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
- ठीक इसी तरह सरकार ने बिजली से चलने वाले वाहनों (ई.वी.) को जोरदार तरीके से बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

चुनौतियाँ

- इतने बड़े प्रयासों के बावजूद, बिजली आज भी गरीबों से दूर है। बिजली के खंभों और तारों का विस्तार तो हुआ है लेकिन घरों में बिजली का निर्बाध प्रवाह नही हो पा रहा है।
- हाल ही में छह प्रमुख राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 2015 से अब तक 9,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों पर नजर रखने के लिए बनी काउंसिल द्वारा और बिजली सर्वेक्षण की पहुंच (ACCESS) रिपोर्ट में बताया गया कि बिजली ,जल (सीईईवी) कनेक्शन और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के बीच में काफी अंतराल बढ़ा है। जबकि 2015 में बिजली आपूर्ति 12 घंटे के औसत से बढ़कर 2018 में 16 घंटे हो गया, लेकिन यह अभी भी 24×7 के लक्ष्य से दूर है।
- इसी प्रकार, पिछले तीन वर्षों में वोल्टेज की वृद्धि कम हुई है, लगभग एक चौथाई ग्रामीण परिवार अभी भी महीने में कम से कम पांच दिनों के लिए कम वोल्टेज की समस्या की रिपोर्ट करते हैं।
- राज्य बिजली वितरण कंपनियों के संचालन और प्रदर्शन से संबंधित अपनी अलग चुनौतियाँ है।
- बुनियादी ढांचे की योजना, तैनाती, साथ ही रखरखाव स्थानीय स्तर पर अविश्वसनीय और खराब आपूर्ति की भी चुनौती बनी हुई है।
- गौरतलब है कि छह राज्यों में तीस प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकृत घरों में महीने में चार दिन से अधिक बिजली आपूर्ति नहीं होती थी, जो बुनियादी ढांचे के लगातार कमजोर होने के साथ उनकी मरम्मत में देरी का संकेत देती है।
- एक अन्य समस्या यह भी है कि फ्लैट शुल्क के साथ बिना कनेक्शन वाले कनेक्शन घरों को ऊर्जा की खपत के बारे में विवेकपूर्ण होने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता हैं।
- इन राज्यों में (DISCOM) अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने और बनाए रखने के लिए सीमित या गैर-निष्पादित कर्मचारियों के साथ संघर्ष करते हैं।
- मीटर वाले घरों में से एक चौथाई को या एक निश्चित बिल नहीं मिलाता जो दर्शाता है कि डिस्कॉम (DISCOMs) में मीटर को पढ़ने और नियमित रूप से बिल जेनरेट करने की क्षमता नहीं है। बिजली की चोरी और भुगतान की चूक DISCOMs के लिए एक अन्य बड़ी चुनौतियाँ हैं।

सुझाव

- हालांकि, देश के हर एक घर तक बिजली पहुँचना अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। लेकिन, इसके साथ ही ऊर्जा के इस स्रोत के संरक्षण के लिए भी हमें तत्परता दिखानी होगी।
- यह सही है कि हम व्यक्तिगत तौर पर बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते, लेकिन बिजली

बचाकर भी हम इसके उत्पादन में अपना अहम योगदान दे सकते हैं।

- मौजूदा समय में जब देश ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और विद्युतीकृत इलाकों में भी उपभोक्ताओं को बिजली की अनियमितता परेशान कर रही है, तब ऊर्जा संरक्षण देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक अनिवार्य कर्तव्य बना दिया जाना चाहिए।
- मौजूदा समय की यह मांग भी है कि अब ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों के इस्तेमाल पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। यदि हरेक नागरिक अपने घर में अनावश्यक प्रयोग हो रहे बिजली के उपकरणों पर नियंत्रण रखता है, तो प्रतिदिन कई हजार मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। इस बिजली का प्रयोग उन इलाकों में रोशनी के लिए किया जा सकता है, जो विद्युतीकरण योजना से जुड़े तो हैं, लेकिन बिजली की सप्लाई वहां बहुत कम समय के लिए होती है। साथ ही, इससे देश के अनेक हिस्सों में व्याप्त बिजली की परेशानी की समस्या पर भी लगाम लग सकेगी।
- दूसरी ओर, घरों में रोशनी के लिए सौर ऊर्जा द्वारा संचालित बैटरी तथा एलईडी बल्बों का प्रयोग कई मायने में बेहतर हो सकता है। देखा जाए तो जलवायविक विविधता वाले भारत में ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों के विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कमजोर अर्थव्यवस्था और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में देश में सौर, पवन, जल व भूतापीय ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है।
- अगर इनका समुचित विकास होता है तो ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोतों पर दबाव निश्चित तौर पर कम होगा, जिससे हमारा पर्यावरण सेहतमंद हो सकता है।
- एक नई बिजली प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, जो स्मार्ट प्रौद्योगिकियों और विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोणों पर निर्मित होती है, जो लचीलापन, लचीलापन और सबसे बढ़कर, समावेशीता प्रदान करती हो।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि बिजली भारत के विकास का इंजन है। ऐसे में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराए। यही वजह है कि विद्युत उत्पादन को स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के मानदंडों पर खरा बनाए रखने के लिए सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से प्राप्त करने की योजना बनायी है। इसमें से 100 गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से प्राप्त होगी। नवीकरणीय ऊर्जा की समग्र संस्थापित क्षमता पिछले साढ़े चार साल में 34,000 मेगावाट से बढ़ाकर 72,000 मेगावाट कर दी गयी है। इसी तरह पिछले चार साल में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने क्षमता में आठ गुना बढ़ोत्तरी हुई है। जो सराहनीय कार्य रहा हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

7. जलवायु परिवर्तन एवं भारत के तटीय इलाकों की सुरक्षा

चर्चा का कारण

हाल के समय में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों की बारंबारता एवं उनकी तीव्रता में वृद्धि देखी गई है। चक्रवात 'फानी' इसका बेहतर उदाहरण है। इन चक्रवातों के कारण तटीय क्षेत्रों में लोगों का जन-जीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि सरकार इससे बचने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही हैं फिर भी यह वर्तमान समय में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।

परिचय

वर्तमान समय मे लोगों को एक के बाद एक तीव्र कुदरती आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कई आपदाओं की वजह क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन है। इन आपदाओं से देश के तटीय क्षेत्रों के लिए जोखिम बढ़ा है। हाल में फानी, गाजा और हुदहुद जैसे प्रचंड चक्रवातों और बाढ़ ने क्रमश: ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे तटीय राज्यों में भारी तबाही मचाई है।

कुदरती आपदाओं से इन राज्यों में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा था, जिसे फिर से बनाने में राज्यों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मिसाल के लिए, केरल में अगस्त 2018 में आई बाढ़ में 2,80,000 घर, 1,40,000 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल और करीब 70,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क बर्बाद हो गया था।

अध्ययनों और डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि तटीय क्षेत्रों को इससे उबरने और बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने में पांच से 10 साल का समय लगेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले वर्षों में क्लाइमेट चेंज से जुड़ी ऐसी आपदाएं बार-बार आएंगी और इनकी तीव्रता भी बढ़ेगी। इससे भारत के तटीय क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं से निपटने में भारत का तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम है और क्या हमारा कोस्टल (तटीय) इकोसिस्टम ऐसी आपदाओं का सामना करने और उससे उबरने की क्षमता रखता है।

प्राकृतिक आपदाओं में भारत की स्थिति

जलवायु परिवर्तन से होने वाली कुदरती आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, घनी आबादी और खेती, पर्यटन, मछली पालन और व्यापार जैसी आर्थिक गतिविधियों के कारण तटीय क्षेत्रों पर ऐसी आपदाओं से भारी नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। देश का तटीय क्षेत्र 7,517 किलोमीटर लंबा है, जहां 26 करोड़ यानी भारत की एक तिहाई आबादी रहती है। ये लोग समुद्र तट से 50 किलोमीटर के दायरे में और निचले क्षेत्रों में रहते हैं। इन पर हमेशा ही जलवायु परिवर्तन और मौसमी आपदाओं का खतरा बना हुआ है।

देश के 84 तटीय जिलों में आने वाले 130 कस्बों और 77 शहरों की व्यापक सामाजिक-आर्थिक अहमियत है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे घनी शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स हैं, जिनका हमारी अर्थव्यवस्था और ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान है। इन जगहों पर ट्रांसपोर्ट और फ्रेट (माल ढुलाई) के नेटवर्क, रोड और रेल कॉरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र और पार्क्स, समुद्री और बंदरगाह सुविधाएं, पेट्रोलियम उद्योग और रिफाइनरी हैं।

देश में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में से 60 प्रतिशत देश के 9 तटीय

राज्यों को मिलता है। देश के आर्थिक विकास में इनसे जो मदद मिलती है, अब उस पर जलवायु परिवर्तन की काली छाया पड़ गई है। इन क्षेत्रों के सामने समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी, बाढ़, तूफान और चक्रवात जैसी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ग्रीन हाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन (एमिशन) में बढ़ोतरी से जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम बढ़ने और इससे तटीय ईकोसिस्टम को खतरा पैदा होने की आशंका है। 1877 से 2005 के बीच भारत के तटीय इलाकों में कुल 283 चक्रवात आए थे। इनमें से 106 बड़े चक्रवात थे। पूर्वी तटीय क्षेत्र में इनका दायरा 50 किलोमीटर तक रहा था। वहीं, 35 चक्रवात पश्चिम तटीय क्षेत्रों में आए थे और उनकी तीव्रता कम थी। 19 गंभीर चक्रवाती तूफानों में मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक रही।

चक्रवातों से नुकसान का आकलन

2014 में देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र को निशाना बनाने वाले हुदहुद चक्रवात से करीब 90 हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। हाल में आए फानी चक्रवात पर ओडिशा सरकार के शुरुआती अनुमान के मुताबिक 5 लाख घरों और 6,700 अस्पताल की इमारतों और 1.88 लाख हेक्टेयर जमीन पर हो रही खेती और 34 लाख पशुओं को नुकसान पहुंचा था। पुरी जिले, खुर्दा और भुवनेश्वर के कुछ हिस्सों में इस चक्रवात के कारण इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो गया था। इससे कुल नुकसान 50 हजार करोड़ तक पहुंच गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचे नुकसान से 1.51 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, जो राज्य के 16,659 गांवों में रह रहे थे।

इसी तरह 2018 में केरल में आई बाढ़ से 2.80 लाख घर बर्बाद हुए थे और 1.40 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल तबाह हो गई थी। इससे करीब 70 हजार किलोमीटर के रोड नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचा था।

इसके अलावा देश के तटीय इलाके पहले ही समुद्र के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हैं, जिसमें 1950 के दशक से प्रति वर्ष 2.5 मिलीमीटर (mm) की दर से बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2050 तक देश के तटीय इलाकों में समुद्र के जलस्तर में 35 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे 5,763 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित होगा। इससे कई तटीय इलाके समुद्र में डूब जाएंगे, वहां बाढ़ के खतरे बढ़ेंगे और चक्रवात और तूफान का प्रकोप भी बढ़ेगा, इससे भी तटीय क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभावित होने की आशंका है।

क्लाइमेट चेंज के कारण वर्ष 2105 तक दुनिया भर में 43 लाख करोड़ डॉलर तक की संपत्तियों (आज की विनिमय दर के हिसाब से) के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। इसके साथ आबादी में तेज बढ़ोतरी और उसी वजह से बढ़ते शहरीकरण से दुनिया भर में नदियों और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से वर्ष 2050 तक 158 लाख करोड़ डॉलर की संपत्तियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है, जबकि वर्ष 2010 में यह आंकड़ा 46 लाख करोड़ डॉलर का था। साल 2006 से 2015 के बीच बार-बार कुदरती आपदाओं से प्रभावित होने वाले दुनिया के पांच शीर्ष देशों में भारत भी शामिल रहा है। विश्व बैंक का कहना है कि भारत में 8 प्रतिशत भू-भाग में बाढ़ का खतरा है। 5,700 से 7,500 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित हो सकते हैं और देश का 68 प्रतिशत क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है। अलग-अलग आपदाओं से देश का औसत नुकसान 9.8 अरब डॉलर है, जिसमें से 7.4 अरब डॉलर का नुकसान तो सिर्फ बाढ़ से होता है। एशियन डिवेलपमेंट बैंक का कहना है कि भारत में क्लाइमेट की वजह से वर्ष 2050 तक सालाना जीडीपी के 1.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा

तटीय क्षेत्र का महत्त्व

देश के तटीय क्षेत्र आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से काफी अहमियत रखते हैं। मात्रा के लिहाज से उनका 90 प्रतिशत व्यापार (या कीमत के लिहाज से 70 प्रतिशत) समुद्री रास्ते से होता है। लोगों की जिंदगी और जीवनयापन में मददगार तटीय क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में घर, अस्पतालों की इमारतें, यातायात नेटवर्क, बंदरगाह और शिपिंग उद्योग शामिल हैं, इसलिए ग्रोथ और डिवेलपमेंट में इन क्षेत्रों की बड़ी अहमियत है। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य की खातिर आज हम जो निवेश कर रहे हैं, वह किसी कुदरती आपदा की भेंट चढ़ जाए। इसलिए कई क्षेत्रों की कंपनियां इन इलाकों में कमाऊ संपत्तियां खड़ी करने से बच रही हैं और उनके पास इन्हें लेकर लंबे समय की कोई योजना भी नहीं है। पिछली आपदाओं में हुए नुकसान के कारण तटीय इलाकों में उद्यमी ऊंचे रिटर्न वाले निवेश नहीं करते। इससे इनोवेशन पर बुरा असर पड़ता है। नए रोजगार पैदा नहीं होते। लिहाजा, डिवेलपमेंट के मौके हाथ से निकल जाते हैं। बड़ी कंपनियां यहां से उन जगहों पर शिफ्ट हो जाती हैं, जहां उन्हें ऐसी आपदाओं की आशंका कम दिखती है। इससे तटीय क्षेत्रों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ती हैं।

बुनियादी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता

इस क्षेत्र के लिए विकसित की गई आधारभूत संरचनाओं की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि प्लानिंग के साथ इनका डिजाइन तैयार किया जाता है और फिर उनका निर्माण होता है। क्लाइमेट चेंज के अनुमान के आधार पर इन्हें बनाया जाता है और उनमें बदलाव किया जाता है। यह आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करता है। साथ ही, इससे जलवायु में बदलाव के कारण होने वाले नुकसान से तेजी से उबरने में भी मदद मिलती है।

भारत में अभी तक पूरी तरह से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी नहीं हुआ है। इसलिए उसके पास तटीय इलाकों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का मौका है, जो कुदरती आपदाओं को झेल सके. इसके लिए देश को अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।

केंद्र और राज्य स्तर के योजनाकारों को तटीय क्षेत्रों के लिए पैदा होने वाले जोखिम का अंदाजा लगाना होगा। उन्हें यह भी देखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह का नुकसान पहुंच सकता है। इस आधार पर उन्हें नए इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनानी होगी या पुराने में सुधार करना होगा। अभी या तो सरकारों पर ऐसे असेसमेंट है ही नहीं या जो हैं, वे इस्तेमाल करने वाले फॉर्मेट में नहीं हैं। इसलिए इनके आधार पर नीतियां बनाने और फैसले करने संभव नहीं है। मिसाल के लिए, सी लेवल राइज (SLR) प्रोजेक्ट में 100 वर्षों के लिए अनुमान लगाए गए हैं, जबकि विकास की योजना हद से हद 10-15 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है।

तटीय इलाकों की सरकारों ने सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (SFDRR) के तहत डिजास्टर लॉस डेटाबेस भी तैयार किए हैं। उनकी इस पहल से तूफानों और चक्रवातों में मरने वालों की संख्या काफी कम हुई है। 1999 में जहां इससे 10 हजार लोगों की जान गई थी, वहीं 2014 में हुदहुद चक्रवात से सिर्फ 24 लोगों की मृत्यु हुई। 2019 में फणी चक्रवात में तो यह घटकर 16 पर आ गई।

तटीय शहरों में मास्टर और लैंड यूज प्लानिंग में अब पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी चिंताएं भी मुख्यधारा में आने लगी हैं। जवाहरलाल नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (JNNURM)- जिसका नाम बदलकर अटल मिशन ऑन रिजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) कर दिया गया है- जैसी केंद्रीय योजना के जरिये शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए फंड दिया जा

रहा है। JNNURM योजना में सात वर्षों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। इसमें खासतौर पर घर बनाने और शहरों में बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है।

चुनौतियाँ

दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने के लिए नीति निर्माताओं और योजनाकारों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन का व्यापक ब्योरा, उसकी उम्र, अधिकतम क्षमता और लोकेशन आदि की जानकारी होना जरूरी है। हालांकि, देश का कोई भी राज्य अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के ताजा आंकड़े नहीं रखता। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज डेटा कई विभागों के बीच बंटे होते हैं। इन आंकड़ों को एक जगह स्टोर नहीं करने या मेंटेन न करने से नीति निर्माताओं के लिए रणनीतिक योजनाएं और डिजाइन तैयार करने में इनसे मदद नहीं मिलती है। तटीय क्षेत्रों में पानी, सीवेज, दूरसंचार और सड़क जैसे क्षेत्रों में ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना बनाने का काम अलग-अलग सरकारी विभागों के पास होता है। वहां मल्टी-सेक्टर प्लानिंग को जोड़ने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारक्षेत्र को लेकर विवाद और कई मामलों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के हक जताने से आपदाओं से निपटने वाले उपायों को लागू करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा, मौसम में अचानक आने वाले बदलावों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा पैदा होने की एक वजह केंद्रीय दिशानिर्देशों पर अमल नहीं होना है। शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने इमारतों और कुदरती आपदा में टिके रहने वाले निर्माण के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 जारी किए हैं, जिनमें जोखिम के आधार पर उनके वर्गीकरण की बात है। हालांकि, जोखिम के दायरे में आने वाले अधिकतर शहर इन पर अमल नहीं करते।

देश की अर्थव्यवस्था को पिछले 20 वर्षों में कुदरती आपदाओं से 79.5 अरब डॉलर का भारी-भरकम नुकसान हुआ है। विडंबना यह है कि इसके बावजूद अधिकांश सरकारी नीतियों, आपदा राहत संस्थाओं, स्थानीय समुदायों या कंपनियों के तौर-तरीकों में इसे कम करने की पहल शामिल नहीं की गई है।

केंद्रीय कैबिनेट ने कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन (तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना), 2018 को मंजूरी दी थी। आधिकारिक बयानों के मुताबिक, 'इससे तटीय क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ेंगी,' हालांकि पर्यावरण कार्यकर्ता ऐसा नहीं मानते। उनका आरोप है कि' क्लाइमेट चेंज से भारत के तटीय क्षेत्रों के सामने चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं का जोखिम बना हुआ है, इसलिए समुद्र तट के करीब कंस्ट्रक्शन (निर्माण) और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट से यह खतरा और बढ़ सकता है। भारत ने 6,068 किलोमीटर के मुख्य तटीय क्षेत्र को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खोलकर वहां के पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जोखिम बढ़ा दिया है, जो पहले से ही मौसम में अचानक होने वाले बदलाव और समुद्र के बढ़ते जलस्तर से खतरे की जद में हैं। इससे वहां रहने वाले लोगों का जीवन भी जोखिम में पड़ सकता है।

विश्लेषण

जरूरी कानून या सांस्थानिक ढांचे के अभाव के कारण तटीय क्षेत्रों में क्लाइमेट-रिजिलिएंट डिवेलपमेंट नहीं हो रहा है। केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों को सही जोनिंग रेगुलेशंस, बिल्डिंग बायलॉज बनाने और लैंड यूज की पाबंदियां लगाने की जरूरत है ताकि तटीय क्षेत्रों के ईकोसिस्टम की रक्षा की जा सके। इससे भविष्य में पर्यावरण संबंधी असर से इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने में भी मदद मिलेगी।

बार-बार आने वाली आपदाओं और उनके जोखिम को देखते हुए घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों को कानूनी जरियों से सहयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना होगा। उदाहरण के लिए, समुद्र का पानी ऊपर आने से बाढ़ और तटीय इलाकों में जहां कूड़ा डंप किया जाता है, उनका क्षरण होगा। ये डंप साइट्स निचले इलाकों में हैं इसलिए इनसे तटीय क्षेत्रों में पेयजल के स्रोतों में प्रदूषण और बढ़ेगा।

इसलिए अगर वार्ड या जिला स्तर पर कूड़ा प्रबंधन होता है तो कुदरती आपदा की स्थिति में इस समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और पानी के स्रोतों के प्रदूषित होने का जोखिम भी घटेगा। इसके लिए राज्य स्तर पर जरूरी नीतियां बनानी होंगी और उन्हें लागू करने के लिए सांस्थानिक ढांचा भी खड़ा करना होगा। सरकार और स्वयंसेवी संगठनों के बीच साझेदारी से स्थानीय लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव, प्रबंधन और संचालन की ट्रेनिंग दी जा सकती है।

तकनीक की मदद से मॉडल तैयार करके इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन का क्या असर होगा और किन क्षेत्रों को सबसे अधिक खतरा है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, उनकी लोकेशन के बारे में फैसला करने में मदद मिलेगी। चक्रवात और तूफान के संभावित असर या बाढ़ के असर का तकनीकी मॉडल तैयार करने से भविष्य के जोखिम का व्यापक अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी इसलिए स्थानीय क्षेत्र की बनावट, ड्रेनेज फ्लो पैटर्न और ऊपरी क्षेत्रों में बसावट जैसी जानकारियों को नियमित तौर पर साझा करने से आपदा के दुष्प्रभाव से संबंधित क्षेत्र को बचाने में मदद मिलेगी।

भारत के पास कुदरती आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए शानदार सांस्थानिक ढांचा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी (NRSA) से वेदर सिस्टम के लिए हाई-रिजॉल्यूशन इमेज मिल सकती हैं। GSI अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकता है और इससे शायद सूनामी का भी पहले पता चल सकता है। इन संस्थानों की क्षमता का इस्तेमाल करके टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन तैयार किया जा सकता है और फिर उसकी योजना बनाने के बाद निर्माण किया जा सकता है।

तटीय क्षेत्रों में कुदरती आपदा के वक्त टिके रहने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना देश के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि उसके लिए संसाधनों का अभाव है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात फंडिंग कहां से हो रही है और उसके तरीके क्या हैं, इसकी पड़ताल है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में शुरू में सस्ते सरकारी फंड से काफी मदद मिलती है क्योंकि तब ऐसी योजनाओं में निवेश में काफी जोखिम भी होता है। इस वजह से निजी क्षेत्र से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए पैसा जुटाना बहुत जरूरी है। पेंशन फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम और सॉवरिन वेल्थ फंड (विदेश की सरकारों के अपने फंड) से इन योजनाओं के लिए अतिरिक्त पैसा जुटाया जा सकता है।

समुद्र के बढ़ते जलस्तर और मौसम में अप्रत्याशित और अचानक होने वाले बदलाव से देश के तटीय क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए इनोवेटिव उपाय करने होंगे। इसमें सड़कों को सामान्य सतह से ऊपर बनाना, वॉटर ट्रीटमेंट वर्क, डिजाइन और मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स में सुधार जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन में बेहतर मटीरियल का इस्तेमाल और कामकाज में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी जरूरी है।

राज्य और शहर के स्तर पर नीति निर्माताओं, समुदायों और शहरों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। कुदरती आपदाओं से बचाव के लिए शहर के स्तर पर योजना बनाने की

अहमियत के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक करना होगा क्योंकि स्थानीय लोगों के समर्थन और उनकी मांग से अक्सर नीति-निर्माण और योजना को लेकर सर्वसम्मति बनाने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि मानव अपने विनाश की लीला स्वयं रच रहा है। इस संदर्भ में तेज गति से हो रहा जलवायु परिवर्तन इसका बेहतर उदाहरण है। जिस तरह से मौसम का मिज़ाज बदल रहा है उससे साफ-साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि भविष्य में मानव जाति के लिए चुनौती विकराल होने वाली है, फिर भी मानव स्वार्थ से परिपूर्ण होकर प्रकृति का अनावश्यक दोहन कर रहा है।

वैज्ञानिक अनुसंधानों और अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि यदि मानव अभी भी नहीं जागा तो वह अपने बचाव में बहुत देर कर चुका होगा जिसका खामियाजा तटीय देश व राज्य जल्दी भुगतेंगे। क्योंकि उससे बचने के लिए 2050 तक जितने आधारभूत संरचना की आवश्यकता है इससे आधे का भी विकास अभी नहीं हो पाया है। अतः सरकार को इस ओर तेज गति से ध्यान देना होगा ताकि न सिर्फ प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सके बल्कि मानव को भी बचाया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. फिट इंडिया अभियान : कितना फिट है भारत

प्र. फिट इंडिया अभियान की आवश्यकता का वर्णन करते हुए बताएँ कि इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खेल दिवस (29 अगस्त) के अवसर पर फिट इंडिया अभियान (Fit India Movement) की शुरूआत की। इस दौरान उन्होंने देश के लोगों को फिटनेस पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया।

फिट इंडिया अभियान की आवश्यकता क्यों

- 'फिट इंडिया' अभियान स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक अनोखा और रोमांचक अवसर हो सकता है। इस अभियान के अंतर्गत व्यक्ति और संगठन अपने एवं साथ के अन्य लोगों और संगठन के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विभिन्न प्रयास कर सकते हैं।
- सफलता का संबंध फिटनेस से होता है और जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित करने वाले लोगों की सफलता में एक समानता है, उनका फिट रहना।

वर्तमान में बीमारियों से होने वाली मौतें

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2016 में पूरे विश्व में बीमारियों से 95 लाख 69 हजार लोगों की जान चली गई। इनमें 63 फीसदी मौतें गैर-संक्रामक रोगों से हुईं।
- गैर-संक्रामक रोगों से मरने वाले पुरूषों की संख्या 33 लाख 13 हजार जबकि महिलाओं की संख्या 26 लाख 82 हजार रही।

फिट इंडिया मुहिम की खास बातें

- उल्लेखनीय है कि इस अभियान में खेल मंत्रालय के साथ मानव संशाधन विकास मंत्रालय (MHRD) और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj and Rural Development) मिलकर काम करेंगे और देश में फिटनेस के प्रति जागरुकता फैलाएंगे।
- सरकार इस अभियान को करीब चार साल तक चलाएगी। फिटनेस को लेकर हर साल अलग-अलग विषयों पर अभियान चलाया जाएगा। पहले साल शारीरिक फिटनेस, दूसरे वर्ष खाने की आदत, तीसरे वर्ष पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली और अंतिम साल रोगों से दूर रहने के तरीकों के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी।

आगे की राह

- सरकार द्वारा 'फिट इंडिया अभियान' का चलाया जाना स्वास्थ्य को लेकर सरकार की गंभीरता को बताता है। दरअसल स्वस्थ भारत ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर भारतीयों के सेहत में सुधार आ जाए तो भारत की जीडीपी में 1.4% का इजाफा किया जा सकता है। ■

2. भारत में पुलिस की स्थिति रिपोर्ट 2019: एक परिचय

प्र. "स्टेट्स आफ पुलिसिंग इन इंडिया" पर जारी रिपोर्ट भारतीय पुलिस व्यवस्था को किस प्रकार इंगित करता है? चर्चा करें।उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर ने एनजीओ कॉमन कॉज एंड सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के लोकनीति कार्यक्रम द्वारा तैयार "स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया" पर रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- यह रिपोर्ट उन कार्य-परिस्थितियों के बारे में बताती है जिन स्थितियों में भारतीय पुलिस कार्य करती है।
- एक तिहाई पुलिस अफसरों ने यह माना है कि यदि उन्हे समान वेतन और सुविधाओं वाली कोई अन्य नौकरी दी जाए तो वे अपनी पुलिस को नौकरी छोड़ देंगे।
- तीन में से एक पुलिसवाले का मानना है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ पुलिस फोर्स के भीतर भेदभाव होता है।

पुलिस सुधार की आवश्यकता

- पुलिस बल की कमियों को दूर करने के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं। अलग-अलग राज्यों ने इससे संबंधित आयोगों का गठन किया है। दुर्भाग्यवश किसी भी आयोग ने पुलिस बल पर पड़ने वाले अवांछित दबावों से उसे बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किए।
- सन् 1977 में तत्कालीन केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया था। 1979-81 के बीच आयोग ने आठ विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। लेकिन भारत की केन्द्रीय सरकार ने इन रिपोर्टों में प्रस्तावित सुधारों का उपयोग केवल दिखावे के लिए किया।

पुलिस सुधारों के लिये विभिन्न आयोग तथा समितियाँ

- धर्मवीर आयोग (राष्ट्रीय पुलिस आयोग): पुलिस सुधारों को लेकर 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित इस आयोग को राष्ट्रीय पुलिस

आयोग कहा जाता है। चार वर्षों में इस आयोग ने आठ रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थीं, लेकिन इसकी सिफारिशों पर कुछ नहीं हुआ।

वर्तमान परिदृश्य संतोषजनक नहीं

- भारत में वर्तमान पुलिस व्यवस्था की बात करें तो स्थिति संतोषजनक नहीं है। आजादी के बाद से लेकर न जाने कितने पुलिस सुधार कमेटी का गठन किया गया लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक ने पुलिस सुधार पर उदासीनता का परिचय दिया है।

चुनौतियाँ

- रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि अपराध के बदलते तरीकों से निपटने के लिए भारतीय पुलिस उतनी सक्षम नहीं है जितनी कि आर्थिक अपराध, डेटा चोरी और साइबर अपराध।
- पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के अभाव में पता ही नहीं है कि अदालत में मामला कैसे पेश किया जाए या फिर एफआईआर किस तरह दर्ज की जाए।

आगे की राह

- स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया पर जारी रिपोर्ट न सिर्फ चौकाने वाली है बल्कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। पुलिस जिसपर की नागरिकों की सुरक्षा के जिम्मेवारी है वे खुद अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है। ■

3. भोजन का अधिकार बनाम उपलब्धता

प्र. भोजन का अधिकार क्या है? देश के सभी नागरिकों को भोजन का अधिकार प्राप्त हो इसके लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भूख और कुपोषण से निपटने के लिये सामुदायिक रसोई योजना तैयार करें। यह याचिका न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध की गई है।

परिचय

- भोजन का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (International Human Rights) द्वारा स्थापित सिद्धांत है। यह सदस्य राज्य के लिये खाद्य सुरक्षा के अधिकार के सम्मान, संरक्षण और पूर्ति हेतु दायित्व का निर्धारण करता है। खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत चार प्रमुख आयामों यथा शीघ्र पहुँच, उपलब्धता, उपयोग और स्थिरता को शामिल किया जाता है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान समय में भोजन के अभाव की समस्या से दुनिया के अधिकांश देश जूझ रहे हैं। यूनिसेफ की मानें तो दुनिया में कुपोषण के शिकार कुल बच्चों की तादाद तकरीबन 14.6 करोड़ से भी अधिक है। कुपोषण के मामले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति महिलाओं की है। यदि दुनिया में भूखे लोगों की आबादी में भारत की हिस्सेदारी देखें तो यह कुल 24 फीसदी के करीब बैठती है। 2018 की फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 20 करोड़ लोग कुपोषित हैं. भारत में कुपोषण विश्व और एशिया दोनों के स्तर से करीब 15 प्रतिशत अधिक है।"
- इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में यह भी पता चलता है कि स्टंटिंग की समस्या जिला स्तर पर (12.4-65.1%) अलग-अलग है और लगभग 40% जिलों में स्टंटिंग का स्तर 40% से ऊपर है। उत्तर प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है जहाँ 10 में से छह जिलों में स्टंटिंग की उच्चतम दर है।

भोजन के अधिकार की संवैधानिक स्थिति

- गौरतलब है कि भोजन का अधिकार प्रत्यक्ष भारतीय संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि जीवन के अधिकार (अनु०-21) के तहत भोजन का अधिकार सम्मान, नियोजन आदि के अधिकार में अंतर्निहित है। राज्यों को ऐसी नीति बनाने का संविधान द्वारा निर्देश है कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के समुचित साधन प्राप्त करने का अधिकार हो तथा राज्य नागरिकों के पोषाहार तथा जीवन स्तर को उठाने व जन स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करें। अनुच्छेद 39 (ए) तथा 47 में कहा है कि यह राज्य का प्राथमिक दायित्व होगा।

सरकारी प्रयास

- भारत मे पोषण और आजीविका की चुनौतियों से निपटने और यह सुनिश्चत करने के लिए कि कमजोर वर्ग पिछड़ नहीं रहे, संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक समूह सरकार के साथ पोषण सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही घरों में आहार और देखभाल के तौर-तरीकों में भी सुधार किया जा रहा है।

चुनौतियाँ

- वर्तमान में सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गरीबी विरोधी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है बावजूद इसके इनसे लाभान्वित होने और लाभान्वित न होने वालों के बीच बहुत बड़ा अंतर है।

आगे की राह

- वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और 2050 तक इसके 9.6 अरब तक पहुंचने के उम्मीद है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन का अधिकार दिलाने के लिए कृषि और खाद्य प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद और अधिक लचीला एवं टिकाऊ उत्पादक बनाने की आवश्यकता होगी। इसको लेकर अंतर्राष्टीय और राष्टीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयास सराहनीय हैं। ■

4. भारत में रैगिंग का रोग

प्र. रैगिंग क्या है? छात्र के जीवन में इसके प्रभावों का वर्णन करते हुए बताएँ कि सरकार ने रैगिंग रोकने की दिशा में क्या प्रयास किया है?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के बावजूद देशभर के कुछ कॉलेजों में रैगिंग के मामले सामने आए हैं। 20 अगस्त को इटावा

के सैफई मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ छात्रों द्वारा रैगिंग के नाम पर करीब 150 जूनियर छात्रों के जबरन सिर मुंडवा दिए गए।

परिचय

- रैगिंग वरिष्ठ छात्रों और नए छात्रों के बीच परिचय करने के ऐसे साधन के तौर पर शुरू की गई थी जिसमें हल्का-फुल्का हंसी-मजाक और मनोरंजन भी शामिल होता था लेकिन आधुनिकता के साथ रैगिंग के तरीके भी बदलते गए और रैगिंग के नाम पर अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा।

कारण

- कई बार कॉलेज छात्र अपने दोस्तों के बीच अपना दबदबा कायम करने के लिए या फिर, उनके बार-बार कहने और उकसाने पर नए छात्रों की रैगिंग कर देते हैं।
- कभी कभी रैगिंग का कारण अमीर, नए या जूनियर छात्रों से रुपये, या अन्य गिफ्ट हासिल करना होता है।

रैगिंग के प्रभाव

- **आत्महत्या कर लेना:** भारत में रैगिंग से परेशान होकर बहुत से छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मौत को गले लगा लिया। इसके पीछे वरिष्ठ छात्रों द्वारा उन्हें बार-बार प्रताड़ित करना था।
- **स्कूल-कॉलेज छोड़ देना:** बहुत से छात्र रैगिंग से परेशान होकर स्कूल कॉलेज तक छोड़ देते हैं।

कानूनी प्रवधान

- 11 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट कहा कि रैगिंग में संलिप्त पाए गए छात्र के विरुद्ध क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए।
- 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग पर संज्ञान लेते हुए इसकी रोकथाम के लिए सीबीआई के पूर्व निदेशक ए. राघवन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी।

आगे की राह

- भारत के राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग ने अपने आरम्भिक समय से ही रैगिंग पर काम करना शुरू कर दिया था, बावजूद इसके रैगिंग की घटनाएँ रूकने का नाम नही ले रही हैं। ऐसे में आवश्यकता व्यक्तिगत स्तर पर इसे रोकने की है। ■

5. आरबीआई द्वारा सरकार को मुद्रा हस्तांतरण और विवाद

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि आरबीआई द्वारा सरकार को वित्त हस्तांतरण करना, देश में मंदी की आहट को दर्शाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए लाभांश और सरप्लस पूंजी देने का फैसला किया है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने विमल जालान समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं।

परिचय

- आरबीआई के पास 2017-2018 के वित्तीय वर्ष के आखिर में 9.6 लाख करोड़ रुपये की पूंजी थी। पिछले दिनों सरप्लस राशि का मुद्दा भारत सरकार और आरबीआई के बीच तनातनी की वजह बन गया था। सरकार ने कहा था कि रिजर्व बैंक किसी भी अन्य सेंट्रल बैंक की तुलना में बहुत ज्यादा नकदी रिजर्व रख रहा है और उसे पूंजी की भरपूर मात्रा केंद्र सरकार को देनी चाहिए। इस विवाद के बीच उर्जित पटेल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था।

आखिर क्यों सरकार को पैसे चाहिए

- सरकार द्वारा प्राप्त इतनी बड़ी रकम का उपयोग कहां और किस प्रकार किया जाएगा। ये सवाल हर किसे के मन में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब ये सवाल किया गया कि 1.76 लाख करोड़ का क्या होगा तो उन्होंने कहा कि वो इस रकम के इस्तेमाल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकतीं। सरकार इसके बारे में निर्णय लेकर बाद में अवगत कराएगी।
- आर्थिक विश्लेषकों की मानें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आई कमजोरी से सरकार दबाव में है। भारतीय मुद्रा रुपया अमरीकी डॉलर की तुलना में 72 के पार चला गया है। लगातार चौथे तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में गति नहीं आ पाई है।

क्या देश में बढ़ रहा है आर्थिक मंदी का खतरा

- सरकार के द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में आर्थिक मंदी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार पहली बार पिछले 6 सालों में ऐसा हुआ है कि कोई तिमाही विकास दर कमी के साथ शुरू हुई है।

आगे की राह

- भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांश, सरप्लस और आकस्मिक निधि से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का जो फैसला किया है, उसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। लंबे समय से यह सवाल सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ था और इस पर जिम्मेदार अधिकारियों और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई थी। ऐसे में विमल जालान समिति की सिफारिशों की रोशनी में आरबीआई बोर्ड ने जब इतनी बड़ी राशि सरकार को सौंपने का फैसला किया है तो उस पर सवाल उठने लाजिमी हैं। खासकर इसलिए भी कि इससे पहले कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रिजर्व बैंक ने ऐसा फैसला नहीं किया था। ■

6. सभी को बिजली की पहुँच : एक विश्लेषण

प्र. 'सौभाग्य योजना' क्या है? इसकी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सबको बिजली उपलब्ध कराने के सरकारी प्रयासों में आ रही चुनौतियों को बताए।

उत्तर:

संदर्भ

- कुछ वर्षों में विद्युत क्षेत्र के तमाम उपक्षेत्रों में, चाहे यह बिजली उत्पादन हो, ट्रांसमिशन हो या वितरण हो, बुनियादी ढांचे के निर्माण में अभूतपूर्व तेजी देखी गयी है।

परिचय

- बिजली आधुनिक जीवन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे कारखाने चलाने हों, बिजली के पंपसेट चलाने हों या मोबाइल फोन चार्ज करने हों, तमाम कार्य बिजली से ही होते हैं।

वर्तमान स्थिति

- आज भी दुनिया भर में 1.2 अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें बिजली उपलब्ध नहीं हो पता है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान और नाइजीरिया में आधी आबादी के पास बिजली की सुविधा नहीं है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में विएना में प्रस्तुत की गयी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक दुनिया में हर व्यक्ति तक बिजली पहुंचाया जाना चाहिए। इसको लेकर वर्ल्ड बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो भारत 2018 में विश्व बैंक की बिजली प्राप्त करने की सुविधा संबंधी सूची में 24वं स्थान पर आ गया जबकि 2014 में वह 111वें स्थान पर था।

सरकारी प्रयास

- भारत सरकार ने एक लाख मेगावाट से अधिक नई उत्पादन क्षमता का सृजन किया है जिससे बिजली की कमी 4.2 प्रतिशत से घटकर लगभग शून्य के स्तर पर आ गयी है। इतना ही नहीं, आज भारत बिजली का निर्यातक भी बन गया है और नेपाल तथा बांग्लादेश को बिजली दे रहा है।

चुनौतियाँ

- इतने बड़े प्रयासों के बावजूद, बिजली आज भी गरीबों से दूर है। बिजली के खंभों और तारों का विस्तार तो हुआ है लेकिन घरों में बिजली का निर्बाध प्रवाह नही हो पा रहा है।
- राज्य बिजली वितरण कंपनियों के संचालन और प्रदर्शन से संबंधित अपनी अलग चुनौतियाँ है।

निष्कर्ष

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि बिजली भारत के विकास का इंजन है। ऐसे में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराए। यही वजह है कि विद्युत उत्पादन को स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के मानदंडों पर खरा बनाए रखने के लिए सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से प्राप्त करने की योजना बनायी है। ■

7. जलवायु परिवर्तन एवं भारत के तटीय इलाकों की सुरक्षा

प्र. वर्तमान समय में चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता बढ़ी है। परिणामस्वरूप कई तटीय राज्यों पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल के समय में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों की बारंबारता एवं उनकी तीव्रता में वृद्धि देखी गई है। चक्रवात 'फानी' इसका बेहतर उदाहरण है। इन चक्रवातों के कारण तटीय क्षेत्रों में लोगों का जन-जीवन प्रभावित हो रहा है।

परिचय

- वर्तमान समय मे लोगों को एक के बाद एक तीव्र कुदरती आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कई आपदाओं की वजह क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन है। इन आपदाओं से देश के तटीय क्षेत्रों के लिए जोखिम बढ़ा है। हाल में फानी, गाजा और हुदहुद जैसे प्रचंड चक्रवातों और बाढ़ ने क्रमश: ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे तटीय राज्यों में भारी तबाही मचाई है।

तटीय क्षेत्र का महत्त्व

- देश के तटीय क्षेत्र आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से काफी अहमियत रखते हैं। मात्रा के लिहाज से उनका 90 प्रतिशत व्यापार (या कीमत के लिहाज से 70 प्रतिशत) समुद्री रास्ते से होता है। लोगों की जिंदगी और जीवनयापन में मददगार तटीय क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में घर, अस्पतालों की इमारतें, यातायात नेटवर्क, बंदरगाह और शिपिंग उद्योग शामिल हैं, इसलिए ग्रोथ और डिवेलपमेंट में इन क्षेत्रों की बड़ी अहमियत है।

चुनौतियाँ

- दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने के लिए नीति निर्माताओं और योजनाकारों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन का व्यापक ब्योरा, उसकी उम्र, अधिकतम क्षमता और लोकेशन आदि की जानकारी होना जरूरी है। हालांकि, देश का कोई भी राज्य अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के ताजा आंकड़े नहीं रखता। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज डेटा कई विभागों के बीच बंटे होते हैं।

आगे की राह

- वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि मानव अपने विनाश की लीला स्वयं रच रहा है। इस संदर्भ में तेज गति से हो रहा जलवायु परिवर्तन इसका बेहतर उदाहरण है। जिस तरह से मौसम का मिज़ाज बदल रहा है उससे साफ-साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि भविष्य में मानव जाति के लिए चुनौती विकराल होने वाली है, फिर भी मानव स्वार्थ से परिपूर्ण होकर प्रकृति का अनावश्यक दोहन कर रहा है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

बाल कल्याण सूचकांक

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में जारी बाल कल्याण सूचकांक से पता चला है कि झारखंड और मध्य प्रदेश खराब पोषण तथा शिशुओं के जीने की कम दर के कारण निचले पायदान पर काबिज हैं।

सूचकांक का आकलन

2.1 इस सूचकांक का आकलन बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी विकास, सकारात्मक संबंध और संरक्षण संबंधी विषयों के आधार पर किया जाता है।

2.2 इसके तहत प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में बच्चों की स्थिति का आकलन किया जाता है। सूचकांक में केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहे। वहीं सबसे निचले पायदानों पर क्रमश: मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश आए हैं।

2.3 यह रिपोर्ट बच्चों की कुशलता को मापने के लिए बहुआयामी तरीकों को उजागर करती है। इसमें महज गरीबी को ही नहीं मापा जाता, बल्कि उससे परे अन्य मानकों पर भी स्तर मापा जाता है।

भारत में कुपोषण का संकट

3.1 भारत में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और पोषण से संबंधी 30 से अधिक सरकारी कार्यक्रम और योजनाएँ हैं, परंतु इसके बावजूद भी भारत कुपोषण के संकट से जूझ रहा है।

3.2 राष्ट्रीय पोषण मिशन में भी अन्य सरकारी योजनाओं की तरह ही आवंटित राशि के आंशिक प्रयोग का सामना कर रही है। इस योजना के लिये वर्ष 2018-19 में आवंटित कुल संसाधनों का मात्र 16 प्रतिशत ही प्रयोग में लाया गया था।

3.3 इसके अलावा रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, स्थिरता और जवाबदेही की कमी के कारण यह मिशन काफी प्रभावित हो सकता है, इसलिये हमे निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने तथा स्थिरता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

4.1 08 मार्च 2018 को प्रारम्भ हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission- NNM) का उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है।

4.2 राष्ट्रीय पोषण मिशन एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन करेगा।

4.3 यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से ठिगनेपन, अल्प पोषाहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने के स्तर में कमी के उपाय करेगा।

4.4 2018 से शुरू हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार पोषण अभियान चला रही है।

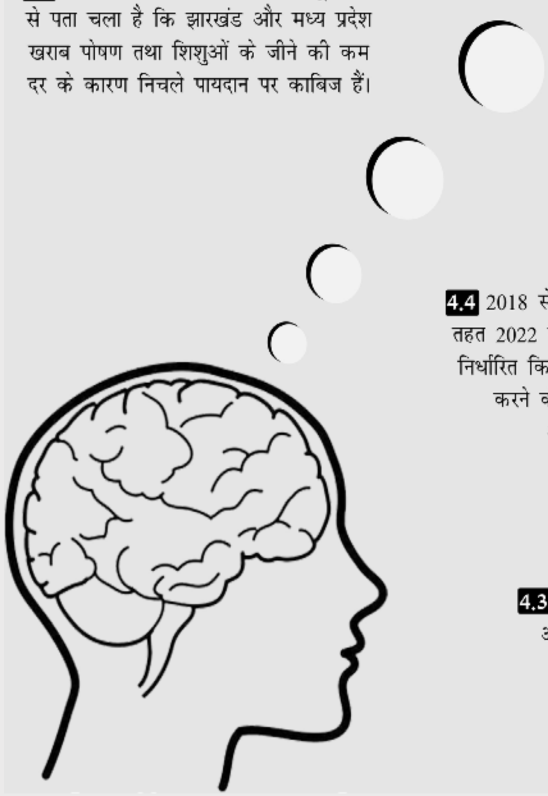

सरकारी बैंकों का विलय

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केंद्र सरकार ने दस बैंकों को मिलाकर चार मजबूत बैंक बनाने का ऐलान कर अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने का फैसला किया है। यह निर्णय ऐसे वक्त किया गया है जब विकास दर वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में घटकर पांच फीसदी पर आ गई है।

1.2 सरकार चाहती है कि बैंक ज्यादा प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करें और ग्राहकों को ज्यादा बेहतर सेवाएं दे पाएं। गौरतलब है कि साल 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक थे, जिनकी संख्या अब घटकर 12 रह जाएगी।

पृष्ठभूमि

2.1 सबसे पहले एसबीआई में उसके एसोसिएट बैंकों और महिला बैंक का विलय किया गया और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का आपस में विलय किया गया। विलय के बाद एसबीआई दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों की सूची में शामिल हो गया था।

नरसिम्हन समिति

3.1 वर्ष 1991 में बैंकिंग सुधार पर एमएल नरसिम्हन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। नरसिम्हन समिति ने देश में तीन-चार अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक और दस राष्ट्रीय बैंकों की सिफारिश की थी।

पक्ष

4.1 मजबूती मिलने से बैंक सस्ता और ज्यादा कर्ज बांट सकेंगे। साथ ही बैंकों के परिचालन की लागत घटेगी।

4.2 बैंकों की नए राज्यों और क्षेत्रों में पहुंच बढ़ेगी। इसके अलावा नई तकनीक-विशेषज्ञता आ सकेगी।

4.3 बैंक कर्मियों के वेतन में असमानता दूर होगी। बैंकों का विशाल होना न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे उनके व्यावसायिक लागत में भी कमी आती है।

विपक्ष

5.1 बैंकों के विकेंद्रीकरण से क्षेत्रीय लाभ खत्म होंगे। साथ ही बड़े बैंकों में आर्थिक संकट के वक्त ज्यादा जोखिम होगा।

5.2 फंसे कर्ज में कमी आएगी साथ ही जानकारों का मानना है कि सुशासन बिना विलय का लाभ बैंकों और ग्राहकों को नहीं मिलेगा।

5.3 बैंक कर्मचारियों को तकनीकी स्तर पर चुनौती बढ़ेगी।

एनपीए के संकट से मुकाबला

6.1 बैंकिंग सेक्टर के कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा सरकारी बैंकों का है। बैंकिंग सेक्टर में पिछले वित्त वर्ष में करीब 8 लाख करोड़ रुपये का एनपीए था, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अब 7.90 लाख करोड़ रुपये रह गया है।

6.2 NPA संकट को देखते हुए कमजोर बैंकों के विलय का मतलब यह भी है कि बैंकों की तादाद कम होगी, लेकिन वे पूंजीगत आधार पर बेहतर होंगे और उनकी निगरानी में आसानी होगी।

6.3 बड़े बैंकों के पास ज्यादा पूंजी होती है। सरकार और नियामकों के लिए इनकी सहायता करना आसान होता है। सरकार संकट में आसानी से इनकी मदद कर सकती है और उन्हें डूबने से बचा सकती है।

6.4 इसके अलावा बड़े बैंक नकदी का बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बैंकों के विलय से उनका सम्मिलित कारोबार काफी बढ़ जाता है। इससे उनका एनपीए कुल मिलाकर संभालने लायक हो जाता है। उनके पास कम लागत के जमा और बफर कैपिटल बढ़ जाता है।

ग्राहकों पर असर

7.1 जानकारों का मानना है कि कमजोर बैंकों का अगर मजबूत बैंकों में विलय होता है तो ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा होता है। मजबूत बैंक खाताधारकों के लिए लंबी अवधि में जमा पर ज्यादा आकर्षक ब्याज दे सकते हैं और कर्ज की दरें भी कम कर सकते हैं।

7.2 कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, ऐसे में बैंकों का विलय करने से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके पहले जब तीन बैंकों के विलय की घोषणा हुई थी तो बैंक यूनियनों ने इसका विरोध किया था।

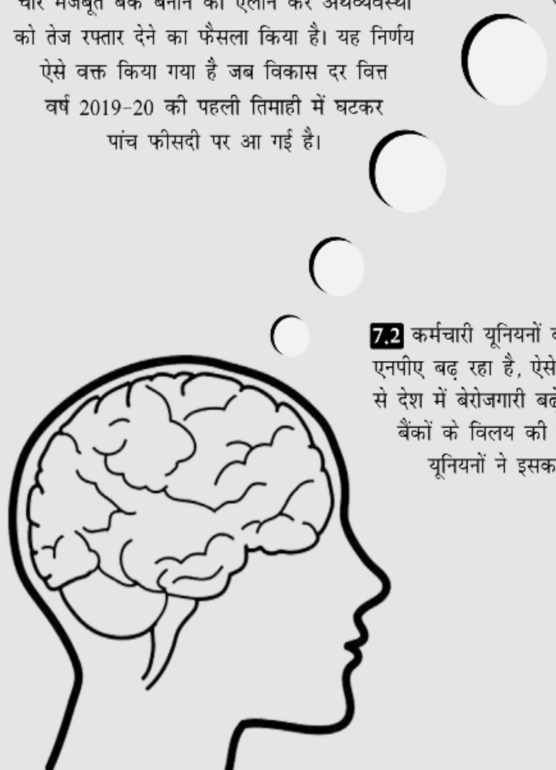

गंगा में एंटीबायोटिक्स

चर्चा का कारण

1.1 इंग्लैंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के वैज्ञानिकों के एक दल ने दुनिया के 72 देशों में बहने वाली 91 नदियों में से 711 जगहों से पानी के नमूने लेकर उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किये जाने वाले 14 एंटीबायोटिक्स की जांच की है। इन नमूनों में से अधिकतर नमूने एशिया और अफ्रीका के देशों के थे।

शोध के बिंदु

2.1 गंगा नदी में हरिद्वार से लेकर गंगासागर तक एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया पाए गए, वहीं यमुना, कावेरी और अनेक दूसरी भारतीय नदियों की भी यही स्थिति रही।

2.2 यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों की नदियों में भी अपेक्षाकृत कम मात्रा में एंटीबायोटिक्स मिले हैं।

2.3 गंगा के पानी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग नहाते हैं और आचमन भी करते हैं। आचमन में गंगा के पानी को सीधे मुंह में डाल लेते हैं। इस प्रक्रिया में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया सीधे शरीर में प्रवेश कर जाता है और अपना असर दिखाने लगता है।

2.4 बेकार पड़े एंटीबायोटिक्स को सीधे कचरे में फेंक दिया जाता है। घरों के कचरे, एंटीबायोटिक्स उद्योग, घरेलू मल-जल, पशु और मुर्गी-पालन उद्योग के कचरे के साथ-साथ एंटीबायोटिक्स नदियों तक पहुंच रहे हैं।

एनजीटी की रिपोर्ट

3.1 एनजीटी समय-समय पर कहता रहा है कि गंगा प्रदूषित होती जा रही है या फिर गंगा पहले से अधिक प्रदूषित हो गई है।

3.2 14 मई 2019 के फैसले में भी एनजीटी ने कहा है कि हरिद्वार से कोलकाता तक कहीं भी गंगा का पानी न तो नहाने लायक है और न ही मानव खपत लायक है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पैमाना

4.1 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नदियों के प्रदूषण को उन्हीं पैरामीटर से माप रहा है, जिनसे 1970 के दशक में मापता था। इसने देश भर की नदियों के अलग-अलग खंडों के उपयोग के आधार पर प्रदूषण का पैमाना बनाया है।

4.2 इस उपयोग के पांच वर्ग हैं- सीधे पीने लायक, नहाने लायक, साफ कर पीने लायक, जलीय जीवन के संवर्धन के लिए और सिंचाई के लिए।

4.3 इन सभी वर्ग के लिए कुल तीन या चार पैमाने हैं, जिनमें जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया महत्वपूर्ण हैं।

4.4 घुलित ऑक्सीजन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है, जो जलीय जीवों के लिए बहुत जरूरी है। बीओडी वह पैमाना है, जिससे पता चलता है कि जल में मौजूद कार्बनिक प्रदूषण को नष्ट करने में कितने घुलित ऑक्सीजन की खपत होगी।

4.5 नदी में बीओडी अधिक होने पर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वह समूह है जिसकी उपस्थिति मानव या मवेशियों के मल-मूत्र से प्रदूषण का संकेत देती है।

प्रभाव

5.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बैक्टीरिया या वाइरस पर एंटीबायोटिक्स के बेअसर होने के कारण दुनिया में प्रतिवर्ष 7 लाख से अधिक मौतें हो रही हैं और साल 2030 तक यह संख्या 10 लाख से अधिक हो जाएगी।

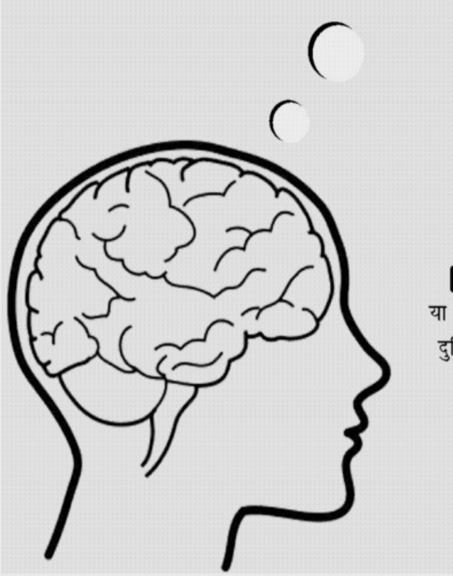

सेफ सिटीज इंडेक्स

चर्चा का कारण

1.1 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit) ने साल 2019 के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची जारी कर दी है। इस बार सूची में भारत के दो बड़े शहरों को जगह मिली है। हालांकि यह सूची चौंकाने वाली भी है, क्योंकि भारत में काफी सुरक्षित माने जाने वाले शहरों का नाम इसमें शामिल नहीं है।

सूची का आधार

2.1 सेफ सिटीज इंडेक्स के मुताबिक, सुरक्षित शहरों की सूची जारी करते समय स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएं-ढांचा, व्यक्तिगत सुरक्षा समेत कुल 57 पैमानों पर शहरों को परखा गया, फिर इन्हें रैंकिंग दी गई। फिर इस आधार पर विश्व के 60 शहरों को इस सूची में शुमार किया गया

सुरक्षित शहरों की सूची

3.1 दुनिया के सुरक्षित शहरों में मुंबई 45वें और दिल्ली 52वें स्थान पर है। जापान का टोक्यो टॉप पर है। सिंगापुर दूसरे, ओसाका तीसरे नंबर पर है।

3.2 इस सूचकांक में पांच महाद्वीपों के 60 शहर शामिल हैं। रैंकिंग में पाकिस्तान के कराची शहर को 57 वां स्थान हासिल हुआ है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका 56वें नंबर पर है। सर्वाधिक 10 सुरक्षित शहरों में सियोल भी शामिल है। कोपेनहेगन के साथ सियोल आठवें स्थान पर है।

3.3 ब्रिटेन की राजधानी लंदन को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन को 7वां स्थान मिला है।

3.4 इस सूची में कुआलालंपुर को 35वां, इस्तांबुल को 36वां और रूस की राजधानी मॉस्को को 37वां स्थान मिला है।

भारत के कई शहरों के लिए झटका

4.1 जहां सुरक्षित शहरों में भारत के सिर्फ मुंबई और दिल्ली को स्थान मिला है, तो इसे झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि देश के कई शहरों की जीवनशैली और सुख-सुविधाओं में पिछले कुछ सालों में इजाफा देखने को मिला है।

4.2 खासतौर से सुरक्षित शहरों की इस सूची में चंडीगढ़, बैंगलुरु जैसे शहरों को कोई स्थान नहीं मिलना एक झटका माना जा रहा है।

सुरक्षित शहर की आवश्यकता

5.1 असल में भारत में नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति अब भी हमारी एक बड़ी चिंता का विषय है। इसकी बड़ी वजह है भारत में नागरिक और पुलिस का अनुपात बहुत कम होना।

5.2 किसी भी सभ्य समाज की पहली शर्त बेहतर सुरक्षा-कानून व्यवस्था है और, हमारे शहर इस मामले अभी तक पूरी तरह सभ्य नहीं कहे जा सकते।

5.3 महिला सुरक्षा को बड़ा तत्व मानते हुए आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी देश की प्रगति का सबसे बेहतर पैमाना यह है कि वह देश अपनी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। हालांकि देश में महिलाओं के खिलाफ काफी संख्या में अपराध देखे गए हैं।

5.4 महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर समाजशात्रियों का कहना है कि पुरुषों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। इसकी शुरूआत घर से करना होगी। शहरों में यह समस्या ज्यादा होती है क्योंकि पुरुषों को विशाल आबादी में सामाजिक प्रताड़ना का भी डर नहीं होता।

5.5 बेशक सुरक्षा का सम्बन्ध शहरों की सम्पन्नता से जुड़ा हुआ है लेकिन उच्च आय वाले अरब शहरों की रैंकिंग गिर रही है। इसलिए केवल आर्थिक सम्पन्नता ही सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला एकमात्र कारक नहीं है। सामूहिक प्रयास भी उतने ही आवश्यक हैं।

जलवायु परिवर्तन एवं पैसिफिक देश

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में महासचिव के तौर पर पहली बार फिजी का दौरा कर रहे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि पैसेफिक देश दो बुनियादी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं: जलवायु परिवर्तन और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होना, जिनसे निचले तटीय देशों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो रहा है।

प्रमुख बिंदु

2.1 पिछले चार सालों ने सबसे गर्म सालों का रिकॉर्ड बनाया है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है और साल 2100 तक समुद्री जल स्तर में एक मीटर की वृद्धि होने की आशंका है।

2.2 पैसेफिक क्षेत्र के लिए यह ख़तरे की घंटी है क्योंकि वैश्विक औसत की तुलना में वहां के कुछ देशों में समुद्री जल स्तर में चार गुना वृद्धि होगी जिससे कुछ द्वीपीय देशों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है।

पैसिफिक में ख़तरे की आहट

3.1 हाल के समय में गीता, जोसी और केनी जैसे चक्रवाती तूफानों के अलावा ज्वालामुखी विस्फोटों और भूंकपों से क्षेत्र को हानि हुई है। जलवायु परिवर्तन इन जोखिमों को और बढ़ाएगा और खारे जल की वजह से खाद्य सुरक्षा ख़तरे में पड़ जाएगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा

3.2 जलवायु परिवर्तन से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भी स्पष्ट ख़तरे पैदा हो रहे हैं। गौरतलब है कि 2018 में एक घोषणापत्र में माना गया था कि पैसिफिक क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा ख़तरा जलवायु परिवर्तन से है।

3.3 सैन्य रणनीतिकार सीधे तौर पर देखते हैं कि जलवायु प्रभावों के चलते संसाधनों पर और बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापित होने से तनाव बढ़ेगा।

3.4 2016 में प्राकृतिक आपदाओं के चलते 118 देशों और क्षेत्रो में 2.4 करोड़ लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ा।

समुद्री जल का बढ़ता तापमान

4.1 महासागर और समुद्र पैसिफिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं और परंपराओं के लिए बेहद अहम है लेकिन जलवायु परिवर्तन से उनके लिए भी जोखिम पैदा हो रहा है।

4.2 महासागरों का तापमान बढ़ रहा है और उनका अम्लीकरण भी हो रहा है जिससे मूंगा चट्टानों को क्षति पहुंच रही है और जैवविविधता घट रही है।

4.3 अगर वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो इससे हानि का स्तर और बढ़ जाएगा लेकिन अगर तापमान में बढ़ोत्तरी दो डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होती है तो फिर समुद्रीजीवन और लोगों के लिए इसके विनाशकारी परिणाम होंगे।

समुद्र में प्लास्टिक

5.1 हर साल 80 लाख टन से ज्यादा हानिकारक प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को समुद्र में फेंक दिया जाता है। एक नए शोध के अनुसार 2050 तक मछलियों से ज्यादा सागरों में प्लास्टिक मिलेगी।

5.2 कई देश एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर पाबंदी लगा रहे हैं लेकिन यूएन प्रमुख ने और प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों और समुद्री जीवन के सामने पैदा हुई चुनौतियों से निपटा जा सके।

5.3 इसके लिए टिकाऊ विकास से जुड़े 14वें लक्ष्य को प्रभावी ढंग से अमल में लाए जाने की अपील की गई है।

संयुक्त राष्ट्र का प्रयास

6.1 जलवायु परिवर्तन और महासागर के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को सुलझाने के लिए स्मार्ट और दूरगामी कदमों की जरूरत है। इसके लिए पेरिस समझौते और 2030 टिकाऊ विकास एजेंडे के तहत कार्रवाई करनी होगी

आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में सहायक सचिवालय कार्यालय सहित आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

2.1 अमेरिका के न्यूयॉर्क में 23 सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और इसके परिणामस्वरूप होने वाली आपदाओं से निपटने की दिशा में प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ लाएगा तथा सीडीआरआई के लिए आवश्यक उच्च स्तर पर ध्यान देने योग्य बनाएगा।

महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी

3.1 संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत संस्था के रूप में सीडीआरआई के सचिवालय की नई दिल्ली में स्थापना 'सीडीआरआई संस्था' अथवा इससे मिलते-जुलते नाम से उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।

3.2 संस्था का ज्ञापन और 'सीडीआरआई संस्था' के उपनियमों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा यथासमय तैयार किया जाएगा और इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.3 सीडीआरआई को तकनीकी सहायता और अनुसंधान परियोजनाओं का निरंतर आधार पर वित्त पोषण करने, सचिवालय कार्यालय की स्थापना करने तथा बार-बार होने वाले खर्चों के लिए वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए आवश्यक राशि हेतु भारत सरकार की ओर से 480 करोड़ रुपये (लगभग 70 मिलियन डॉलर) की सहायता को सैद्धांतिक मंजूरी देना

3.4 चार्टर दस्तावेज का समर्थित स्वरूप सीडीआरआई के लिए संस्थापक दस्तावेज का कार्य करेगा। एनडीएमए द्वारा विदेश मंत्रालय के परामर्श से संभावित सदस्य देशों से जानकारी लेने के बाद इस चार्टर को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रमुख प्रभाव

4.1 सीडीआरआई एक ऐसे मंच के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा, जहां आपदा और जलवायु के अनुकूल अवसंरचना के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और उसका आदान-प्रदान किया जाएगा।

4.2 यह विविध हितधारकों की तकनीकी विशेषज्ञता को एक स्थान पर एकत्र करेगा। इसी क्रम में, यह एक ऐसी व्यवस्था का सृजन करेगा, जो देशों को उनके जोखिमों के संदर्भ तथा आर्थिक जरूरतों के अनुसार अवसंरचनात्मक विकास करने के लिए उनकी क्षमताओं और कार्यपद्धतियों को उन्नत बनाने में सहायता करेगी।

4.3 इस पहल से समाज के सभी वर्ग लाभांवित होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएं और बच्चे आपदाओं के प्रभाव की दृष्टि से समाज का सबसे असुरक्षित वर्ग होते हैं और ऐसे में आपदा के अनुकूल अवसंरचना तैयार करने के संबंध में ज्ञान और कार्यपद्धतियों में सुधार होने से उन्हें लाभ पहुंचेगा।

4.4 भारत में, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र भूकंप के खतरे, तटवर्ती क्षेत्र चक्रवाती तूफानों और सुनामी के खतरे तथा मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र सूखे के खतरे वाले क्षेत्र हैं।

नवाचार

5.1 आपदा के अनुकूल अवसंरचना के लिए वैश्विक संगठन उन चिंताओं को दूर करेगा, जो विकासशील और विकसित देशों, छोटी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, अवसंरचना विकास की आरंभिक और उन्नत अवस्था वाले देशों तथा मध्यम या उच्च आपदा जोखिम वाले देशों में समान रूप से विद्यमान हैं।

5.2 अवसंरचना पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सेंदाई फ्रेमवर्क, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के मिलन-बिंदु पर ठोस पहल से संबंधित कुछ कार्य हैं।

5.3 आपदा के अनुकूल अवसंरचना पर फोकस करने से एक ही समय पर सेंदाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत हानि में कमी लाने से संबंधित लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाएगा, अनेक एसडीजी पर ध्यान दिया जा सकेगा तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन में भी योगदान मिलेगा।

5.4 भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक जोखिम के खतरे से संबंधित सूचना का प्रकाशन होने से लोगों को अपने क्षेत्रों के जोखिम के बारे में समझने का अवसर मिलेगा तथा वे स्थानीय और राज्य सरकारों से जोखिम में कमी लाने तथा उससे निपटने के उपायों की मांग कर सकेंगे।

विकास बैंक

चर्चा का कारण

1.1 विश्व के विभिन्न विकसित देशों में विकास बैंकों का उनकी विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से इन बैंकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस सन्दर्भ में सरकार ने एक ऐसे संगठन को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है जो भवन निर्माण और आवास-परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक ऋण मुहैया कराएगा।

विकास बैंक की जरूरत क्यों

2.1 भारत के वाणिज्यिक बैंक बेहद गंभीर वित्तीय तनाव का सामना कर रहे हैं जिसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कमजोर बना दिया है।

विकास बैंक का महत्व

3.1 प्राय: विकासशील एवं पिछड़े देशों में पूँजी का अभाव रहता है, ऐसी स्थिति में औद्योगिक विकास सम्भव नहीं होता। ऐसी स्थिति में विकास बैंक नवीन उद्योगों की स्थापना एवं विद्यमान उद्योगों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए पूँजी प्रदान करके सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाते हैं।

3.2 विकास बैंक उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था कई प्रकार से करते हैं, जैसे-स्थाई पूँजी के लिए ऋण देना, निर्गमित अंशों (शेयर्स) एवं ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष अभिदान करना, अंशों एवं ऋण पत्रों का अभिगोपन करना स्थगित भुगतानों की गारन्टी देना आदि

3.3 विकास बैंक न केवल विद्यमान उद्यमियों को ऋण देते हैं वरन् नवीन उद्यमियों को प्रेरित करके उन्हें औद्योगिक विस्तार के कार्य में लगा देते हैं। इससे उत्पादन, आय एवं रोजगार आदि सभी क्षेत्रों में विकास होता है और औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि होती है।

3.4 विकास बैंक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा इन बैंकों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जाता है।

3.5 विकास बैंक प्राथमिकता के अनुसार उद्योगों को आकर्षित करते हैं तथा उन्हें नवीन क्षेत्रों की जानकारी देते हैं । इससे परम्परागत उद्योगों के साथ-साथ नवीन उद्योगों का भी विकास होता है। फलत: औद्योगिकीकरण में विविधता आती है।

3.6 औद्योगिकीकरण के लिये मशीनें, तकनीकी ज्ञान एवं कुछ विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल आवश्यक होते है, जिनका विदेशों से आयात करना पड़ता है। विकास बैंक ऐसे उद्योगों को विदेशी मुद्रा में ऋण देती है।

3.7 विकास बैंक न केवल देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है, वरन् कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में भी सक्रिय रुचि ले रहे हैं। प्राय: सभी राज्यों में स्थापित राज्य वित्त निगम जहाँ लघु उद्योगों में वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, वहीं नाबार्ड (NABARD) कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पुनर्वित्त प्रदान करके योगदान देता है ।

समन्वय का कार्य

4.1 प्राय: निजी क्षेत्र के उद्योगपति अनेक स्रोतों से ऋण प्राप्त कर लेते हैं और समन्वय न होने के कारण उद्योगों पर ऋण-भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस समस्या को हल करने का दायित्व विकास बैंकों का है जो विभिन्न ऋण देने वाली संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य करते हैं।

4.2 नये-नये उद्योग, उन्नत तकनीकी, स्तरीय प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से विकास बैंक नवप्रवर्तक का कार्य भी कर रहे हैं। उद्योगों का आधुनिकीकरण में नवप्रवर्तक का कार्य महत्वपूर्ण होता है।

प्रस्तावित विकास बैंक की रूपरेखा

5.1 भारत में विकास बैंक की स्थापना के पहले यह विचार करना आवश्यक है कि इसे वित्त कहाँ से प्रदान किया जाएगा। साथ ही यदि विदेश से निजी पूँजी आमंत्रित की जाती है तो इसका अर्थ होगा कि पूँजी देने वाली कम्पनियों का इस बैंक पर आंशिक स्वामित्व होगा। अत: ध्यानपूर्वक विश्लेषण के पश्चात् ही इस विकल्प पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

5.2 भारत सरकार को चाहिए कि वह विकास बैंक जो पूर्व में स्थापित किये गए थे जैसे- IFCI, ICICI, IDBI आदि के संचालन से सबक सीखे तभी नए विकास बैंक का प्रारूप तैयार करे।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. बाल कल्याण सूचकांक

प्र. बाल कल्याण सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. झारखण्ड और मध्यप्रदेश खराब पोषण तथा शिशुओं के जीने की क्रम दर के कारण निचले पायदान पर काबिज हैं।
2. इस सूचकांक में बिहार शीर्ष स्थान पर कायम है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में जारी बाल कल्याण सूचकांक से पता चला है कि झारखंड और मध्य प्रदेश खराब पोषण तथा शिशुओं के जीने की कम दर के कारण निचले पायदान पर काबिज हैं। इस सूचकांक का आकलन बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी विकास, सकारात्मक संबंध और संरक्षण संबंधी विषयों के आधार पर किया जाता है। इसके तहत प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में बच्चों की स्थिति का आकलन किया जाता है। सूचकांक में केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहे। वहीं सबसे निचले पायदानों पर क्रमशः मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश आए हैं। यह रिपोर्ट बच्चों की कुशलता को मापने के लिए बहुआयामी तरीकों को उजागर करती है। इसमें महज गरीबी को ही नहीं मापा जाता, बल्कि उससे परे अन्य मानकों पर भी स्तर मापा जाता है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

2. सरकारी बैंकों का विलय

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ष 1991 में बैंकिंग सुधार पर एमएल नरसिम्हन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। नरसिम्हन समिति ने देश में तीन-चार अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक और दस राष्ट्रीय बैंकों की सिफारिश की थी।
2. बैंकिंग सेक्टर के कुल एनपीए का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा सरकारी बैंकों का है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में केंद्र सरकार ने दस बैंकों को मिलाकर चार मजबूत बैंक बनाने का ऐलान कर अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने का फैसला किया है। यह निर्णय ऐसे वक्त किया गया है जब विकास दर वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में घटकर पांच फीसदी पर आ गई है। सरकार चाहती है कि बैंक ज्यादा प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करें और ग्राहकों को ज्यादा बेहतर सेवाएं दे पाएं। गौरतलब है कि साल 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक थे, जिनकी संख्या अब घटकर 12 रह जाएगी। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

3. गंगा में एंटीबायोटिक्स

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के शोध से पता चला है कि गंगा नदी में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया पाए गए।
2. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नदियों के प्रदूषण को उन्हीं पैरामीटर से माप रहा है, जिनसे 1970 के दशक में मापता था। इसने देश भर की नदियों के अलग-अलग खंडों के उपयोग के आधार पर प्रदूषण का पैमाना बनाया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः इंग्लैंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के वैज्ञानिकों के एक दल ने दुनिया के 72 देशों में बहने वाली 91 नदियों में से 711 जगहों से पानी के नमूने लेकर उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किये जाने वाले 14 एंटीबायोटिक्स की जांच की है। इन नमूनों में से अधिकतर नमूने एशिया और अफ्रीका के देशों के थे। गंगा नदी में हरिद्वार से लेकर गंगासागर तक एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया पाए गए। वहीं यमुना, कावेरी और अनेक दूसरी भारतीय नदियों की भी यही स्थिति रही। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों की नदियों में भी अपेक्षाकृत कम मात्रा में एंटीबायोटिक्स मिले हैं। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

4. सेफ सिटीज इंडेक्स

प्र. सेफ सिटीज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सेफ सिटीज इंडेक्स में भारत के किसी भी शहर को स्थान नहीं मिला है।
2. किसी भी सभ्य समाज की पहली शर्त बेहतर सुरक्षा-कानून व्यवस्था है और, हमारे शहर इस मामले अभी तक पूरी तरह सभ्य नहीं कहे जा सकते।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit) ने साल 2019 के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची जारी कर दी है। इस बार सूची में भारत के दो बड़े शहरों को जगह मिली है। हालांकि यह सूची चौंकाने वाली भी है, क्योंकि भारत में काफी सुरक्षित माने जाने वाले शहरों का नाम इसमें शामिल नहीं है। दुनिया के सुरक्षित शहरों में मुंबई 45वें और दिल्ली 52वें स्थान पर है। जापान का टोक्यो टॉप पर है। सिंगापुर दूसरे, ओसाका तीसरे नंबर पर है। सेफ सिटीज इंडेक्स के मुताबिक, सुरक्षित शहरों की सूची जारी करते समय स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएं-ढांचा, व्यक्तिगत सुरक्षा समेत कुल 57 पैमानों पर शहरों को परखा गया, फिर इन्हें रैंकिंग दी गई। फिर इस आधार पर विश्व के 60 शहरों को इस सूची में शुमार किया गया इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

5. जलवायु परिवर्तन एवं पैसिफिक देश

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. महासागरों का तापमान बढ़ रहा है और उनका अम्लीकरण भी हो रहा है जिससे मूंगा चट्टानों को क्षति पहुंच रही है और जैवविविधता घट रही है।
2. ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है और साल 2100 तक समुद्री जल स्तर में एक मीटर की वृद्धि होने की आशंका है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में महासचिव के तौर पर पहली बार फिजी का दौरा कर रहे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि पैसिफिक देश दो बुनियादी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं: जलवायु परिवर्तन और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होना, जिनसे निचले तटीय देशों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो रहा है। पिछले चार सालों ने सबसे गर्म सालों का रिकॉर्ड बनाया है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है और साल 2100 तक समुद्री जल स्तर में एक मीटर की वृद्धि होने की आशंका है। महासागर और समुद्र पैसिफिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं और परंपराओं के लिए बेहद अहम है लेकिन जलवायु परिवर्तन से उनके लिए भी जोखिम पैदा हो रहा है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

6. आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र भूकंप के खतरे, तटवर्ती क्षेत्र चक्रवाती तूफानों और सुनामी के खतरे तथा मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र सूखे के खतरे वाले क्षेत्र हैं।
2. सीडीआरआई एक ऐसे मंच के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा,जहां आपदा और जलवायु के अनुकूल अवसंरचना के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और उसका आदान-प्रदान किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में सहायक सचिवालय कार्यालय सहित आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है। संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत संस्था के रूप में सीडीआरआई के सचिवालय की नई दिल्ली में स्थापना 'सीडीआरआई संस्था' अथवा इससे मिलते-जुलते नाम से उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

7. विकास बैंक

प्र. विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में विकास बैंक उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं।
2. भारत के वाणिज्यिक बैंक बेहद गंभीर वित्तीय तनाव का सामना कर रहे हैं जिसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कमजोर बना दिया है।

उपुर्यक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः विश्व के विभिन्न विकसित देशों में विकास बैंकों का उनकी विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से इन बैंकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस सन्दर्भ में सरकार ने एक ऐसे संगठन को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है जो भवन निर्माण और आवास-परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक ऋण मुहैया कराएगा। भारत के वाणिज्यिक बैंक बेहद गंभीर वित्तीय तनाव का सामना कर रहे हैं जिसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कमजोर बना दिया है। भारत सरकार को चाहिए कि वह विकास बैंक जो पूर्व में स्थापित किये गए थे जैसे- IFCI, ICICI, IDBI आदि के संचालन से सबक सीखे तभी नए विकास बैंक का प्रारूप तैयार करे। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में भारत में पहली बार किस ऐतिहासिक स्मारक में बेबीफीडिंग रूम की सुविधा शुरु की गई है?

- *ताजमहल*

2. हाल ही में सुर्खियों में रहा 'गर्वी गुजरात' भवन किस शहर में स्थित है?

- *नई दिल्ली*

3. हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित डंपा बाघ अभयारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है?

- *मिजोरम*

4. हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश में 200 साल पुराने श्रीकृष्ण मंदिर के लिए 4.2 मिलियन डॉलर की पुनर्विकास परियोजना का शुभारंभ किया?

- *बहरीन*

5. हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किस पूर्व सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में बैंकिंग धोखाधड़ी के लिये सलाहकार बोर्ड का गठन किया है?

- -*टी.एम. भसीन*

6. हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय ने किस वस्तु को विमानों में ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है?

- *एप्पल मैकबुक*

7. हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में मानव की लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी (Skull) की खोज की है?

- *इथोपिया*

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. विश्व व्यापार संगठन क्या है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि डब्ल्यूटीओ की नीतियों ने भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हित के खिलाफ कार्य किया है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

2. ट्रोलिंग क्या है? ट्रोलिंग से संबंधित नैतिकता के मुद्दों की चर्चा करें।

3. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि किसानों को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जैविक खेती किस प्रकार कारगार हो सकती है? उल्लेख करें।

4. भारत और भूटान का संबंध अपने आरंभिक काल से ही सौहार्द्र और मैत्रीपूर्ण रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के निहितार्थ को बताइए।

5. कार्बन टैक्स क्या है? कार्बन टैक्स पर्यावरण पर किस प्रकार अनुकूल प्रभाव डाल रही है?अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

6. हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) द्वारा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के कारणों को बताते हुए ब्लैकलिस्ट में आने से पाकिस्तान पर पड़ने वाले प्रभावों को बताइए।

7. अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उन कारकों का उल्लेख करें जो इस घटना को जन्म देती हैं?

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. निर्वाचन आयोग ने इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया

हाल ही में निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 'इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम' (EVP) लॉन्च किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को बेहतर बनाना, नागरिकों को बेहतर मतदात सेवाएं प्रदान करना तथा आयोग एवं मतदाताओं के बीच संवाद को बेहतर बनाना है।

इस कार्यक्रम को 32 सीईओ ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, 700 डीईओ ने जिलों में और करीब 10 लाख मतदान केंद्रों में बीएलओ/ईआरओ ने देश में सभी स्तरों पर शुरूआत की है। यह कार्यक्रम 01 सितंबर 2019 से 15 अक्टूबर 2019 तक चलेगा। कार्यक्रम के तहत, मतदाता एनवीएसपी पोर्टल (nvsp.in) या मतदाता हेल्पलाइन ऐप या साझा सेवा केंद्रों या निकट के किसी मतदान सुविधा केन्द्र पर जाकर अपने विवरण को सत्यापित या प्रमाणित कर सकते हैं। सभी मतदाताओं को इस कार्यक्रम के तहत अपने पहचान पत्र के सत्यापन हेतु अपनी जानकारी चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर अपडेट करनी होगी। ईवीपी कार्यक्रम का लाभ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिया जा सकता है।

महत्व

- इस कार्यक्रम के तहत मोबइल नंबर को साझा करने से मतदाताओं को ऑनलाइन आवेदन की स्थिति, ईपीआईसी की स्थिति, मतदान दिवस की घोषणाएं, मतदाता सूची इत्यादि से संबंधित जानकारी उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर दी जाएगी।

मतदाता सूची की क्रमसंख्या में बदलाव, मतदान केंद्र का ब्यौरा बीएलओ/ईआरओ में बदलाव से संबंधित मतदान केंद्र की सभी जानकारी मतदाताओं के साथ साझा की जाएगी।

- परिवार के सदस्य जिनके नाम मतदाता सूची में हैं और जो स्थायी रूप से अन्य जगह जा चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है के विवरणों को अद्यतन किया जाएगा
- बेहतर मतदाता सेवाओं हेतु मोबाइल ऐप के माध्यम से आवास को जीआईएस से जोड़ा जाएगा ■

2. विभिन्न राज्यों में वनीकरण हेतु राशि जारी

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वनीकरण परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को 47,436 करोड़ रुपये का सीएएमपीए फंड जारी किया है। वनों के लिए राज्य का बजट अप्रभावित रहेगा तथा हस्तांतरित की जा रही धनराशि राज्य के बजट के अतिरिक्त होगी। इस धनराशि का उपयोग सभी राज्य वन और वृक्षों का आवरण बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वानिकी कार्यकलापों में करेंगे। इससे साल 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा।

सीएएमपीए क्या है:

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2001 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष तथा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) की स्थापना का आदेश दिया था। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि की गई थी कि इस हेतु एकत्र की गई धनराशि राज्यों द्वारा हटा ली गई थी।

क्षतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबन्धन के लिए खास सीएएमपीए की स्थापना की गई। कोर्ट ने साल 2009 में राज्यों /संघशासित प्रदेशों को क्षतिपूरक वनीकरण और अन्य गतिविधियों के लिए प्रति साल 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की अनुमति दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से साल 2019 को खास सीएएमपीए से 54,685 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाई गई। अब तक कुल 27 राज्य 5/संघशासित प्रदेश केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त करने हेतु अपने खाते खुलवा चुके हैं। इस राशि का उपयोग सीएएफ अधिनियम एवं सीएएफ नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ■

3. अपाचे हेलिकॉप्टर वायुसेना में शामिल

हाल ही मे भारतीय वायुसेना ने पठानकोट एयरबेस पर अमेरिका से मिले आधुनिक तकनीक वाले आठ अपाचे हेलिकॉप्टर (Boeing AH- 64 Apache) तैनात किया है। इस एयरबेस पर अपाचे की तैनाती से भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। अमेरिका से भारतीय वायसेना को कुल 22 अपाचे हेलिकॉप्टर मिलेंगे।

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ की मौजूदगी में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर 8 अपाचे हेलिकॉप्टर को शामिल कराया गया। अपाचे विश्व के सबसे आधुनिक लड़ाकू हेलिकॉप्टरों में एक है। अमेरिकी सेना भी दुश्मनों के विरुद्ध इसे अपना संकटमोचक मानती है।

उल्लेखनीय है कि अपाचे हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल

कई देश करते हैं। अमेरिका ने अपाचे हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल पनामा से लेकर अफगानिस्तान तथा इराक तक करता है। यह हेलिकॉप्टर इजरायल, मिस्त्र और नीदरलैंड की सेनाओं के पास भी है। यह हेलिकॉप्टर एक साथ कई तरह के काम करने में सक्षम है।

अपाचे हेलिकॉप्टर की खासियत

- अपाचे को विश्व का सबसे ताकतवर एवं खतरनाक हेलिकॉप्टर माना जाता है। इस हेलिकॉप्टर से बिल्कुल सटीक हमले किये जा सकते हैं।
- इस हेलिकॉप्टर में सटीक मार करने तथा जमीन से उत्पन्न खतरों के बीच प्रतिकूल

हवाई क्षेत्र में परिचालित होने की क्षमता है। हेलिकॉप्टर के दोनों ओर 30 एमएम की दो गन लगे हैं।
- यह हेलिकॉप्टर करीब 293 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस हेलिकॉप्टर में चालक दल के दो सदस्य होते हैं।
- यह हेलिकॉप्टर करीब 21000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को रडार से पकड़ना बहुत ही मुश्किल है।
- इस हेलिकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 एमएम की 1,200 गोलियां भरी जा सकती हैं। इसके अलावा इस हेलिकॉप्टर में हेलिफायर और स्ट्रिंगर मिसाइलें लगी हैं।
- यह हेलिकॉप्टर किसी भी मौसम या किसी भी स्थिति में दुश्मन पर हमला कर सकता है।
- अपाचे में रोशनी तथा अंधेरे में एक समान ताकत से लड़ने की क्षमता है। इसमें लगे कैमरे रात के अंधेरे में भी दोस्त तथा दुश्मन की अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। ■

4. भारत और बहरीन के मध्य समझौता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बहरीन की यात्रा पर गये थे जहां द्विपक्षीय वार्ता के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये तथा संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। वे बहरीन के यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की बढ़ती प्रवृत्ति और दो-तरफा निवेशों के लिए मौजूदा क्षमता का उल्लेख किया। व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर भी प्रतिबद्धता जाहिर की गई।

भारत और बहरीन के मध्य एमओयू

- भारत और बहरीन ने अंतरिक्ष तकनीक, सौर ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहमति पत्र (एमओयू) पर दस्तखत किये।
- समझौते के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) और बहरीन की नेशनल स्पेस साइंस एजेंसी अब अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगी।
- इसके अतिरिक्त, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर उर्जा गठबंधन (आइएसए) में भी एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे।
- वर्ष 2015 में स्थापित आइएसए पेरिस की यूएन की पर्यावरण परिर्वतन सम्मेलन में किए गए समझौते के तहत स्थापित संस्था है जो सौर ऊर्जा स्थापना के लिए वृहद स्तर पर काम करती है।
- भारत और बहरीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते पर बहरीन में भारत के राजदूत अलोक कुमार सिन्हा द्वारा तथा नई दिल्ली में बहरीन के राजदूत अब्दुल रहमान ने हस्ताक्षर किये।

प्रधानमंत्री मोदी को बहरीन ऑर्डर

बहरीन के राजा के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बहरीन के सम्मान 'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा' से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान भारत और बहरीन के द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया है। ■

5. चांद पर छिपा हो सकता है मूल्यवान धातुओं का भंडार

धरती और चांद पर मूल्यवान धातु की मौजूदगी के संबंध में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, पृथ्वी के इकलौते उपग्रह के गर्भ में मूल्यवान धातुओं का बड़ा भंडार छुपा हो सकता है। कनाडा के डलहौजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जेम्स ब्रेनन का कहना है कि हम चांद पर मौजूद ज्वालामुखी पत्थरों में पाए जाने वाले सल्फर का संबंध चांद के गर्भ में छुपे आयरन सल्फेट से जोड़ने में सफल रहे हैं।

ब्रेनन का कहना है कि धरती पर मौजूद धातु भंडार की जांच/विश्लेषण से पता चलता है कि प्लेटिनम और पलाडियम जैसी मूल्यवान धातुओं की मौजूदगी के लिए आयरन सल्फाइड बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का लंबे समय से अनुमान है कि चांद का निर्माण धरती से निकले एक बड़े ग्रह के आकार के गोले से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ है।

चंद्रमा की चट्टानों में सल्फर की मौजूदगी

चांद और धरती के इतिहास में समानता की वजह से ऐसा माना जाता है कि दोनों की बनावट भी मिलती-जुलती है। नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित अध्ययन में चांद को लेकर किए गए अध्ययन का ब्यौरा दिया गया है। ब्रेनन ने कहा 'हमारे नतीजे बताते हैं कि चंद्रमा की चट्टानों में सल्फर की मौजूदगी, उसकी गहराई में आयरन सल्फाइड की उपस्थिति का अहम संकेत है। हमें लगता है कि जिस वक्त लावा बना तब कई बहुमूल्य धातुएं पीछे दब गईं।'

पिछले कुछ वक्त से पूरी दुनिया की दिलचस्पी चांद को लेकर बढ़ी है। भारत के चंद्रयान-2 मिशन का उद्देश्य भी चांद के बारे में अधिकतम जानकारी उठाना है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की कोशिश है कि चांद से उपलब्ध जानकारी का प्रयोग आम जनजीवन के सुधार में किया जा सके। रूस, अमेरिका, चीन जापान जैसे देश भी चंद्रमा के लिए कई महत्वाकांक्षी मिशन पर काम कर रहे हैं। ■

6. तमिलनाडु की कन्दांगी साड़ी तथा डिंडीगुल ताले को जीआई टैग

हाल ही में तमिलनाडु की कन्दांगी साड़ी तथा डिंडीगुल ताले को जीआई (GI) टैग प्रदान किया गया। डिंडीगुल ताले को इसकी बेहतरीन गुणवत्ता तथा टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। गौरतलब है कि तमिलनाडु के सरकारी संस्थानों जैसे जेल, गोदाम, अस्पताल तथा मंदिरों में इत्यादि में डिंडीगुल ताले का इस्तेमाल किया जाता है। कन्दांगी साड़ी का निर्माण शिवगंगा जिले के कराइकुड़ी तालुक में किया जाता है। कपास से बनने वाली इस साड़ी का उपयोग ग्रीष्मकाल में किया जाता है।

तमिलनाडु के प्रसिद्ध उत्पादों डिंडीगुल ताला व कन्दांगी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चेन्नई स्थित ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने इन दोनों उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया।

डिंडीगुल ताला

- डिंडीगुल ताला (Dindigul Lock) अपनी उत्तम गुणवत्ता व टिकाऊ होने के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है।
- यहां का ताला इतना प्रसिद्ध है डिंडीगुल को 'लॉक सिटी' भी कहा जाता है।
- आसपास लोहा की उपस्थिति इस ताला उद्योग को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हालांकि हाल में इसे अलीगढ़ व राजापलयम से अधिक प्रतिस्पर्धा मिली है।

कान्दांगी साड़ी

- तमिलनाडु के शिवगंगा जिला में कराइकुडी तालुका में विनिर्मित कन्दांगी साड़ी (Kandangi saree) अपनी चौड़ी बॉर्डर के लिए काफी प्रख्यात है।
- कराइकुडी में रहने वाले परिवारों के लिए यह साड़ी आजीविका का मुख्य स्रोत है।
- हालांकि इसी तरह की बुनाई की गई साड़ियों के आने से कन्दांगी साड़ी विनिर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धा में बने रहना मुश्किल हो रहा है। परंतु जीआई टैग मिलने से मूल कन्दांगी साड़ी के विनिर्माताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

विशिष्ट भौगोलिक संकेत (Geographical Indication)

GI टैग अथवा पहचान उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करती है, अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर ही पायी जाती है अथवा वह उसका मूल स्थान हो। GI टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। यह GI पंजीकरण 10 वर्ष के लिए वैध होता है, बाद में इसे रीन्यू करवाना पड़ता है। कुछ महत्त्वपूर्ण GI टैग प्राप्त उत्पाद दार्जीलिंग चाय, तिरुपति लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुर संतरा तथा कश्मीरी पश्मीना इत्यादि हैं। ■

7. हरिकेन डोरियन

हाल ही में तूफान डोरियन (Hurricane Dorian) कैरिबियाई द्वीपों के एक देश 'बहामास' के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में भारी तबाही मचाने के बाद सबसे मजबूत तूफान की श्रेणी में शामिल हो गया। सबसे खतरनाक पांचवीं श्रेणी के इस तूफान की वजह से चल रही तेज हवाओं और बारिश से बहामास में हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। तबाही की आशंका के चलते हजारों लोगों को तटों से दूर जाने का आदेश दिया गया है।

गौरतलब है कि डोरियन तूफान 185 मील प्रति घंटे की गति से बहामास के पश्चिमोत्तर में स्थित अबाको द्वीप के तट से गुजरा। यह कैरीबियाई द्वीपों में आया सबसे भीषण तूफान है। यह अटलांटिक बेसिन में उठने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान बनने की ओर अग्रसर है। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने 18 से 23 फुट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी। मियामी स्थित राष्ट्रीय तूफान केंद्र (एनएचएसी)ने बताया कि करीब 220 मील प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चली जो इसके विनाशकारी स्वरूप को दर्शाता है। तूफान के कारण दक्षिण पूर्व अमेरिका के राज्यों फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना द्वारा तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश जारी किया गया।

हरिकेन क्या है

यह एक प्रकार का तूफान है, जिसे "उष्णकटिबंधीय चक्रवात" (Tropical Cyclone) कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन सबसे अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी तूफान होते हैं। जब किसी तूफान की अधिकतम गति 74 मील/घंटे होती है तो उसे "हरिकेन" कहा जाता है। इसकी तीव्रता को 'सैफिर-सिंपसन हरिकेन विंड स्केल' (Saffir&Simpson Hurricane Wind Scale) से मापा जाता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय अथवा उप-उष्णकटिबंधीय जल के ऊपर बनने वाली निम्न दाब युक्त मौसम प्रणाली में घूर्णन करते हैं। इनसे आँधियां तो आती हैं परंतु वाताग्रों (भिन्न घनत्वों के दो भिन्न वायु भारों को पृथक करने वाली सीमा) का निर्माण नहीं होता है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन

- 'नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर' विषय पर 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आधारभूत ढांचों की सुरक्षा, उभरते साइबर खतरों, घटनाओं, चुनौतियों एवं प्रतिक्रिया जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई।
- सरकार का कहना है कि जहां तक प्रौद्योगिकी, विशेष संचार तकनीक का संबंध है, भारतीय समाज तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है। 'डिजिटल संस्कृति' एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित हो रही है।
- सरकार के अनुसार हर प्रौद्योगिकी की अपनी उपयोगिता है, इसी तरह साइबर प्रौद्योगिकी में इन दिनों बड़ी तेजी आई है। लेकिन एक वरदान होने के साथ ही यह प्रौद्योगिकी एक बड़ा खतरा भी बन गई है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर साइबर खतरे का भी एक विषय बन गया है।
- पिछले कुछ दशकों में सुरक्षा की अवधारणा खुद बदलाव के दौर से गुजरी है। इसके अपने पैमाने हैं; बाहरी और आंतरिक। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद, आतंकवाद होता है और इसमें जाति, पंथ और धर्म के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। अत: प्राथमिकताएं निर्धारित करने की जरूरत है।
- वर्तमान में सभी लोग एक डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। सुरक्षा इनमें से एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में सभी को विचार करना होगा।
- आज साइबर जगत युद्ध का नया मैदान बन गया है। दुनिया भर में सफल साइबर हमलों से काफी वित्तीय हानि और दूसरी दिक्कतें सामने आती हैं। डिजिटल गवर्नेंस और इसके व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए साइबर सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है।
- हालांकि साइबर खतरों से निपटने के लिए कई उपाय किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई-4सी)' योजना की शुरूआत की है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार एक अन्य पहल के तहत 'साइबर स्वच्छता केंद्र' का स्थापना किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है।

2. अंगीकार अभियान

- केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने हाल ही में परिवर्तित प्रबंधन के लिए एक अभियान 'अंगीकार' और भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस यानी वल्नरबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया पर ई-कोर्स की शुरूआत की।
- गौरतलब है कि सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए अंगीकार को शुरू किया गया है। इसमें पीएमएवाई (यू) के तहत बनाए गए घरों के लाभार्थियों के लिए जल एवं ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, सफाई एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों पर सामुदायिक जुटाव और आईईसी गतिविधियों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह अभियान इन विषयों को देखने वाले अन्य मंत्रालयों की योजनाओं एवं मिशनों के साथ मिलकर चलेगा। इसमें पीएमएवाई (यू) के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के लिए विशेष रूप से उज्ज्वला और स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- पीएमएवाई (यू) के तहत 1.12 करोड़ की मांग के बदले में अब तक लगभग 88 लाख घरों को स्वीकृति दी गई है। अंगीकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से मिशन के सभी लाभार्थियों तक पहुंचना है।
- सभी लक्षित शहरों में यह अभियान प्रारंभिक चरण के बाद महात्मा गांधी की 159वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को शुरू होगा। 10 दिसंबर, 2019 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इसका समापन होगा।

- इस अभियान में घर-घर गतिविधियों, वार्ड और शहर स्तर के कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।
- विदित हो कि योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), नई दिल्ली और भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) के सहयोग से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-कोर्स की पेशकश की है।
- यह एक अनूठा कोर्स है, जो प्राकृतिक खतरों के बारे में जागरुकता एवं समझ प्रदान करता है।
- यह विभिन्न खतरों (भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ आदि) को देखते हुए अति संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों की पहचान में मदद करता है और मौजूदा आवासीय भंडार को नुकसान के जोखिम के जिलेवार स्तर को स्पष्ट रूप से बताता है।
- यह ई-कोर्स वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, शहरी एवं क्षेत्रीय योजना, आवास एवं बुनियादी ढांचा योजना, निर्माण इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन और भवन एवं सामग्री अनुसंधान के क्षेत्र में आपदा शमन एवं प्रबंधन के लिए एक प्रभावी एवं कुशल साधन होगा।
- ज्ञातव्य है कि भारत की निर्माण प्रौद्योगिकी (सीटीआई-2019) के उद्घाटन के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री ने पीएमएवाई (यू) के लाभार्थियों के लिए "सुलभ रिहाइश" को संभव करने का आदेश दिया था और सभी निर्माण कार्यों में खतरों से संबंधित सुरक्षा प्रावधानों को शामिल करने पर जोर दिया था। इस दिशा में 100 दिन के एजेंडा के तहत मंत्रालय ने इन पहलों की शुरूआत की है।

3. स्कूल एजुकेशन 'शगुन' का शुभारंभ

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देने के मकसद से विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंक्शनों में शामिल एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन 'स्कूल एजुकेशन शगुन' का शुभारंभ हाल ही में नई दिल्ली में किया।
- इस ऑनलाइन जंक्शन के जरिए स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी ऑनलाइन पोर्टल्स और वेबसाइट को जोड़ने की पहल की गई है।
- बेहतर शिक्षा के बिना किसी राष्ट्र, समाज या परिवार की उन्नति नहीं हो सकती। शिक्षा तरक्की की नींव है और नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ज्यादा बेहतर होगी।
- स्कूल एजुकेशन 'शगुन' एक ऐसा ही प्लैटफॉर्म है, जिसके जरिए शिक्षा की नींव को मजबूती मिलेगी। 'शगुन' में शब्द का आशय शाला से है, जिसका मतलब स्कूल से है और गुन से गुणवत्ता को दर्शाया गया है।
- विदित हो कि 1200 केंद्रीय विद्यालयों, 600 नवोदय विद्यालयों, सीबीएससी से जुड़े 18000 स्कूलों, 30 एससीईआरटी और एनसीटीई से जुड़े 19000 संस्थानों की वेबसाइट्स को 'स्कूल एजुकेशन शगुन' पोर्टल से जोड़ा गया है।
- इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 15 लाख स्कूलों, 92 लाख शिक्षकों और करीब 26 करोड़ विद्यार्थियों की जानकारी ली जा सकती है। इसके जरिए योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही लोगों को स्कूलों से जुड़ी नई सूचनाएं भी मिलेंगी।
- इस एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन के जरिए लोग स्कूल के बारे में अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकेंगे। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा से जुड़े समस्त आंकड़े एक जगह से प्राप्त कर सकेंगे।
- 'स्कूल एजुकेशन शगुन' के जरिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए सामग्री मिलेगी, साथ ही उन्हें वीडियो आधारित शिक्षा का अवसर भी मिलेगा।
- वेबसाइट के जरिए यह भी जाना जा सकता है कि आपके क्षेत्र में कौन-कौन से स्कूल हैं और वह क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
- इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने 'एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि' (INSET) बनाने की भी घोषणा की, जिसके जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों ओर स्कूलों से जुड़ी तमाम सूचनाएं एक मंच से मिल सकेंगी।

4 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)

- हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के फ्लैगशिप अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) को प्रतिष्ठित एसकेओसीएच गवर्नेंस गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
- नई दिल्ली स्थित कॉंस्टीट्यूशनल क्लब में हुए एक कार्यक्रम के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के सस्ता कर्ज एवं ब्याज अनुदान पहुंच यानी पीएआईएसए (अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस) पोर्टल को यह पुरस्कार दिया गया है।
- गौरतलब है कि नवंबर 2018 में शुरू हुआ पीएआईएसए एक केंद्रीयकृत आईटी प्लेटफॉर्म है। यह इस मिशन के तहत ब्याज अनुदान जारी करने को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाता है।
- यह बैंकों से प्रक्रिया शुरू होने यानी प्रोसेसिंग, भुगतान, निगरानी और ब्याज अनुदान के दावों की ट्रैकिंग के लिए मासिक आधार पर शुरू से अंत तक ऑनलाइन समाधान उपलब्ध कराता है।

- स्वरोजगार कार्यक्रम के लाभार्थियों से संबंधित अनुदान के दावों को बैंकों द्वारा सीबीएस यानी कोर बैंकिंग समाधान के जरिये अपलोड किया जाता है, जो संबंधित यूएलबी और राज्यों द्वारा सत्यापित और मंजूर किए जाते हैं।
- स्वीकृत किए गए दावे की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधी लाभार्थी के कर्ज खाते में चली जाती है।
- अनुदान राशि के खाते में पहुंचने की सूचना लाभार्थी को उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर भी दी जाती है।
- इलाहाबाद बैंक द्वारा इस पोर्टल को डिजाइन और विकसित किया गया है। अभी तक 28 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और 21 सरकारी बैंक, 18 प्राइवेट बैंक तथा 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत 74 बैंक इस पोर्टल पर आ चुके हैं।
- वहीं अभी तक पीएआईएसए के जरिये लगभग 1.50 लाख लाभकर्ताओं को लगभग 27 करोड़ रुपये के ब्याज अनुदान का भुगतान किया गया है।

5. भारत में विश्व का पहला फेशियल बायोमैट्रिक डेटा

- हाल ही में भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने नाविकों के फेशियल बायोमैट्रिक डेटा का संग्रह कर बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (बीएसआईडी) जारी किया है।
- केन्द्रीय शिपिंग और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने नई दिल्ली में इस परियोजना को लॉन्च किया। उन्होंने पांच भारतीय नाविकों को नए बीएसआईडी कार्ड सौंपे।
- नई फेशियल बायोमैट्रिक तकनीक दो अंगुली या आंख की पुतली आधारित बायोमैट्रिक डेटा से बेहतर है।
- इसमें आधुनिक सुरक्षा उपाय भी है। इससे एसआईडी कार्ड प्राप्त नाविक की पहचान अधिक विश्वसनीय होगी और इससे नाविक की गरिमा एवं निजता भी सुरक्षित होगी।
- भारत ने आईएलओ में इस तकनीक पर आधारित एक प्रस्तुति दी थी।
- विदित हो कि तटीय पोत परिवहन अंतर्देशीय जलमार्ग और अन्य समुद्री गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है।
- अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग में भारतीय नाविकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारत या विदेश में रोजगार पाने वाले भारतीय नाविकों की संख्या 2017 में 1,54,349 थी जो इस वर्ष 2,08,799 हो गई है। इसमें 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- नया पहचान पत्र बीएसआईडी पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौता संख्या-185 के अनुरूप है। भारत ने अक्टूबर, 2015 में इस समझौते पर सहमति व्यक्त की थी।
- बीएसआईडी में आधुनिक सुरक्षा उपाय है। इसमें एक बायोमैट्रिक चिप लगा होगा।
- बीएसआईडी कार्ड की सुरक्षा विभिन्न स्तरों और विभिन्न तरीकों के द्वारा सुनिश्चित की गई है। डेटा संग्रह के दौरान चेहरे को पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ मिलान किया जाता है। इसके लिए फोटो मिलान सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।
- फेशियल बायोमैट्रिक संग्रह तथा इसके प्रमाणन के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। जारी किए जाने वाले प्रत्येक एसआईडी कार्ड से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय डेटाबेस में संग्रह की जाएंगी और इससे संबंधित जानकारी दुनिया के किसे भी कोने से प्राप्त की जा सकती है।
- भारत में बीएसआईडी परियोजना सी-डैक मुम्बई के सहयोग से चलाई जा रही है। सरकार ने 2016 में मर्चेंट शिपिंग (नाविक बायोमैट्रिक पहचान दस्तावेज) नियम अधिसूचित किया था।
- एसआईडी कार्ड में नाविकों के बायोमैट्रिक के साथ-साथ भौगोलिक ब्यौरा शामिल होगा। इसके सत्यापन के बाद एसआईडी कार्ड नाविकों को जारी किए जाएंगे।
- बीएसआईडी कार्ड जारी करने के लिए मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, गोवा, मंगलौर, कोच्चि, विशाखापत्तन और कांडला में 9 डेटा संग्रह केन्द्र बनाए गए हैं।
- प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसे भारत सरकार द्वारा जारी कन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्राप्त है उसे बीएसआईडी कार्ड के लिए योग्य माना जाएगा।
- वर्तमान में 3,50,000 भारतीय नाविकों को बीएसआईडी कार्ड जारी करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान के सभी नाविकों को दो वर्षों के अंदर बीएसआईडी कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 15,000 नए नाविकों को बीएसआईडी कार्ड जारी किए जाएंगे।

6 पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी)

- पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) ने मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के 11 जिलों के 58 विकास खंडों के अंतर्गत 1,645 गांवों में गरीबों को सशक्त बनाया और 300,000 परिवारों की आजीविका में सुधार किया।

- इस परियोजना के अंतर्गत कौशल विकास और नियोजन में 10462 लड़के/ लड़कियों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया और आज उनमें से 5494 को रोजगार मिला हुआ है।
- एनईआरएलपी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत 683 करोड़ रुपये (144.4 मिलियन अमरीकी डॉलर) की बहु-राज्यीय आजीविका परियोजना है जिसकी शुरूआत 2012 में हुई थी।
- इस परियोजना को मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के 11 जिलों में लागू किया गया था। परियोजना का उद्देश्य चार पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं, बेरोजगार युवकों और वंचितों की आजीविका में सुधार लाना है।
- परियोजना में सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, साझेदारी विकास परियोजना प्रबंधन और आजीविका तथा मूल्य शृंखला विकास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है।

7. जन औषधि सुगम'

- रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली में मोबाइल एप्लीकेशन 'जन औषधि सुगम' की शुरूआत की और उन्होंने घोषणा की कि अब जन औषधि सुविधा ऑक्सो -बायोडीग्रेडेबल सेनेटरी नैपकीन 1 रुपये प्रति पैड की दर से उपलब्ध होंगे।
- 'जन औषधि सुगम' से लोगों को अब जैविक दवाओं और जन औषधि दुकानों की तलाश करने में सुविधा होगी।
- गौरतलब है कि बेहतर सेनेटरी नैपकीन के अभाव के कारण 28 मिलियन लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्योंकि नैपकीन पैड उन्हें उचित दाम पर नहीं मिल पाता।
- औषधि विभाग देश भर में फैले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए सभी नागरिकों को सस्ती दरों पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कदम से गरीबों के दवा खर्च में पर्याप्त कमी आई है।
- भारत सरकार ने 4 जून, 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर ढाई रुपये प्रति पैड की दर से 'जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडीग्रेडेबल सेनेटरी नैपकीन' की शुरूआत की थी।
- जन औषधि सुविधा की विशेष बात यह है कि जब यह इस्तेमाल के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह पैड बायोडीग्रेडेबल हो जाता है। 31 अगस्त, 2019 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों ने 1.30 करोड़ से अधिक पैडों की बिक्री की।
- भारत की महिलाओं को सस्ती दरों पर सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने और उन्हें सुगम बनाने के लिए सरकार ने अब तय किया है कि इन पैडों को 1 रुपये प्रति पैड की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।
- बाजार में सेनेटरी पैडों की सस्ती, दरों पर उपलब्धता न होने के कारण देश की कई महिलाएं माहवारी के दौरान अस्वस्थ तरीके अपनाती हैं। इस संबंध में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश की वंचित महिलाओं के लिए 'स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा' सुनिश्चित होगी।
- इस कदम के जरिए प्रधानमंत्री का 'स्वच्छ भारत, हरित भारत' का सपना भी पूरा होगा, क्योंकि ये पैड ऑक्सो-बायोडीग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल है। जन औषधि सुविधा को देश भर के 5500 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 'जन औषधि सुगम' मोबाइल एप्लीकेशन में नजदीक के जन औषधि केन्द्रों, गूगल मैप के जरिए उन केन्द्रों तक पहुंचने का मार्ग, जन औषधि जैविक दवाओं का पता लगाने, दवाओं के मूल्य के आधार पर जैविक तथा ब्रांडेंड दवाओं की तुलना, खर्च में होने वाली बचत की जानकारी मिलेगी। यह मोबाइल एप्लीकेशन एंड्राइड और आईओएस प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। इन्हें गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. राष्ट्रपति की शक्तियाँ

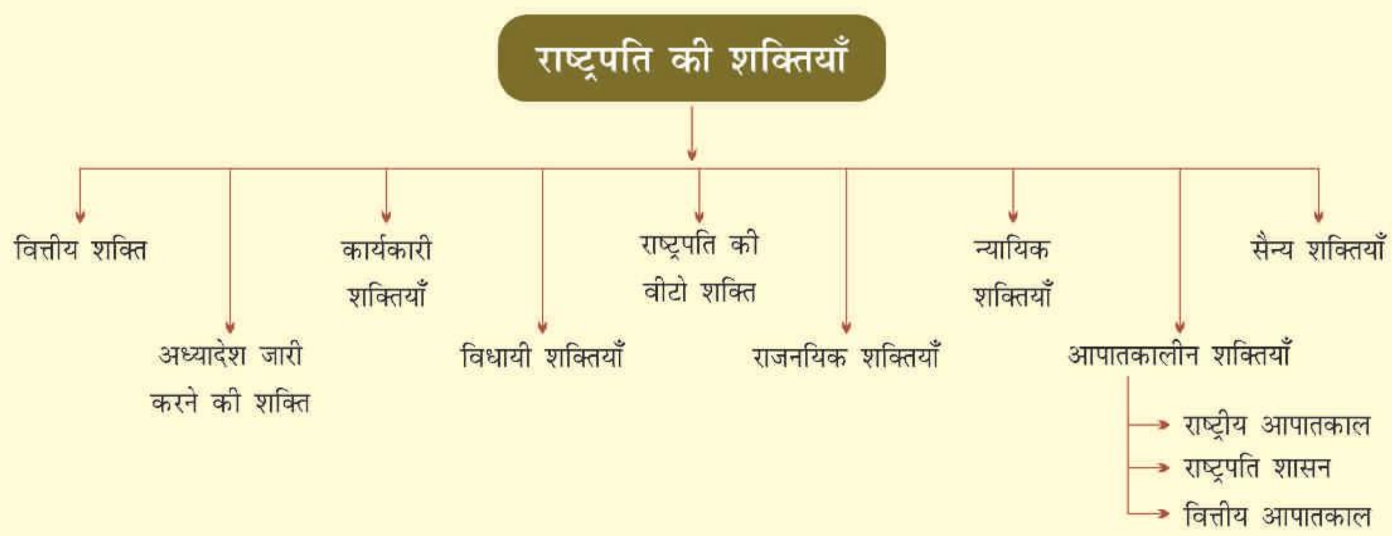

महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति पद से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं तथा सरकार के सभी निर्णय उसके निर्णय माने जाते हैं। राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
- वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। वह सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा लोक सभा को उसके नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। (अनुच्छेद 108)
- लोक सभा में आंग्ल-भारतीय (Anglo Indian Community) समुदाय के दो प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। यदि उसकी राय में लोक सभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो, (अनुच्छेद 331)। वह साहित्य, विज्ञान कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकर व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्य सभा के लिए मनोनीत करता है, (अनुच्छेद 80)।
- लगभग सभी संविधान कार्यपालिका के प्रधान को ऐसे व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति देते हैं, जिनका किसी अपराध के लिए विचारण और दोष सिद्धि हुई है। कार्यपालिका को न्यायिक शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि यदि कोई न्यायिक भूल हुई हो तो उसे सुधारा जा सके।
- भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल, जल, वायु सेना) का प्रधान सेनापति होता है (अनुच्छेद 53(2)। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
- वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है।
- राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण (बजट) रखवाता है (अनुच्छेद 112)।
- अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है।

2. प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य

महत्वपूर्ण तथ्य

- संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पद होता है क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रधान होता है, जबकि शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के ही हाथों में होती है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद् का निर्माण और उसका संचालन करता है। भारत के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है।

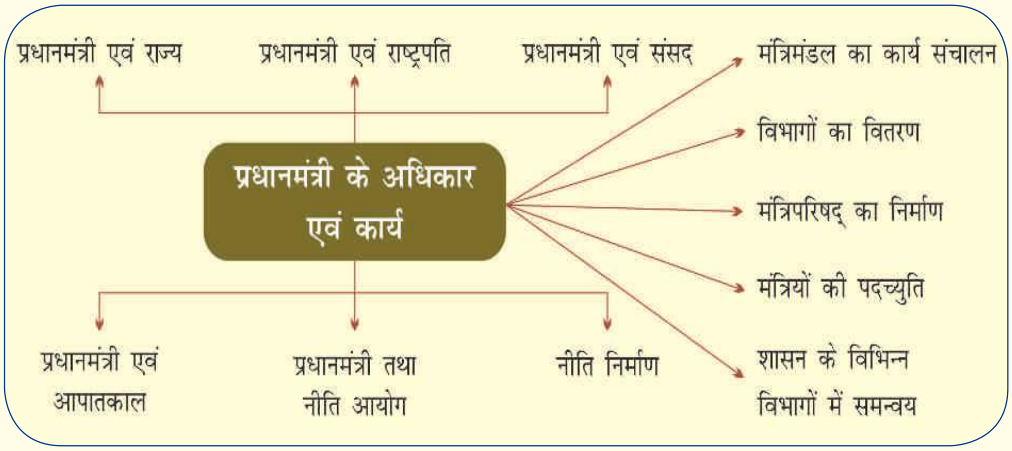

- संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोक सभा में बहुमत दल का नेता होता है।
- अनुच्छेद 75(2) के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त अपना पद धारण करेगा। अत: सैद्धान्तिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त अपना पद धारण करता है। प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडलीय वृत्त का केन्द्र होता है, मंत्रियों की नियुक्ति व पदविमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। वह किसी मंत्री के कार्य या आचरण से असंतुष्ट होने पर उससे इस्तीफा माँग सकता है।
- प्रधानमंत्री संसद सत्र बुलाने और सत्रावसान के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। वह किसी भी समय लोक सभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है।

3. राज्य सभा के कार्य तथा शक्तियाँ

महत्वपूर्ण तथ्य

- अनुच्छेद 79 में कहा गया है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों (लोक सभा, राज्य सभा) से मिलकर बनेगी।
- संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य सभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं। इसके अनुसार राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो।
- राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं वरन् जनसंख्या के आधार पर है। इसमें बड़े राज्यों में प्रतिनिधि ज्यादा और छोटे राज्यों से प्रतिनिधि कम आते हैं।
- राज्य सभा के पास लोक सभा की तुलना में कम शक्तियाँ हैं, राज्य सभा की रचना लोक सभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गयी है, फिर भी उसे भारतीय राजव्यवस्था के संचालन में महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल है।

- संविधान द्वारा गैर वित्तीय विधेयकों (धन विधेयक को छोड़कर) के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा दोनों को बराबर शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। संविधान के अनुच्छेद 109 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन के संबंध में राज्य सभा को लोक सभा के समान शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। लोक सभा से पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया जाए। संविधान संशोधन विधेयक पर राज्य सभा की असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा।

4. लोक सभा के कार्य तथा शक्तियाँ

महत्वपूर्ण तथ्य

- लोक सभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसका गठन 17 अप्रैल, 1952 को किया गया था। लोक सभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है।
- राज्य सभा में कोई विधेयक पुन: स्थापित किया गया है तो उस विधेयक को भी लोक सभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है।
- संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद्) को व्यवस्थापिका (मुख्यत: लोक सभा) के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। भारत में लोक सभा का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोक सभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, राज्य सभा में नहीं।

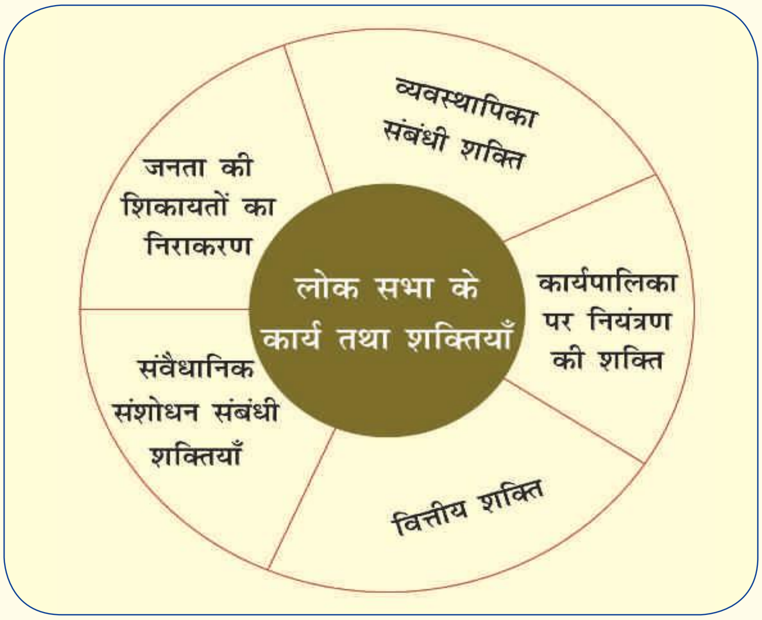

- लोक सभा संघीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वित्त आयोग भाषा आयोग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। लोक सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं अत: उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार तथा भावनाएँ सरकार तक पहुँचायी जाती हैं।

5. मंत्रिमण्डल की शक्तियाँ और कार्य

महत्वपूर्ण तथ्य

- संघीय मंत्रिपरिषद् को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् भी कहा जाता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है।
- मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श पर करता है, अपने पद की शपथ लेने के पश्चात् प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राष्ट्रपति को देता है।
- अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए वहीं मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है अत: यदि मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् को अपना त्यागपत्र देना होता है।

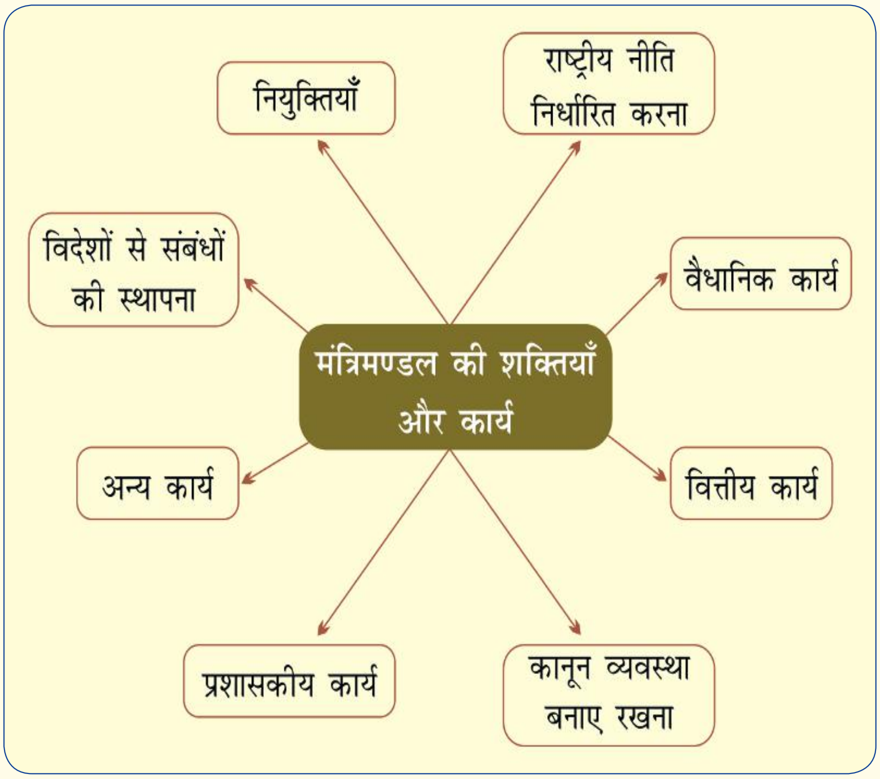

- सामूहिक उत्तरदायित्व में यह भी आवश्यक है कि यदि मंत्रिपरिषद् कोई निर्णय ले लेती है तो सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना चाहिए। यदि कोई मंत्री उस निर्णय से असहमत है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए।

6. सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है परंतु संघात्मक सिद्धांतों के अनुसार केंद्र तथा राज्यों में पृथक-पृथक न्याय प्रबंध नहीं है बल्कि यहाँ एकात्मक न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
- सर्वोच्च न्यायालय भारत का अन्तिम अपीलीय न्यायालय है।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के किसी भी न्यायालय की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ हैं। जहाँ वह संविधान की आधिकारिक व्याख्या करता है वहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय देश के सभी सिविल (Civil) और आपराधिक (Criminal) मामलों में अपील का अन्तिम न्यायालय भी है अर्थात् यह अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह न केवल संघीय न्यायालय है बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह अपील का अन्तिम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति भी रखता है।
- उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वह किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है, उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है। जैसे:
- भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, या ऐसे विवाद जहाँ भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य एक तरफ और एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हों, इत्यादि।

7. मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य

महत्वपूर्ण तथ्य

- संघ की तरह राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। राज्यों में संघ की तरह ही मंत्रिपरिषद् वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद् मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है।
- मोटे तौर पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है हालाँकि उसका कार्यकाल विधान सभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है।
- मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद् का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को दे देता है जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है।
- मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है।

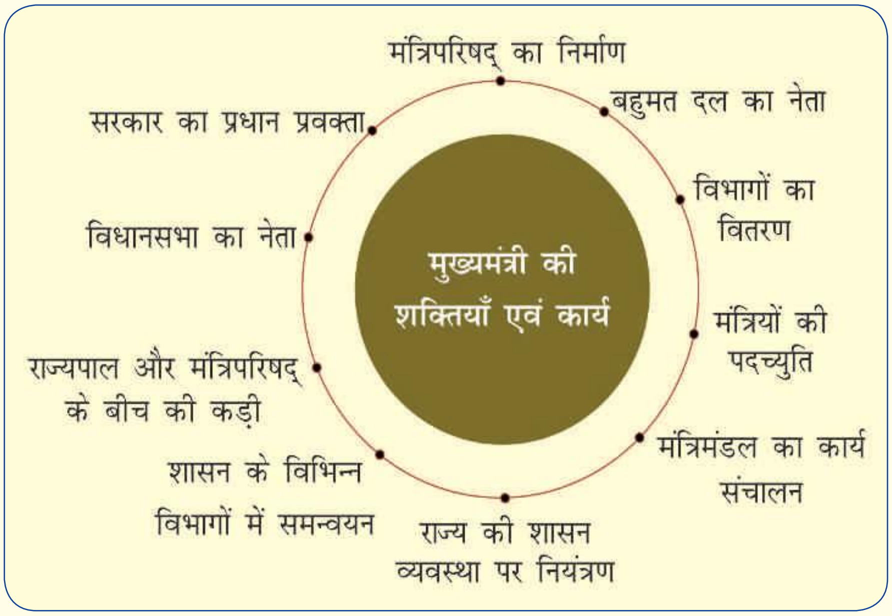

- संविधान के अनुसार राज्य के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर रहते हैं परंतु वास्तव में मंत्री तब तक अपने पद पर रह सकते हैं, जब तक मुख्यमंत्री चाहे। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग अर्थात् मंत्रिपरिषद् एक इकाई के रूप में कार्य करें। यदि मंत्रिपरिषद् के दो या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच कड़ी का काम करता है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिपरिषद् तक पहुँचाता है। मुख्यमंत्री का दोहरा व्यक्तित्त्व है। एक ओर यदि वह शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधान सभा का नेता भी है। विधान सभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छानुसार ही संपन्न होता है।

Books & Magazines of DHYEYA IAS

Classroom Study Material

A comprehensive in-depth study material which complements classroom teaching and guidance. From basic level to an advanced learner, it caters to all needs of the aspirants.

& Many more...

Sprinter (Questions & Answers for Mains)

In this series we have covered previous years' questions of UPSC with compact model answers. We have also covered those important questions which are most probable for upcoming exams.

Weekly Magazines

Build your knowledge every week and keep in touch with the world around you and everything that is important for the examination. With the smart preparation approach, it covers complex issues in easy and concise manner.

Yearly Magazines

Yearly topic-wise compilation of important current issues. Exclusively designed to cover UPSC examination cycle. A smart and time saving way for the aspirants.

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJRAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

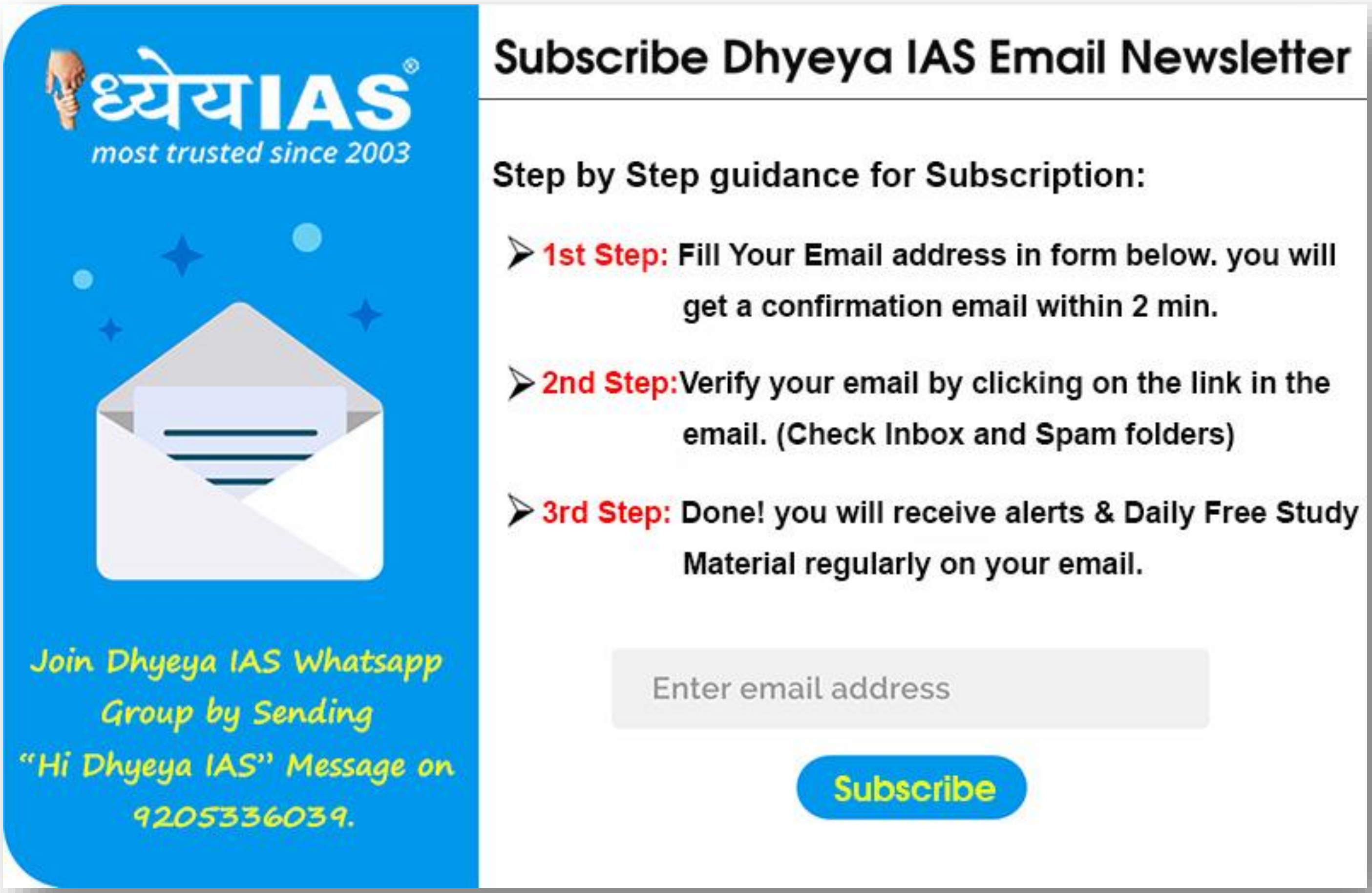

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400